जनवरी-मार्च
January-March

अंक : 106

2021

ISSN : 0976-0024

महिला Mahila
विधि भारती Vidhi Bharati

विधि चेतना की द्विभाषिक (हिंदी-अंग्रेज़ी) शोध पत्रिका
Research (Hindi-English) Quarterly Law Journal

(केंद्रीय हिंदी निदेशालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आंशिक अनुदान से प्रकाशित)

ISSN 0976-0024
9 770976 002001

प्रधान संपादक
सन्तोष खन्ना
संपादक
डॉ. उषा देव

पत्रिका में व्यक्त विचारों से सम्पादक/परिषद् की सहमति आवश्यक नहीं है।

Indexed at Indian Documentation Service, Gurugram, India
Citation No. MVB-27/2021

विधि भारती परिषद्
बी.एच./48 (पूर्वी) शालीमार बाग, दिल्ली-110088 (भारत)
मोबाइल : 09899651872, 09899651272
फ़ोन : 011-45579335
E-mail : vidhibharatiparishad@hotmail.com, santoshkhanna25@gmail.com
Website : www.vidhibharatiparishad.in

'महिला विधि भारती' पत्रिका (पूर्व यू.जी.सी. सूची में शामिल, क्र. 156, पत्रिका संख्या 48462)
विधि चेतना की द्विभाषिक (हिंदी-अंग्रेज़ी) विधि-शोध त्रैमासिक पत्रिका
E-mail : vidhibharatiparishad@hotmail. com
Website : www. vidhibharatiparishad. in
अंक : 106 (जनवरी-मार्च, 2021)
प्रधान संपादक : सन्तोष खन्ना, **संपादक :** डॉ. उषा देव

बोर्ड ऑफ रेफरीज एवं परामर्श मंडल

1. डॉ. के.पी.एस. महलवार : चेयर प्रो., प्रोफेशनल एथिक्स, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, न.दि.
2. डॉ. चंदन बाला : डीन एवं विभागाध्यक्ष, विधि विभाग, जयनारायण व्यास वि.वि., जोधपुर
3. डॉ. राकेश कुमार सिंह : पूर्व डीन एवं विभागाध्यक्ष, फैकल्टी ऑफ लॉ, लखनऊ विश्वविद्यालय
4. डॉ. किरण गुप्ता : पूर्व विभागाध्यक्ष, फैकल्टी ऑफ लॉ, दिल्ली विश्वविद्यालय
5. न्यायमूर्ति श्री एस.एन. कपूर : पूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय, पूर्व सदस्य, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, नई दिल्ली।
6. प्रो. (डॉ.) सिद्धनाथ सिंह : पूर्व डीन एवं विभागाध्यक्ष, विधि विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय
7. प्रो. (डॉ.) गुरजीत सिंह : संस्थापक वाइस चांसलर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एवं न्यायिक अकादमी, असम
8. श्री हरनाम दास टक्कर : पूर्व निदेशक, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली

परिषद् की कार्यकारिणी, संरक्षक : डॉ. राजीव खन्ना

1. डॉ. सुभाष कश्यप (अध्यक्ष)
2. न्यायमूर्ति श्री लोकेश्वर प्रसाद (उपाध्यक्ष)
3. श्रीमती सन्तोष खन्ना (महासचिव)
4. रेनू नूर (कोषाध्यक्ष)
5. श्री अनिल गोयल (सचिव, प्रचार)
6. डॉ. प्रेमलता (सदस्य)
7. डॉ. आशु खन्ना (सदस्य)
8. डॉ. पूरनचंद टंडन (सदस्य)
9. श्री जी.आर. गुप्ता (सदस्य)
10. डॉ. उषा टंडन (सदस्य)
11. डॉ. सूरत सिंह (सदस्य)
12. डॉ. के.एस. भाटी (सदस्य)
13. डॉ. शकुंतला कालरा (सदस्य)
14. डॉ. एच. बालसुब्रह्मण्यम् (सदस्य)
15. डॉ. उमाकांत खुबालकर (सदस्य)
16. अनुरागेंद्र निगम (सदस्य)

शुल्क दर

वार्षिक शुल्क 500/-- रुपए
आजीवन शुल्क 5,000/-- रुपए
संस्थागत वार्षिक शुल्क 500/-- रुपए
संस्थागत आजीवन शुल्क 20,000/-- रुपए

डाक शुल्क अलग

अंक 106 में

1.	आपके विचार / **डॉ. साधना गुप्ता**	--	6
2.	भारत में राजद्रोह ओर राजद्रोह क़ानून (संपादकीय) / **सन्तोष खन्ना**	--	7
3.	संविधान, संसद और राम राज्य / **डॉ. विनोद बब्बर**	--	11
4.	मानव अधिकार बनाम महिला अधिकार / **रीना यादव**	--	18
5.	नए कृषि क़ानूनों के माध्यम कृषि एवं कृषकों के हितों के संरक्षण एवं संवर्धन : एक विश्लेषण / **डॉ. सुदर्शन वर्मा एवं नीतेश कुमार चतुर्वेदी**	--	25
6.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 : नए भारत की ओर / **सन्तोष खन्ना**	--	36
7.	निगमित भारत की चुनौतियाँ / **अरविंद भारत**	--	43
8.	विधिक सहायता संविधानिक एवं मूल अधिकार / **प्रो. (डॉ.) एन.के. थापक एवं रतन सिंह तोमर**	--	48
9.	पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता एवं चुनौतियाँ / **डॉ. श्रीमती राजेश जैन**	--	52
10.	स्वांग (कहानी) / **मीनाक्षी स्वामी**	--	57
11.	स्त्री दशा व शिक्षा : प्राचीन से वर्तमान तक / **नीलम मीणा**	--	66
12.	समय की रेत पर तपते, झुलसते धरातलों की पड़ताल है : समय का सच (पुस्तक समीक्षा) / **उमाकांत खुबालकर**	--	72
13.	Medical Negligence Not Llimited to Treatment Only / **Prem Lata**	--	76
14.	Conservation of Wild Life in India / **Sanju Lata**	--	80
15.	Women's Human Rights in International and National Sphere/ **Dr. Mukesh Kumar Malviya**	--	87
16.	Freedom of Internet and Social Media / **Niti Nipuna Saxena**	--	96

लेखक मंडल

डॉ. विनोद बब्बर : ए-2/9ए, राष्ट्र-किंकर हस्तसाल रोड, उत्तम नगर नई दिल्ली-110059 **ई-मेल** : 1vinodbabbar@gmail.com, **मोबाइल** : 9868211911

रीना यादव : शोधार्थी, विधि विभाग, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बाँसवाड़ा **ई-मेल** : reena1982yadav@gmail.com, **मोबाइल** : 8824002252

डॉ. सुदर्शन वर्मा : आचार्य, संकायाध्यक्ष विधि अध्ययन विद्यापीठ, भूतपूर्व विभागाध्यक्ष विधि विभाग, बी.बी.ए.यू. लखनऊ

नीतेश कुमार चतुर्वेदी : शोध छात्र, विधि विभाग, विधि अध्ययन विद्यापीठ, बी.बी.ए.यू. लखनऊ

सन्तोष खन्ना : संपादक, विधि भारती परिषद, बी.एच-48, पूर्वी शालीमार बाग, दिल्ली

अरविंद भारत : प्रधान संपादक, अखंड भारत

ई-मेल : akhandbharat1857@gmail.com

प्रो. (डॉ.) एन.के. थापक : शोध निर्देशक (विधि) एल.एन.सी.टी. वि.वि. भोपाल

रतन सिंह तोमर : शोधार्थी (विधि) एल.एन.सी.टी. विश्वविद्यालय, भोपाल

डॉ. श्रीमती राजेश जैन : (डी. लिट.), प्रोफेसर एवं विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, कार्यालय क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा सागर-संभाग, सागर (म.प्र.)

मीनाक्षी स्वामी : सी.एच. 78, एच.आई.जी., दीनदयाल नगर, सुखलिया, इंदौर, मध्य प्रदेश-452010, **ई-मेल** : meenaksheeswami@gmail.com

नीलम मीणा C/o श्री खेमाराम मेहरा : पावटा 'सी' रोड, लक्ष्मी नगर, प्लॉट न. 216, जोधपुर (राज.), (शोधार्थी), हिंदी विभाग, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर राजस्थान, **मोबाइल** : 9462692226

उमाकांत खुबालकर : 33/11, नोवा, अशोक रोड, क्षिप्रा सन सिटी, इंदिरापुरम, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)-201014, **मोबाइल** : 0968151357, 798256098

Prem Lata : dddd

Sanju Lata : Assistant Professor, Govt. Law College Pali, Rajasthan

E-mail : Sanjulata41980@gmail.com

Dr. Mukesh Kumar Malviya : Assistant Professor, Law School, BHU, Varanasi-221005, **Email :** mukesh9424@gmail.com, **Mobile :** 8004851126

Niti Nipuna Saxena : Institute of Law and legal studies, Sage University Indore, **Email :** nitinipuna@gmail.com

संपादकीय

भारत में राजद्रोह और राजद्रोह क़ानून

भारतीय दंड संहिता की धारा 124-ए भारत में बहुत विवादास्पद रही है। राजद्रोह की इस धारा के अंतर्गत जब भी किसी व्यक्ति को इस धारा के तहत गिरफ़्तार किया जाता है, उसके विरुद्ध सही आरोप लगा है या नहीं, इस बात की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता पर प्रायः आवाजें उठने लगती हैं कि सत्तारूढ़ सरकार अपने विरुद्ध असहमति दबाने के लिए इस क़ानून का सहारा ले रही है जबकि यह क़ानून ब्रिटिश शासन काल का है और ब्रिटेन तक ने भी इसे अपने यहाँ से हटा दिया है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इसकी ज़रूरत ही नहीं है, इसे क़ानून की पुस्तकों से निकाल बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। इसके साथ ही जो भी सत्तारूढ़ दल होता है उस पर विपक्ष और सिविल समाज के लोग यह आरोप लगाने लगते हैं कि संविधान-प्रदत्त वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का हनन किया जा रहा है और लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है।

भारत का संविधान अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार देता है। पर क्या यह अधिकार अनन्य है? इसका उत्तर तो संविधान के अनुच्छेद 19(2) में ही दे दिया गया है कि वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यह अधिकार अनन्य नहीं है बल्कि यह अधिकार उचित प्रतिबंधों के अध्याधीन है। पहले हम यह जान लेते हैं कि इन उचित प्रतिबंधों को संविधान में कब और क्यों शामिल किया गया था। जब संविधान सभा स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण कर रही थी तो उस समय जिस वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया, वह मौलिक अधिकार अनन्य था परंतु संविधान लागू होने के बाद शीघ्र ही तत्कालीन सरकार को यह महसूस होने लगा कि किसी भी शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए वाक् और अभिव्यक्ति की आज़ादी को अनन्य नहीं रहने दिया जा सकता और उस संबंध में कुछ उचित प्रतिबंध लगाने ही होंगे। इसके लिए 1951 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में भारत के संविधान में संशोधन कर उसमें अनुच्छेद 19(2) को जोड़ दिया गया जिसके अंतर्गत कुछ उचित प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया गया, यद्यपि यह प्रतिबंध क़ानून बनाकर ही लगाए जा सकते थे।

अनुच्छेद 19(2) में भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना, राज्य की सुरक्षा करना और इसके साथ ही सभी देशों से मैत्री संबंध रखना, सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित

करना, शिष्टाचार अथवा नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि तथा अपराध के लिए उकसाना जैसे प्रतिबंध शामिल हैं। वैसे भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने संबंधी प्रावधान भी बाद में 16वें संविधान संशोधन, 1963 में जोड़ा गया था। संविधान निर्माण के समय संविधान सभा में भारतीय दंड संहिता की धारा 124-ए पर बहस अवश्य हुई थी किंतु उसके प्रावधान उचित प्रतिबंधों के अंतर्गत कभी नहीं जोड़े गए।

वस्तुतः भारतीय दंड संहिता की धारा 124-ए को वर्ष 1870 में भारतीय दंड संहिता का हिस्सा बनाया गया था। इसे भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था। इसलिए 19वीं शती में और बीसवीं सदी के प्रारंभ में इसका इस्तेमाल प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादियों और स्वतंत्रता सेनानियों के लेखन और भाषणों के खिलाफ किया गया था। सबसे पहला राजद्रोह का मामला भारत के प्रसिद्ध और अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक के विरुद्ध वर्ष 1908 में दर्ज किया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने एक आलेख समाचार पत्र केसरी में लिखा था जिसका शीर्षक था 'देश का दुर्भाग्य'। बाद में 1922 में महात्मा गांधी के विरुद्ध भी राजद्रोह का मामला बना था। दोनों को कारावास का दंड दिया गया था।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस धारा के अंतर्गत सबसे पहला मामला केदारनाथ सिंह बनाम भारत संघ का था। वर्ष 1961 में उच्चतम न्यायालय में यह मामला पहुँचा था। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने पहले के सभी मामलों पर विचार कर इस धारा को संविधानिक ठहराते हुए राजद्रोह को परिभाषित किया और अपना फैसला दिया कि धारा 124-ए के अंतर्गत वही शब्द राजद्रोह की श्रेणी में आएँगे जिससे विधि व्यवस्था को भंग कर अशांति फैलाने की मंशा या प्रवृत्ति का पता चले अथवा जिससे हिंसा भड़काने की मंशा का पता चले। इस धारा के अंतर्गत सभी मामलों के संबंध में राजद्रोह की यह परिभाषा एक नजीर की तरह मानी जाती है।

धारा 124ए है क्या? : भारतीय दंड संहिता की धारा 124-ए के अनुसार, ''बोले या लिखे गए शब्दों या संकेतों द्वारा अथवा दृश्य प्रस्तुति द्वारा जो कोई भी भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयास करेगा, असंतोष उत्पन्न करेगा या करने का प्रयास करेगा उसे आजीवन कारावास या 3 वर्ष की अवधि की सजा हो सकती है। भारतीय दंड संहिता की इस धारा 124-ए के अंतर्गत एक 19-वर्षीय लड़की बैंगलोर से गिरफ़्तार की गई थी जिसका नाम अमूल्या लियोना था। उसने पाकिस्तान के लिए भी जिंदाबाद का नारा लगाया था। बाद में उच्चतम न्यायालय ने एक मामले में यह निर्णय लिया कि केवल नारा लगाने से राजद्रोह का मामला नहीं बनता है। पुलिस सरकार से असहमति, आलोचना आदि को राजद्रोह समझ लेती है जबकि सरकार की नीतियों आदि की आलोचना करना एक स्वस्थ लोकतंत्र का आधार होता है।

यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् अधिकांश वर्ष तक देश में कांग्रेस की सरकारें रही हैं, किंतु उसने इस क़ानून को हटाने का कभी कोई प्रयास नहीं किया जबकि अब इसे हटाने

का सबसे अधिक वहीं शोर मचा रही है। हाँ! जब 2019 के आम चुनाव का उसने घोषणा-पत्र जारी किया था तो उसमें इस क़ानून को हटाने की बात कही गई थी किंतु इससे पहले उनकी 10 वर्ष तक सरकार चली जब डॉ. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उस समय कांग्रेस की इस क़ानून के हटाने की न तो सोच सामने आई और न ही उन्हें इस क़ानून को हटाने की ज़रूरत महसूस हुई।

जब ब्रिटिश काल में टी.वी. मैकाले ने इस धारा को भारतीय दंड संहिता में शामिल किया था तो भारत में इसका विरोध हुआ था। एक बार महात्मा गांधी ने भी इसके बारे में कहा था कि यह क़ानून नागरिकों की स्वतंत्रता को दबाने के लिए बनाया गया है। यही नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने भी इस पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि यह क़ानून बहुत हानिकारक और अत्यंत आपत्तिजनक है, परंतु अपने कार्यकाल में उन्होंने इसे हटाने की कभी कोई कोशिश नहीं की। वर्ष 2019 में गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में बताया था कि राजद्रोह संबंधी धारा को हटाने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। देश में राष्ट्र-विरोधी, अलगाववादी और आतंकवादी तत्त्वों पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने के लिए यह धारा बनाए रखना ज़रूरी है।

राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आँकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2019 में राजद्रोह तथा ग़ैर-क़ानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत आतंकवादी मामलों में वृद्धि हुई है जबकि केवल 3 प्रतिशत मामलों में दोषसिद्धि हो सकी है। वर्ष 2019 में राजद्रोह के मामलों में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इन मामलों की संख्या 93 थी इन मामलों में 96 व्यक्तियों को गिरफ़्तार किया गया था और 76 मामलों में आरोप-पत्र फाइल किए गए थे। गृह-मंत्रालय ने 10 फरवरी, 2021 को राज्य सभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि वर्ष 2019 में 96 व्यक्तियों को गिरफ़्तार किया गया था जिनमें से दो के विरुद्ध ही दोष सिद्धि हुई है और 29 को दोषमुक्त किया गया है शेष मामलों में जाँच चल रही है।

लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन के संबंध में 26 जनवरी, 2021 को दिल्ली में हुई व्यापक हिंसा के बाद कई आरोपियों की धर-पकड़ शुरू की गई। इसी संदर्भ में पुलिस ने बंगलौर की एक जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि को 13 फरवरी, 2021 को धारा 124-ए और धारा 153-ए के अंतर्गत 'टूलकिट' मामले में गिरफ़्तार किया था। उस पर आरोप था कि वह विभिन्न समूहों के बीच धर्म, वंश, जाति, जन्म स्थान, आवास, भाषा आदि के आधार पर वैमनस्य फैलाने तथा समाज में समरसता के विरुद्ध गतिविधियाँ करने के अपराधिक षड्यंत्र रचने वालों का एक हिस्सा थीं। बाद में दिल्ली अदालत के अपर सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राना ने उसे जमानत दे दी। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए कहा कि प्रश्न यह है कि दिशा रवि पर कृषि क़ानूनों से असहमत होने और शांतिपूर्ण विरोध करने का आरोप है या क्या वह विरोध करने के बहाने राजद्रोह संबंधी गतिविधियों में संलिप्त थी?

इसके बारे में पुलिस का कहना था कि यद्यपि आरोपी का 26 जनवरी की हिंसा संबंधी घटनाओं से संबंध स्थापित करने का कोई साक्ष्य नहीं है किंतु इन परिस्थितियों के संदर्भ में आरोपी का व्यवहार देखने से यह स्पष्ट पता चलता है कि अलगाववादियों और कृषि क़ानूनों के विरोधियों के द्वारा अपने वास्तविक ख़तरनाक इरादों को अंजाम देने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया था। न्यायाधीश ने केदारनाथ सिंह के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले में कहीं गई बात के संदर्भ में कहा कि पुलिस ने उच्चतम न्यायालय की उस नजीर को बिना सोचे समझे लागू कर दिया है। संदेहास्पद व्यक्तियों से संबंध होना कोई अपराध नहीं है। इसलिए पुलिस द्वारा प्रस्तुत अल्प और अपूर्ण साक्ष्य के कारण मुझे 'जेल नहीं जमानत' के नियम के अनुपालन न करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है।

राजद्रोह के इसी प्रकार के आयामों को छूते एक मामले में उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला के विरुद्ध कारवाई की जाए क्योंकि उन्होंने अनुच्छेद 370 को हटाए जाने और राज्यों को दो संघ राज्य क्षेत्र में बाँटने के बारे में जो टिप्पणी की थी वह राजद्रोह के अंतर्गत आती है। उच्चतम न्यायालय ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा यह असहमति वाक् और अभिव्यक्ति की आज़ादी का एक हिस्सा है और इसलिए उसकी इस टिप्पणी को संविधान का संरक्षण प्राप्त है। सरकार के विरुद्ध असहमति जताना राजद्रोह नहीं हो सकता। अतः सरकार की राय के अनुसार असहमत होने से ही किसी को राजद्रोही की संज्ञा नहीं दी जा सकती। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने याची के वकील से बार-बार पूछा कि क्या वह इस बात का साक्ष्य दे सकते हैं कि फारुख अब्दुल्ला ने धारा 370 को पुनः लागू करने के लिए चीन और पाकिस्तान से समर्थन माँगा था किंतु याची अधिवक्ता इस बात को सिद्ध नहीं कर सके। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने याचिका को लाने के लिए याचियों पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। जिन लोगों ने याचिका फाइल की थी इस बारे में गंभीर नहीं दिखे क्योंकि उस बयान का वीडियो वह उच्चतम न्यायालय के समक्ष नहीं रख सके। फारुख अब्दुल्ला का चीन और पाकिस्तान का समर्थन माँगने वाला बयान टी.वी. चैनलों पर बार बार दिखाया और सुनाया गया था। याची के वकील ने उसे उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत क्यों नहीं किया? अगर वह बयान प्रस्तुत हो जाता तो उच्चतम न्यायालय में इस प्रकार के बयान की सत्यता का पता लग जाता और इस बात का भी देश को पता चलता कि उच्चतम न्यायालय इस प्रकार के बयानों को किस श्रेणी में रखता है। वैसे अगर वह बयान फेक था तो फारुख अब्दुल्ला को उसका विरोध करना चाहिए था कि उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा है जबकि टी.वी. चैनलों पर उनका यह बयान देशवासियों को बिल्कुल रुचिकर नहीं लगा था। इस प्रकार याची की याचिका के प्रति गंभीरता न दिखाए जाने पर इस मामले की सच्चाई देश के सामने आने से रह गई। 5 फरवरी, 2021 में उच्चतम न्यायालय में इस धारा की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए एक और याचिका दायर की गई है। अब देखना यह है कि भविष्य में इस पर क्या फैसला होता है।

❑

डॉ. विनोद बब्बर

संविधान, संसद और रामराज्य

यद्यपि भारत पश्चिमी परिभाषा वाला धर्मराज्य (थियोक्रेटिक-स्टेट) नहीं है परंतु भारतीय मानस का धर्म से गहरा संबंध है। हमारे दैनिक व्यवहार का संबंध जिस धर्म से है उसकी अवधारणा 'सर्वे भवंतु सुखिनः' है। वह धर्म का अर्थ परिस्थितियों द्वारा सौंपे गए कर्त्तव्य का शुद्ध अंतःकरण से पालन करना है। इसलिए भारत, भारतीयता और भारतीय संविधान व्यावहारिक धर्म आधारित है, न कि धर्मनिरपेक्ष।

मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम और भारत अभिन्न हैं। भारतीय मानस के अनुसार राम ही भारत है और भारत ही राम है। वे भारतीय संस्कृति के प्रतीक महानायक हैं। अतः इतिहास से वर्तमान तक राम-दर्शन का प्रभाव होना स्वाभाविक है। गांधीजी स्वराज और सर्वोदय के माध्यम से राम राज्य की बात करते थे। उनके शब्दों में, 'मैं एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहता हूँ जिसमें शराब जैसी बुराई का नामोनिशान न हो, जहाँ समाज में भेदभाव न हो, गौ-हत्या पाप हो और राम राज्य स्थापित हो।' सुप्रसिद्ध समाजवादी चिंतक डॉ. राम मनोहर लोहिया राम को समाज से असमानता मिटाने वाले नायक के रूप में देखते थे। उन्होंने रामायण मेलों का आयोजन कर राम राज्य के आदर्शों का प्रचार किया। यह सर्वविदित है कि किसी भी लोकतंत्र को चलाने के लिए अनुशासन, समन्वय और त्याग आवश्यक है तो रामायण जिस चरित्र को महामंडित करती है वह स्वयं में अनुशासन, समन्वय, त्याग का पर्याय है। संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है लेकिन यह अधिकार असीमित नहीं है। उसी प्रकार रामायण में भी नागरिकों तथा राजा से भी स्वतंत्रता के साथ मर्यादित व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। संविधान कृषि और उद्योग को बढ़ने देने की बात करता है तो वाल्मीकि रामायण भी कृषि आधार बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। वाल्मीकि रामायण के 100वें सर्ग में पूछे गए अनेक प्रश्नों के माध्यम से सक्षम राजा या सरकार के कर्त्तव्यों का उल्लेख है तो हमारा संविधान भी यहीं अपेक्षा करता है।

भारतीय संविधान में सीधे-सीधे राम राज्य की बात नहीं की गई है लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन तथा उससे पूर्व भी भारतीय मानस राम राज्य की कल्पना करता रहा है, उसकी छाप संविधान पर स्पष्ट झलकती है। भारत की हज़ारों वर्षों की सांस्कृतिक विरासत संविधान की हस्तलिखित मूल प्रति पर चित्रित है। सभी 22 अध्यायों के चारों ओर बार्डर तथा 28 चित्रों में धनुर्धारी श्रीराम, सीता-लक्ष्मण हैं तो अर्जुन को गीता ज्ञान देते श्रीकृष्ण भी हैं। नटराज हैं तो बुद्ध भी हैं। गुरुकुल में ऋषि और उनके शिष्यों का यज्ञ करते हुए चित्र है, छत्रपति

शिवाजी हैं, तो दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी भी हैं। पहला चित्र भारत के राष्ट्रीय चिह्न अशोक स्तंभ की लाट का है, जिसे संविधान के पहले पन्ने पर लगाया गया। हड़प्पा की ख़ुदाई से मिले घोड़े, शेर, हाथी और सांड के चित्र हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता की सील का चित्र भी है। गंगा अवतरण है, कुबेर हैं तो स्वस्तिक भी है।

केवल संविधान ही नहीं, संविधान की रक्षक भारतीय संसद भी उस भारतीयता का उद्घोष करती है जो धर्म को परिभाषित करती है। यथा, राज्य सभा के एक प्रवेश द्वार पर महाभारत के वन पर्व (207-74) के श्लोक 'अहिंसा परमो धर्मः धर्म हिंसा तथैव च' अर्थात् यदि अहिंसा मनुष्य का परम धर्म है और धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना उस से भी श्रेष्ठ है, का संक्षिप्त रूप 'अहिंसा परमो धर्मः' अंकित है। राज्य सभा के ही एक अन्य प्रवेश द्वार पर भगवद्गीता के (18-45) श्लोक से लिया गया वाक्य अंकित है 'स्वे-स्वे कर्मण्यभिरत संसिद्धि लभते नरः' हर व्यक्ति अपने-अपने कर्त्तव्यों का पालन करते हुए सिद्धि प्राप्त कर सकता है। अधिकार का भाव छोड़कर कर्त्तव्य की भावना से हमारे जनप्रतिनिधि आचरण करें, यह संदेश हम सब के लिए महत्त्वपूर्ण है। अधिकार की लड़ाई की राजनीति को कर्त्तव्य पालन की स्पर्धा में बदलना आज की महती आवश्यकता है।

मुंडकोपनिषद् के (3-1) में वर्णित 'सर्वदा सत्यमेव जयो भवति' का संक्षिप्त रूप 'सत्यमेव जयते' संसद की दीवारों पर अंकित है। यह बोध वाक्य 'सत्यमेव जयते' संदेश देता है कि सत्य की जय सुनिश्चित करना ही राजनीति का लक्ष्य होना चाहिए। ज्ञातव्य हो चार सिंहों की मुखाकृति वाले हमारे राष्ट्रीय चिह्न के नीचे भी 'सत्यमेव जयते' अंकित है। राज्य सभा के ही एक द्वार पर अंकित है 'सत्यं वद, धर्मं चर', तैत्तारियोपनिषद् के शिक्षावल्ली से लिया गया यह वाक्य सत्य वचन ही सत्य की प्रतिष्ठा में सहायक हो सकता है। इस बात का संकेत देकर आचरण के प्रति भी चेतावनी देता है कि हम धर्म के पथ का अनुकरण करें।

राज्य सभा के एक अन्य प्रवेश द्वार पर ऋग्वेद (1-164-46) से लिया गया बोध वाक्य अंकित है -- 'एकं सत् विप्रा बहुधा वदन्ति' सत्य एक ही होता है, विद्वत् जन उसकी कई तरीक़ों से व्याख्या करते हैं। विविध राजनीतिक चिंतन का अंतिम लक्ष्य 'देश हित' हो, यही हर देश का निर्विवाद सत्य है। आपसी समन्वय से इस सत्य को पाने के प्रयास का माध्यम है -- 'लोकतंत्र'। बहुदलीय लोकतंत्र में देशहित से समझौता किए बिना आपसी समन्वय स्थापित करने में यही बोध वाक्य हमारे लिए मार्गदर्शक बनेगा।

प्रवेश द्वारों से हटकर अब हम लिफ़्ट की ओर चलें तो प्रथम लिफ़्ट के गुबंद पर अंकित महाभारत (5-35-58) से लिया गया यह श्लोक सत्य एवं धर्म की बात को और अधिक स्पष्ट करता है --

न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः, वृद्धाः न ते ये न वदन्ति धर्मः।
धर्म सः न यत्र न सत्यमस्ति, सत्यम् न तत् यत् छलमभ्युपैति।।

वह सभा सभा नहीं होती, जिसमें वरिष्ठ जन न हों। वह व्यक्ति वरिष्ठ जन कहलाने के योग्य नहीं है, जिनके वचन धर्म-सम्मत न हों। वह वचन धर्म-सम्मत नहीं होते, जिनमें

सच्चाई न हो एवं वह वचन सत्य वचन नहीं हो सकते, जिनमें छल-कपट भरा हो। छल-कपट की राजनीति को हम जितना पारदर्शी बनायेंगे, छल-कपट की मात्रा उतनी ही कम होकर सभा की गरिमा बढ़ाती रहेगी।

लिफ़्ट क्रमांक 2 के गुबंद पर मनुस्मृति (8-13) से लिया गया यह श्लोक अंकित है, जो सभासदों को उनके आचरण एवं व्यवहार के प्रति सतर्क करता है --

सभां वा न प्रवेष्टव्यं, वक्तव्यम् वा समंजसम्।
अब्रुवन्, विबुवन् वापि नरो भवति किल्विषी।

भले ही कोई सभा में प्रवेश ही न करे, किन्तु जब प्रवेश करे तो ठीक तरह से धर्म एवं न्यायसंगत वचन ही बोलने चाहिए। जो सदस्य सभा में बोलेगा ही नहीं या झूठ बोलेगा, वह पाप का भागी होगा। भारत में पाप-पुण्य की अवधारणा ही मनुष्य को नैतिक एवं शुद्ध आचरण के लिए प्रेरित करती है। पुण्य के प्रति लगाव होने से ही भ्रष्टाचार मुक्त समाज की कल्पना साकार हो सकती है। पुण्यवान् होने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता है, उसका संकेत लिफ़्ट क्रमांक 3 पर अंकित श्लोक में उल्लिखित है-

दया मैत्री च भूतेषु दानम् च मधुरा च वाक्।
न ही दृशं संवनन् त्रिषुलोके वर्तते। (महाभारत, विदुर नीति)

प्राणी मात्र के प्रति दया, मैत्री, दान देने की प्रवृत्ति और मधुर संभाषण का स्वभाव यह चारों गुण एक साथ होना त्रिलोक में दुर्लभ है। इसके पीछे यही भाव है कि ऐसे दुर्लभ व्यक्ति ही जनप्रतिनिधि के नाते निर्वाचित होकर इस सभागृह में आने चाहिए। साथ ही यह भी अपेक्षित है कि अपने आप को इस प्रकार के दुर्लभ व्यक्तित्व से निखरित करना हर जनप्रतिनिधि का संकल्प बने। क्या यह संभव नहीं है?

लिफ़्ट क्रमांक 4 पर तो स्वयं शासक के लिए राजधर्म का पालन करने हेतु मार्गदर्शन करने वाला शुक्रनीति का श्लोक अंकित है --

सर्वदा स्यान्नृपः प्राज्ञः, स्वमते न कदाचन।
सभ्याधिकारिप्रकृति-सभासत्सुमते स्थितः।। (शुक्रनीतिः 2-3)

राजा (शासक) का हमेशा अत्यंत विद्वान् होना आवश्यक है। परंतु उनका कभी भी अपने व्यक्तिगत मत पर अड़े रहना उचित नहीं। उन्हें सदस्यों, अधिकारियों, सामान्य जन तथा सभा में उपस्थित सभासदों से सत्परामर्श कर निर्णय लेना चाहिए। प्रधानमंत्री तथा सभी विभागीय मंत्रियों की कार्यप्रणाली के लिए यह दिशा-निर्देश सार्वभौमिक है। प्रशासन में पारदर्शिता बनाये रखने की यही अनिवार्य शर्त है। संसद भवन के प्रथम द्वार से होकर केंद्रीय सभागृह के प्रांगण की ओर बढ़ते हैं तो प्रवेश द्वार के ऊपर लिखे इस श्लोक में वैश्वीकरण के आज के दौर में बढ़ रहे बाज़ारीकरण के बजाय परिवार भाव की भारतीय अवधारणा प्रतिपादित की गई है-

अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम्।
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्।। (महोपनिषद्, अध्याय 4, श्लोक 71)

यह मेरा है एवं वह दूसरे का है, ऐसा दृष्टिकोण छोटे मन वालों का होता है। उदार मन वालों के लिए तो पूरा विश्व ही एक अपना परिवार होता है। ऐसे उदारमना लोगों की संख्या बढ़े एवं पश्चिमी अवधारणा के कारण वैश्वीकरण में आये विकारों से समाज मुक्त होकर विश्व एक बाज़ार नहीं, एक परिवार बने; यही भारत की चाह है। भारत के नेतृत्व से ही यह परिवर्तन संभव हो पाएगा।

लोक सभा के अर्धचंद्राकार बाह्य लाबी में अरबी सूक्ति अंकित है --

इन्नलाहो ला युगय् यरो मा बिकौ मिन।
हत्ता युगय् यरो वा बिन क्तसे हुम।।

जब तक लोग परिवर्तन या बदलाव की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक सर्वशक्तिमान ईश्वर भी किसी समुदाय की परिस्थितियों को बदलेगा नहीं। स्पष्ट है कि जनप्रतिनिधियों का ईश्वर विश्वासी होना पर्याप्त नहीं है, उद्यमी होकर समाज परिवर्तन के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए कटिबद्ध होना आवश्यक है।

लोक सभा के सुविशाल कक्ष में सभाध्यक्ष की पीठ के पीछे दीवार पर 'ललित विस्तार' से ली गई बौद्ध चिंतन की यह अत्यंत प्रसिद्ध सूक्ति सभागृह में विद्यमान सभी सदस्यों को मनन करने की प्रेरणा देती है --

धर्मचक्र-प्रवर्तनाय। (ललित विस्तारः, अध्याय-26) अर्थात् धर्म की प्रक्रिया को गतिमान रखना ही हमारा लक्ष्य हो, यही हमारी कामना हो।

हमारे संविधान की उद्देश्यिका में स्वतंत्रता के अंतर्गत विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना को समाहित किया गया है। गांधीजी बार-बार राम राज्य की बात करते थे। यदि संविधान की मूल धारणा को समझे तो राम राज्य उससे अभिन्न नहीं है। राम राज्य के लिए कहा गया है --

सब नर करहि परस्पर प्रीति। चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति-नीति।।
चारिऊ चरन धर्म जग माही। पूरि रहा सपनेहुँ दुख नाही।।

अर्थात् सभी में आपसी प्रेम और सद्भाव हो, सब अपने-अपने धर्म का पालन करते हुए अपने व्यवहार को साकार करें।

हमारे संविधान की मूल प्रति के भाग 3 पर रामजी का चित्र है। 14 वर्ष का वनवास समाप्त कर पुष्पक विमान से सीता और लक्ष्मण संग अयोध्या आते हुए यह रेखाचित्र मूल अधिकार वाले अध्याय पर है। प्रत्येक भारतीय जानता है कि रामजी से अधिक मूल अधिकारों का रक्षक कोई और हो ही नहीं सकता। उन्होंने अपने मर्यादित आचरण से जहाँ माता-पिता को सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया वहीं केवट से शबरी और भीलों-वनवासियों तक सभी को गले लगाया। सभी को समानता और सम्मान प्रदान किया। यह हमारे संविधान निर्माताओं का विवेक है कि मूल अधिकार वाले अध्याय में रामजी को स्थान देकर संविधान के इस अध्याय की सार्थकता को सिद्ध किया।

हमारे संविधान की उद्देश्यिका में स्वतंत्रता के अंतर्गत विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना को समाहित किया गया है। संविधान भारत के सभी नागरिकों को जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण, क्षेत्र, भाषा, परम्परा का भेद किए बिना समान अधिकार देता है। सभी को अन्याय के प्रतिकार हेतु न्याय का द्वार खटखटाने का अधिकार है। बिना किसी भेदभाव सभी को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। लगभग यही भाव राम राज्य के विषय में गोस्वामी तुलसीदास का है --

फूलहिं फरहिं सदा तरु कानन। रहहिं एक संग गज पंचानन।।
खग-मृग सहज बयरु बिसराई। सबन्हि परस्पर प्रीति बढाई।।

राम राज्य ऐसा जहाँ हाथी, शेर और हिरण एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं। सभी आपसी दूरियाँ मिटाकर एक साथ प्रेम और सहयोग के साथ जीते हैं। वास्तव में,

प्रजा का सर्वविध कल्याण ही राजा का लक्ष्य होना चाहिए --

जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। सो नृप अवस नरक अधिकारी।।

इसके अतिरिक्त भी संविधान और रामचरितमानस की समानता को प्रकट करने वाले अनेक बिंदु हैं। यथा **सच्चा लोकतंत्र** --

जो पांचहि मत लागै नीका। करेहु हरषि हियं रामहि टीका।।

यदि आप सब पंचों को यह मत अच्छा लगे, तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र का राजतिलक कीजिए।

सत्यमेव जयते --

धरम न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुरान बखाना।।

वेद, शास्त्र, पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है।

नेतृत्व के गुण --

मुखिया मुख सो चाहिए खान-पान कहुं एक।
पालइ पोषइ सकल अंग तुलसी सहित विवेक।।

मुखिया मुख के समान होना चाहिए जो खाने-पीने को तो अकेला है, लेकिन विवेकपूर्वक सब अंगों का पालन-पोषण करता है।

राज्य प्रतिनिधि की संवेदनशीलता की पहचान --

निसिचर हीन करउं महि भुज उठाइ पन किन्ह।
सकल मुनिन्ह के आश्रम जाइ जाइ सुख दीन्ह।।

श्रीराम ने वन में असुरों के द्वारा खाए गए ऋषियों की अस्थियों के ढेर को देख प्रतिज्ञा की कि सारी पृथ्वी को राक्षस संस्कृति से मुक्त करने का संकल्प लेता हूँ तथा ऋषियों को आश्वस्त किया कि आप लोग निश्चिंत हो जाएँ।

कर्त्तव्य के प्रति सजगता, विवेक :--

गीधराज सुनि आरत बानी। रघुकुल तिलक नारी पहिचानी।
अधम निसाचर लीन्हें जाई। जिमि मलेछ बस कपिला गाई।।

गिद्धराज जटायु ने सीताजी की दुःखभरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्रजी की पत्नी हैं। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय म्लेच्छ के पाले पड़ गई हो।

सीते पुत्रि करसि जनि त्रासा। करिहउँ जातुधान कर नासा।।
धावा क्रोधवंत खग कैसें। छूटइ पबि परबत कहुँ जैसें।।

गिद्धराज जटायु ने कहा -- हे सीते पुत्री! भय मत कर। मैं इस राक्षस का नाश करूँगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर ऐसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो।

कल्याणकारी राज्य के लक्षण --

दैहिक दैविक भौतिक तापा। रामराज नहीं काहुहिं व्यापा।
सब नर करहिं परस्पर प्रीती। चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीती।।

राम राज्य में दैहिक, दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति मर्यादा में तत्पर रहकर अपने-अपने धर्म का पालन करते हैं।।

अल्पमृत्यु नहिं कवनिउ पीरा। सब सुंदर सब बिरुज सरीरा।।
नहिं दरिद्र कोऊ दुखी न दीना। नहीं कोऊ अबुध न लच्छन हीना।।

छोटी अवस्था में किसी की मृत्यु नहीं होती, न किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं। न कोई दरिद्र हैं न दुःखी है और न दीन ही है। न कोई मूर्ख है न कोई शुभ लक्षणों से हीन ही है। अर्थात् स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

सब निर्दंभ धर्मरत पुनी। नर अरु नारि चतुर सब गुनी।।
सब गुनग्य पंडित सब ग्यानी। सब कृतग्य नहिं कपट सयानी।।

राम राज्य मे सभी दंभ रहित हैं, धर्मपरायण हैं और पुण्यात्मा हैं... पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं। सभी गुणों का आदर करने वाले हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी एक दूसरे के किए हुए उपकार को मानने वाले हैं। छलकपट व धूर्तता किसी में नाममात्र भी नहीं है।

निडरता बनाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता --

एक बार रघुनाथ बोलाए। गुर द्विज पुरबासी सब आए।।
बैठे गुर मुनि अरु द्विज सज्जन। बोले बचन भगत भव भंजन।।

एक बार श्री रघुनाथजी के बुलाए हुए गुरु वसिष्ठ, विद्वान, ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। जब गुरु, मुनि, ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथायोग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म-मरण को मिटाने वाले श्री रामजी वचन बोले।

सुनहु सकल पुरजन मम बानी। कहउँ न कछु ममता उर आनी।।
नहिं अनीति नहिं कछु प्रभुताई। सुनहु करहु जो तुम्हहि सोहाई।।

हे समस्त नगर निवासियों! मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ। न अनीति की बात कहता हूँ और न इसमें कुछ प्रभुता ही है, इसलिए (संकोच और भय छोड़कर, ध्यान देकर) मेरी बातों को सुन लो और (फिर) यदि तुम्हें अच्छी लगे, तो

उसके अनुसार करो।

सोइ सेवक प्रियतम मम सोई। मम अनुसासन मानै जोई।
जौं अनीति कछु भाषौं भाई। तौ मोहि बरजहु भय बिसराई।।

वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है, जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई! यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो भय भुलाकर निःसंकोच मुझे रोक देना।

पर्यावरण संरक्षण, सुव्यवस्था --

उत्तर दिसी सरजु बह निर्मल जल गंभीर।
बांधे घाट मनोहर स्वल्प पंक नहीं तीर।।

अयोध्या के उत्तर दिशा में बहने वाली सरयू नदी का जल बिल्कुल स्वच्छ तथा गहरा है। जगह-जगह घाट बने हुए हैं तथा किनारों पर कहीं भी कीचड़ दिखाई नहीं देता।

सभी को समान अधिकार, समानता --

राजघाट सब बिधि सुंदर बर। मज्जहिं तहाँ बरन चारिउ नर।।
तीर तीर देवन्ह के मंदिर। चहुँ दिसि तिन्ह के उपबन सुंदर।।

राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ है, जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरयूजी के किनारे-किनारे देवताओं के मंदिर हैं, जिनके चारोंओर सुंदर उपवन बगीचे हैं।

यह हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त मतदान के अधिकार का चमत्कार है कि साधनहीन, वनवासी राम की तरह एक साधारण व्यक्ति भी किसी रावण (तानाशाह) को अपने ब्रह्मास्त्र (मताधिकार) से परास्त कर सकता है। लोकतांत्रिक संविधान के तरकस से वह अनैतिक आचरण वाले बालि को हटा किसी सुग्रीव का राजतिलक भी कर सकता है। हम भारतीय अपने शासक से राम के पदचिन्हों पर चलने की आपेक्षा करते हैं इसलिए उस परम्परा के विरुद्ध आचरण करने वाले को बहिष्कृत करने में हम क्षण भर की देरी नहीं करते। यथा तुलसी ने कहा भी है --

जाके प्रिय न राम वैदेही
तजिए ताहि कोटि बैरी सम, जद्यपि परम सनेही।

संविधान की व्यवस्था के अनुसार संचार विभाग द्वारा समय-समय पर जारी होने वाले डाक टिकटों में श्रीराम को महत्त्वपूर्ण सम्मान और स्थान दिया गया है। इस तरह से राम राज्य का अर्थ स्वयं को सभी रिश्ते नातों से अलग कर केवल और केवल प्रजा हित है। यथा उत्तर रामचरितम् नाटक में राम जी कहते हैं --

स्नेहं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकी मपि।
आराधनाय लोकानां मुन्चतो नास्ति मे व्यथा।।

प्रजा के लिए प्रेम, दया, सुख अथवा जानकी को छोड़ते हुए भी मुझे पीड़ा नहीं है। यक्ष प्रश्न यह कि क्या आज के नेता इसे समझने को तैयार हैं?

❑

रीना यादव

मानव अधिकार बनाम महिला अधिकार

मानव सभ्यता का विकास मानव को प्राप्त अधिकारों के बिना अधूरा है। मानव अधिकार मानव को जन्म से प्राप्त अधिकार हैं। मनुष्य अधिकारों के बिना जड़ एवं पशु समान है। मानव अधिकार मानव के जीवन के लिए प्राण वायु के समान है और यह कहना अतिश्योक्ति नहीं है।

मानवीय समानता के दृष्टिकोण से समाज में महिला और पुरुष समान होते हैं परंतु जब अधिकारों की बात आती है तब पुरुष सदैव महिलाओं से आगे खड़ा दिखाई देता है। इतिहास के प्रत्येक कालखंड में प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल में अधिकारों के संबंध में महिलाएँ पुरुषों से कमतर रही हैं। परंतु परिवर्तन के इस युग में महिलाओं के हित में वैश्विक रूप से प्रयास किए गए हैं। अमेरिका, यूरोप जैसे राष्ट्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला अधिकारों के लिए जन जागरुकता बढ़ी और वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों एवं भेदभाव को रोकने के प्रयास किए।

"संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में यह कथन था कि संयुक्त राष्ट्र के लोग यह विश्वास करते हैं कि कुछ ऐसे मानव अधिकार हैं जो कभी छीने नहीं जा सकते, मानव की गरिमा है और स्त्री, पुरुष के समान अधिकार हैं।"[1]

इस घोषणा को स्वीकृत करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर, 1948 को मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा की।

"मानव अधिकार संबंधी इस सार्वजनिक घोषणा-पत्र में 30 धाराएँ हैं जिनमें कहा गया है कि सभी मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र हैं और प्रतिष्ठा व अधिकारों के मामले में समान हैं। राष्ट्र, रंग, रूप, भाषा, धर्म और लिंग आदि किसी भी आधार पर उनमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपने अधिकारों को हासिल करे और स्वतंत्र रहे। सभी को जीवन जीने में स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार है। किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वह किसी के साथ क्रूरतापूर्ण अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार करे।"[2]

मानव अधिकार वे अधिकार है; जो मनुष्य को स्वतंत्रता, समानता एवं सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार देते हैं। वास्तविकता में मानव अधिकारों के संबंध में वैश्विक पटल पर देखा जाए तो विश्व में कोई ऐसा राष्ट्र नहीं जहाँ मानव अधिकारों का किसी-न-किसी रूप

में उल्लंघन न होता हो। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, ''विश्व की लगभग आधी से अधिक आबादी। यह मानवीय अधिकारों से वंचित है। यह मानवीय अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में एक बड़ी चुनौती है। लोकतांत्रिक एवं विकासशील भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण राष्ट्र है। भारत का संविधान मौलिक अधिकार प्रदान करता है जिसमें महिला और पुरुष दोनों को समानता का अधिकार देता है। भारतीय संविधान में व्यक्ति, परिवार, समाज एवं राष्ट्र के संबंध में प्रदत्त प्रावधानों का अंतिम लक्ष्य देश के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, न्याय मिल सके तथा अवसरों की समानता हो तभी महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार मिले जिससे वे बिना किसी भेदभाव के अपना विकास कर सकें।

किसी देश की तरक्की तब तक संभव नहीं मानी जाती जब कि उसे देश की महिलाओं की तरक्की न हो। मानवीय सभ्यता में स्त्री और पुरुष दोनों की समान रूप से सृजनात्मक भूमिका होती है। आज के वैश्विक युग में महिलाएँ भी उतना ही महत्त्वपूर्ण हिस्सा है जितना की पुरुष, आज जहाँ नारी उत्थान एवं समानता की बात कही जाती है वहाँ उसे अब भी गर्भ से ही लिंग भेद का सामना करना पड़ता है। महिलाओं को प्राप्त प्रत्येक अधिकार से महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। उन्हें अधिकारों के प्रयोग से वंचित होना पड़ता है।

भारतीय संविधान के जनक निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं के महत्त्व के संबंध में कहा कि ''अपनी गृहिणी अच्छे परिवार से आए; ऐसी आशा सभी रखते हैं। किंतु जब तक उनके लिए स्वस्थ परिवारों को निर्माण नहीं होगा तब तक अच्छी गृहिणी का निर्माण नहीं होगा। नारी की उन्नति के साथ ही परिवार की उन्नति का प्रश्न जुड़ा हुआ है। अतः नारी के महत्त्व को स्वीकारा जाना चाहिए।''[3]

डॉ. भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि उनके जीवन के दो मुख्य उद्देश्य है; एक अछूतों की मुक्ति और दूसरा भारतीय नारी का उद्धार। भारतीय संविधान के अंतर्गत महिलाओं को कई संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए हैं जो उन्हें सशक्त करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण है। भारतीय संविधान में महिलाओं के अधिकार -- मूल अधिकारों के रूप में अनुच्छेद 14, 15, 16, 21, 23, 39, 42, 43, 44, 243 (घ) 325 एवं अनुच्छेद 326 महत्त्वपूर्ण है।

अनुच्छेद 14 -- विधि के समक्ष समता।
राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान सरंक्षण से वंचित नहीं करेगा।

अनुच्छेद 15 -- धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध।

अनुच्छेद 16 -- लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता।

अनुच्छेद 21 -- प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण।

अनुच्छेद 23 -- मानव के दुर्व्यापार और बालश्रम का प्रतिषेध

अनुच्छेद 39 -- राज्य, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार।

अनुच्छेद 42 -- काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध।

अनुच्छेद 43 -- कर्मकारों के लिए निर्वाह मज़दूरी।

अनुच्छेद 44 -- नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता।

अनुच्छेद 325 -- धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित लिए जाने का दावा न किया जाना।

अनुच्छेद 326 -- लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना।''[4]

उपर्युक्त सभी अधिकार महिलाओं को संवैधानिक अधिकारों के रूप में प्राप्त हैं जो उन्हें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, लैंगिक समानता प्रदान करते हैं। आज भले ही कितने ही अधिकार दिए जाएँ; लेकिन यदि उनका वास्तविक क्रियान्वयन नहीं होगा, वे अधिकार बेमानी हैं। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में पुरुष सदैव प्रधान ही है। अधिकतर महिलाओं को असल रूप में स्वतंत्रता नहीं मिली है। महिला प्रत्येक क्षेत्र में अधिकारों एवं स्वतंत्रता के लिए आंदोलनों के रूप में संघर्षरत हैं। 21वीं सदी में महिलाएँ जिन्हें कहने को तो क़ानूनी सुरक्षा प्राप्त है, आज मीडिया भी उनके हितों का ख़्याल रखता है, सामाजिक कार्यकर्त्ता भी सक्रिय हैं लेकिन आज भी वे दूसरे दर्जे की नागरिक मानी जाती हैं।

भारतीय संविधान समानता के अधिकार के साथ-साथ लैंगिक समानता के अधिकार की गारंटी देता है किंतु भारतीय समाज में आज भी स्त्री-पुरुष में भेदभाव दिखता है। समाज की छोटी-इकाई परिवार है जिसमें गर्भ से ही लड़के-लड़कियों में भेद किया जाता है।

आज हम कितने ही महिला अधिकार बना दें लेकिन जब तक पुरुषवादी सोच समाप्त नहीं होगी तब तक समानतावादी दृष्टिकोण नहीं आएगा तथा कथनी और करनी में अंतर नहीं होगा।

आज हमारे देश मे कन्या-भ्रूण-हत्या, लिंग-भेद, बढ़ती मातृत्व मृत्यु-दर महिलाओं के ख़िलाफ बढ़ते अपराध से समाज में महिलाओं की स्थिति का वास्तविक आभास हो जाता है।

जहाँ महिलाओं के संविधान प्रदत्त मानव अधिकार महिलाओं को सक्षम बनाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं; वहीं आज हमारे देश की न्याय व्यवस्था की उच्चतम इकाई सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने (उच्चतम) भी महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में कई महत्त्वपूर्ण क़ानूनी अधिकार प्रदान किए हैं --

1. सती प्रथा निवारण अधिनियम, 1987
2. दहेज निवारण अधिनियम, 1961 (संशोधित 1986)
3. अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956 (संशोधित 1986)
4. बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 (संशोधित 1976)
5. औषधियों द्वारा गर्भ गिराने से संबंधित अधिनियम, 1971
6. स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिबंध) अधिनियम, 1986
7. चलचित्र अधिनियम, 1952
8. विशेष विवाह अधिनियम, 1954
9. प्रसवपूर्व निदान तकनीकी अधिनियम, 1994
10. समान परिश्रमिक अधिनियम, 1976
11. 73वाँ एवं 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1993[5]

घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005, महिला सुरक्षा हित में महत्त्वपूर्ण क़ानून है।

देश के माननीय न्यायालय द्वारा महिला हितार्थ सक्रिय भूमिका निभाते हुए समय-समय पर कई महत्त्वपूर्ण निर्णय जैसे -- 'कृष्णा भट्टाचार्य बनाम सारथी चौधरी'[6] मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवाह में दिए गए 'स्त्रीधन' पर महिला का ही हक़ है।

- 'विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997)'[7] में कार्यस्थल पर यौनशोषण के विरुद्ध अधिकार।
- 'एयर इंडिया बनाम नरगिस मिर्जा (1981)'[8] में गर्भावस्था में सेवामुक्ति शर्त अवैध घोषित किया।
- 'सी.वी मुथम्मा बनाम भारत संघ (1979)'[9] में कर्मचारी महिला को विवाह से पूर्व अनुमति लेना अवैध है।
- 'इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य'[10] मामले में सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति से संबंधित है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारतीय महिला हितार्थ समय-समय पर संज्ञान लेते हुए कई महत्त्वपूर्ण मामलों में सटीक निर्णय दिए हैं। महिलाएँ बदलते सामाजिक परिवेश में स्वयंसिद्धा होने का प्रयास कर रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि वे आज़ादी से अब तक कई महिलाएँ शिक्षित हुई हैं -- महिलाएँ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शैक्षिक विधि विज्ञान, साहित्य मीडिया, चिकित्सा, खेल, उद्योग, सेना, आई.टी. आदि कई क्षेत्रों में सफलतापूर्वक प्रतिनिधित्व कर रही हैं। परंतु आज भी पुरुष प्रधान समाज की सोच प्रबल है। महिलाओं को असली आज़ादी नहीं मिली है।

''सन् 2001 की जनगणना के मुताबिक़ भारत में प्रति हज़ार लड़कों पर लड़कियों की संख्या 927 थी, जो 2011 में गिरकर 918 रह गई। ग़रीबी, कुपोषण और स्वास्थ्य सेवाओं

का अभाव आज भी मातृत्व एवं शिशु-मृत्यु-दर का एक बड़ा कारण बना हुआ है। ग्रामीण भारत में क़रीब 60 प्रतिशत लड़कियों की शादी आज भी 18 साल से पहले हो जाती हैं। क़रीब इतनी महिलाएँ 19 साल की उम्र तक माँ बन जाती है। मातृत्व मृत्यु दर के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है। एक लाख से अधिक महिलाओं की मौत गर्भावस्था और इससे संबंधित जटिलताओं के कारण हो जाती है। सिर्फ़ 53 प्रतिशत महिलाओं को टिटनेस के इंजेक्शन लग पाते हैं। और महज़ 46 प्रतिशत महिलाओं को रक्तचाप मापने जैसी सुविधाएँ मिल पाती हैं। 80 प्रतिशत महिलाएँ अभी भी एनीमिया की शिकार है। दो तिहाई प्रसव घर पर ही होते हैं और सिर्फ़ 43 प्रतिशत महिलाओं की देखरेख हेल्थ प्रोफ़ेशनल की निगरानी में हो पाती है।

महिला साक्षरता की तस्वीर भी निराशाजनक है। 1951 में 25 प्रतिशत पुरुष और महज 7 प्रतिशत महिलाएँ शिक्षित थीं। 2001 की जनगणना के मुताबिक़ 54 प्रतिशत महिलाएँ लिख-पढ़ सकती थीं। 2011 में महिला साक्षरता दर 65.46 प्रतिशत तथा पुरुष साक्षरता दर 82.14 प्रतिशत तथा दर्ज की गई है।''[11]

उपर्युक्त आँकड़े महिलाओं की देश में वास्तविक स्थिति का आकलन करते हैं। आज भी हमारे गाँवों में बाल-विवाह जैसी कुरीति व्याप्त है। अक्षय तृतीया को प्रतिवर्ष अबूझ मुहुर्त पर लड़के-लड़कियों का बाल-विवाह कराया जाता है हालाँकि प्रशासन एवं पुलिस की मुस्तैदी से काफ़ी हद तक उसे रोका भी जाता है परंतु आज के आधुनिक काल में महिलाओं के स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। अशिक्षा एवं रूढ़िवादिता महिला सशक्तिकरण में रुकावट का कारण भी है।

महिलाओं के प्रति देश में आज भी बढ़ते अपराध हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई है। बलात्कार, हिंसा, यौन-शोषण, लिंगभेद, तस्करी, दहेज, वेश्यावृत्ति, शारीरिक मानसिक उत्पीड़न जैसी घटनाएँ महिला अधिकारों एवं महिला क़ानूनों को कमज़ोर करती हैं। बलात्कार जैसी घटनाओं के पीछे बीमार पुरुषवादी मानसिकता है, जो नारी शोषण को अपना अधिकार मानते हैं। देश में लिंगानुपात के आँकड़े --

1961	--	941,	2011	--	943
1971	--	930,	2012-14	--	906
1991	--	927,	2013-15,	--	900
2001	--	933,	2014-16	--	898[12]

उपर्युक्त आँकड़े देश में लिंगानुपात को दर्शाते हैं गर्भ में बच्चियों को मार डालने एवं गिरते लिंगानुपात को कम करने हेतु 25 वर्ष पहले पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 में बनाया गया। अवैध तरीक़े से लिंग निर्धारण दंडित करने हेतु बने क़ानून के बावजूद भी लिंगानुपात की स्थिति चिंताजनक है।

महिलाओं के प्रति भेदभाव ख़त्म करने, समान अधिकार देने, सामाजिक, आर्थिक,

राजनीतिक एवं अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में सक्षम करने हेतु हमारे देश की सरकारें समय-समय पर कई महत्त्वपूर्ण महिला हित में योजनाएँ बनाती हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय भी पुराने एवं अप्रांसगिक क़ानूनों को नया रूप देने, न्यायिक सक्रियता में रचनात्मक भूमिका निभाता आया है।

वर्तमान में महिलाओं के प्रति सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे; राजनीति में महिलाएँ प्रमुख उच्च पदों पर पहुँची हैं। इंदिरा-गांधी, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, सुषमा स्वराज, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, मायावती, जयललिता, वसुंधरा राजे, प्रतिभा पाटिल आदि। खेल में -- पी.टी. ऊषा, सानिया मिर्जा, सानिया नेहवाल, हिमा दास, मैरी कॉम आदि। विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं ने उच्च मुक़ाम पाया है। टेसी थॉमस, बच्छेंद्रीपाल, भक्ति शर्मा, अपूर्वी चंदेल, टीना डाबी, इंदिरा नूयी, कल्पना चावला, सुनिता विलियम्स नौसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह (वर्ष 2019, दिसंबर) आदि। ''17वीं लोक सभा में कुल 78 महिला सांसद चुनी गई है। 1951-52 के पहली लोक सभा के मुक़ाबले यह संख्या तीन गुनी ज़्यादा है। 2019 में महिलाओं की जीतने की दर पुरुषों से ज़्यादा रही। 2014 में 64 महिला सांसद चुनी गई थी।''[13]

फोर्ब्स की सूची 'अमेरिकाज रिचेस्ट सेल्फ़ मेड वीमन 2012' में भारतीय मूल की तीन महिलाओं ने जगह बनाई है।

- जयश्री उल्लाल 18वाँ स्थान
- नीरजा सेठी 23वाँ स्थान
- नेहा नरखेड़े 60वाँ स्थान[14]

उपर्युक्त सभी आँकड़े महिलाओं की समाज में सशक्तिकरण के कुछ उदाहरण है। परंतु यह देश की सभी महिलाओं को मात्र प्रतिनिधित्व करता है। वास्तविकता में, स्थिति इसके विपरित भी है।

वर्तमान में महिला सशक्तिकरण हेतु योजनाएँ जैसे मिशन इंद्रधनुष, प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना, प्रसूति अवकाश अवधि बढ़कर 26 हफ़्ते प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान बेटी-बचाओ, बेटी पढ़ाओ। प्रधान मंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना आदि कई महत्त्वपूर्ण योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं। 20 मार्च, 2020 को निर्भया कांड के दोषियों को फाँसी देना देश में बलात्कारियों को एक कड़ा सबक़ है।

देश में महिलाओं के प्रति उनके अधिकारों एवं क़ानूनों के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक हुआ है परंतु यह इतना काफ़ी नहीं है। हमें सशक्त मानसिकता के साथ महिलाओं को समानता का अधिकार एक आवश्यक हथियार के रूप में देना होगा जिसके द्वारा वह अपने अस्तित्व को बनाए एवं बचाए रख सकने में मददगार साबित हों। नारी समानता का नारा मात्र नारा बन कर न रह जाए। पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं ने अपने मेहनत व संघर्ष एवं समर्पण से दुनिया की इस आधी आबादी ने अपना परचम लहराया है; एक मिसाल क़ायम की है।

लेकिन महिलाओं को और अधिक मज़बूत क़दमों से आगे बढ़ना होगा शिक्षित होना होगा अपने अधिकारों के प्रति सजग एवं जागरूक होना होगा। तभी महिलाएँ अपने अधिकारों का वास्तविक उपयोग कर पाएगी। मात्र मानव अधिकारों एवं महिला अधिकारों के निर्माण से ही समाज में पुरुष एवं महिला समानता नहीं आएगी। इसके लिए पुरुषवादी विचारधारा को भी बदलना होगा। महिलाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से पुरुषों द्वारा आगे बढ़ाने में सकारात्मक मदद करनी होगी।

स्त्रियों को कमज़ोर मानना असंवैधानिक है। शास्त्रों में भी स्त्री को शक्ति रूपा कहा है। पुरुष यदि वास्तविकता में महिला को सशक्त करना चाहते हैं तो पुरुषों द्वारा महिलाओं को स्वतंत्रता, समानता और सम्मान देना होगा और यही समय की माँग है।

❑

संदर्भ

1. https://him.wikipedia.org
2. पांडेय आई.सी प्रधान श्याम नारायण पांडेय रमेश 'महिलाओं के अधिकार', सुधाली पब्लिशर्स, नई दिल्ली, पृ. 1
3. कैम प्रशांत (विशेष संवाददाता पब्लिक एशिया) 'महिला चिंतन डॉ. अंबेडकर का मूल चिंतन' (आलेख); 'बेटियों' महिला सशक्तिकरण को समर्पित राष्ट्रीय पत्रिका, अप्रैल 2014, अंक, पृ. 8
4. भारत का संविधान, वेयर एक्ट, 1 अप्रैल 2019 को यथा विद्यमान, पृ. 6, 8, 11, 13, 21, 22, 187
5. प्रो. जोशी पी. आर., 'मानव अधिकार एवं कर्त्तव्य' अभिनव प्रकाशन, जयपुर, 2005, पृ. 130
6. AIR 2016, 2 SCC 705, 2016 Cri LJ 330
7. AIR 1997, SC 3011
8. AIR 1981, SCC 1829
9. AIR 1974, SCC 1868
10. AIR 1987, 748, 1986 SCR (3) 518
11. उमाशंकर मिश्र, 'अब बेटी भी खुल के बोलेगी', (आलेख), कुरूक्षेत्र अंक 18, जून 2015, पृ. 28
12. राजस्थान पत्रिका, सोमवार, 10 जून 2019, पृ. 20
13. राजस्थान पत्रिका 6 जून, 2019, पृ. 1
14. राजस्थान पत्रिका, 8 जून, 2019 पृ. 17

डॉ. सुदर्शन वर्मा एवं नीतेश कुमार चतुर्वेदी

नए कृषि क़ानूनों के माध्यम कृषि एवं कृषकों के हितों के संरक्षण एवं संवर्धन : संशय/समाधान

सामान्य परिचय

सूचना एवं संचार तकनीकी के क्षेत्र में विज्ञान तकनीकी एवं अभियांत्रिकी के विकास के कारण भारत विश्व के मानचित्र में स्वयं को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में स्थापित करने के लिए तीव्र गति से अग्रसरित हो रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात् से ही भारतीय सरकार का प्रथम उद्देश्य विज्ञान तकनीकी एवं अभियांत्रिकी के विकास की ओर रहा है इसका तात्पर्य यह एकदम नहीं है कि अन्य क्षेत्रों की प्रगति की अनदेखी की गई है प्रगति की अनदेखी की गई है। भारत ने पिछले लगभग 74 वर्षों में अपने अथक प्रयासों से प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति की है। एक कृषि प्रधान राष्ट्र के रूप में जाना जाने वाला भारतवर्ष अन्य क्षेत्रों में प्रगति के लिए जाना जाता है परंतु कृषि प्रधान राष्ट्र के रूप में कृषि क्षेत्र में अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी है यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि स्वतंत्रता के पश्चात् भारतवर्ष में कृषि न केवल जीवनयापन का साधन है अपितु इसने जीवनयापन के साथ ही साथ व्यापार का एक बड़ा क्षेत्र अधिग्रहीत कर लिया है।

भारत न केवल खाद्यान्न के विषय में आत्मनिर्भर हो चुका है अपितु खाद्यान्न के एक बड़े निर्यातक के रूप में भी उभरा है। विगत लगभग 74 वर्ष की कृषि क्षेत्र में हुई आशातीत प्रगति के पश्चात् भी सूखा, बाढ़, पाला, कीड़ा लगना एवं कृषि उत्पादन का सही मूल्य न मिलना इत्यादि अनेक कारणों से क़र्ज़ के बोझ से दबे हुए किसान प्रतिवर्ष हज़ारों की संख्या में आत्महत्या कर लेते हैं।

21वीं सदी के भारत में आज भी अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ कृषि है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2019-20 में कुल सकल घरेलू उत्पाद में क़रीब 16.5 प्रतिशत की भागीदारी कृषि क्षेत्र की है।[3] आज भी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता 138 करोड़ नागरिकों को दोनों समय भोजन उपलब्ध कराना है। इसके लिए भारत सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों तक अनाज पहुँचाने का प्रयास कर रही है जिसके अंतर्गत वर्ष 2013 में शुरू की गई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, मध्याह्न भोजन इत्यादि इन योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनाज की आपूर्ति किसानों द्वारा होती है अर्थात् किसानों से अनाज ख़रीद कर भारतीय खाद्य निगम एवं अन्य संस्थानों के माध्यम से इसे कृषि उपयोग को भंडारित करती है तथा

केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग़रीब शोषित एवं वंचित नागरिकों को भोजन की सुरक्षा प्रदान करने के लिए अनाज उपलब्ध कराती है।

भारतीय संविधान एवं कृषि कानूनों की संवैधानिकता

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत कृषि राज्य सूची का विषय हैं।[5] भारत सरकार का कृषि मंत्रालय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के कृषि से संबंधित कार्य एवं किसानों के विकास एवं हित का अधीक्षण करता है। विभिन्न राज्यों ने कृषि मंडियों के संचालन के लिए कृषि उपज विपणन समिति अधिनियम सृजित किए हैं क्योंकि कृषि मंडियों का विनियमन राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में होता है, परंतु केंद्र सरकार ने किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020 के माध्यम से राज्यों के इस अधिकार को केंद्रीय विधायिका को हस्तांतरित कर लिया है। पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में विपक्षीय दलों के राज्य सरकारों ने इस क़ानून पर आपत्ति दर्ज की है तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा कृषि उपज विपणन समिति (एपी.एम.सी.) अधिनियम में संशोधन कर पुनः कृषि मंडियों एवं आढ़तियों के मामलों को अपने हाथों में ले लिया है तथा कृषि उपज विपणन समिति (ए.पी.एम.सी.) अधिनियम में संशोधन कर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 255[6] के अंर्तगत राष्ट्रपति से इस क़ानून की मंजूरी की शिफारिस की है। केंद्र सरकार का तर्क है कि कृषि उत्पादों का विनियमन, आयात निर्यात इत्यादि उसके अधिकार क्षेत्र का विषय है। इन्हीं प्रावधानों के माध्यम से इन कृषि क़ानूनों का निर्माण किया है जिससे कृषि किसानों के आय स्रोत बढ़ सकें और उनका आर्थिक विकास हो।

कृषि, कृषक एवं कृषि क़ानून

भारत जैसे कृषि प्रधान देश में आज भी 54.5 प्रतिशत आबादी अर्थात् 62 करोड़ लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यो में संलग्न हैं। आज भी कृषि क्षेत्र में कुल श्रम का लगभग 50 प्रतिशत का प्रयोग होता है, जबकि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की भागीदारी मात्र 16.5 प्रतिशत है। वर्ष 2015-16 की कृषि जनगणना के अनुसार 86 प्रतिशत किसान 5 एकड़ से कम कृषि जोत योग्य भूमि के स्वामी हैं, और इसमें भी 80 प्रतिशत कृषि भू-स्वामी 02 एकड़ भूमि के स्वामी हैं।[8]

किसानों की समस्या को पिछले कई दशकों से गहराई से समझा ही नहीं गया, सत्ता चाहे अंग्रेज़ों की रही हो या किसान हितैषी कही जाने वाले हमारे अपने राजनीतिक दलों की। स्वतत्रंता से पूर्व की ब्रिटिश सरकार अथवा स्वतत्रंता के पश्चात् भारत सरकार के किसी प्रयास से किसानों को बहुत लाभ नहीं मिला। दूसरी तरफ़, अभिजात्य वर्ग की पूँजी बढ़ती गई। वर्ष 2000 में एक प्रतिशत अभिजात्य वर्ग के पास देश की 37 प्रतिशत पूँजी थी, जबकि मात्र 63 प्रतिशत पूँजी 99 प्रतिशत लोगों, अर्थात् किसान, मज़दूर, मध्यम वर्ग के पास थी। वर्ष 2005 में यह

पूँजी बढ़कर 42 प्रतिशत, 2010 में 48 प्रतिशत और 2012 में 52 प्रतिशत हो गई। 2017 में यह पूँजी बढ़कर 59 प्रतिशत हो गई है। इससे देश में ग़रीब और ग़रीब, अमीर और अमीर होता जा रहा है। अमीरी ग़रीबी की बढ़ती खाई भी किसानों की आत्महत्या एवं आंदोलन की मुख्य वजह के रूप में नज़र आती है।[9]

जैसाकि ऊपर कहा गया है कि भारत में कृषि एवं कृषक हित सदैव ही उपेक्षित रहें है। अतः भारत सरकार कृषि एवं कृषकों के हितों के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रबंधन हेतु 3 नए कृषि विधेयकों को संसद में प्रस्तुत किया क्योंकि पूर्व में कोविड महामारी के दौर में जारी लाकडाउन के दौरान सर्वप्रथम 5 जून, 2020 को केंद्र सरकार ने अध्यादेश के रूप में इन तीनों कृषि क़ानूनों को प्रख्यापित किया था[10] तथा संसद से स्वीकृति प्राप्त कराने हेतु इन कृषि विधेयकों को केंद्र सरकार ने सितंबर महीने में 3 नए कृषि विधेयक लाई थी, जिस पर 24 सितंबर, 2020 को राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद वे क़ानून बन चुके हैं, लेकिन किसानों को ये क़ानून रास नहीं आ रहे हैं, अर्थात् किसानों का कहना है कि इन क़ानूनों से किसानों को नुक़सान और निजी ख़रीदारों एवं बड़े आद्यौगिक घरानों को फ़ायदा होगा, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य ख़त्म होने का भी डर है। केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्यमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का यह तर्क है कि इन तीनों अधिनियमों द्वारा किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण उपाय है।

हम इन तीनों कृषि क़ानूनों का संक्षेप में अध्ययन करेंगे जो निम्नलिखित हैं --

क. किसान उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) अधिनियम, 2020

इस अधिनियम का उद्देश्य विभिन्न राज्य विधानसभाओं द्वारा गठित कृषि उपज विपणन समितियों (ए.पी.एम.सी.) द्वारा विनियमित मंडियों के बाहर कृषि उपज की बिक्री की अनुमति देना है, इस अधिनियम के संबंध में सरकार के द्वारा यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि इस क़ानून के माध्यम से अब किसान कृषि उपज विपणन समितियों (ए.पी.एम.सी.) मंडियों के बाहर भी अपनी उपज को ऊँचे दामों पर बेच पाएँगे एवं निजी ख़रीदारों से बेहतर मूल्य प्राप्त कर पाएँगे।

यह अधिनियम केंद्रीय विधायिका द्वारा निर्मित है तथा इस अधिनियम के उद्देश्यों के अनुसार कृषि व्यापार के तौर-तरीक़ों में परिवर्तन के माध्यम से प्रारंभ किया गया है। किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम 2020 के अंतर्गत किसान की परिभाषा है,[11] जो स्वंय अथवा मज़दूरी देकर अन्य लोगों द्वारा कृषि उत्पाद[12] में संलग्न हो। इस परिभाषा के अनुसार कृषि उत्पाद संगठन[13] (कंपनियाँ) भी किसान की परिभाषाओं में शामिल हो जाएँगी, यह सही नहीं होगा। किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020 द्वारा प्रस्तावित विवाद समाधान तंत्र किसानों के लिए बहुत जटिल है।[14]

सरकार का तर्क है कि नई व्यवस्था में किसानों को मध्यस्थों से छूट मिलेगी और खुले बाज़ार में बेचते हुए उन्हें मंडी शुल्क और मध्यस्थों का कमीशन नहीं देना पड़ेगा और उनके

पास ज़्यादा विकल्प होंगे। इसमें किसान को उपज के बदले में ज़्यादा पैसा मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कृषि वस्तुओं की सरकारी ख़रीद पूर्व की भाँति कृषि उपज विपणन समितियों (ए.पी.एम.सी.) मंडियो में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) पर ही जारी रहेगी और उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन, सरकार ने इस क़ानून के जरिए ए.पी.एम.सी. मंडियों को एक सीमा में बाँध दिया है, कृषि उपज विपणन समितियों (एग्रीकल्चरल प्रोडयूस मार्केट कमेटी) के स्वामित्व वाले (मंडियों) को उन अधिनियम में शामिल नहीं किया गया है, इसके जरिए बड़े कारपोरेट को खुली छूट दी गई है, बिना किसी पंजीकरण और बिना किसी क़ानून के दायरे में आए हुए वे किसानों की उपज ख़रीद-बेच सकते हैं। किसानों को यह भी डर है कि सरकार धीरे-धीरे न्यूनतम समर्थन मूल्य ख़त्म कर सकती है, जिस पर सरकार किसानों से अनाज ख़रीदती है, लेकिन केंद्र सरकार का स्पष्ट कहना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य ख़त्म नहीं किया जाएगा।

किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020 का भाव यह है कि मध्यस्थों से बचाकर किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले। इस संबंध में यह संशय उत्पन्न हो रहा है कि मंडी शुल्क से मुक्त होने के कारण व्यापारियों[15] और कंपनियों को स्वाभाविक रूप से मंडी से बाहर ख़रीदने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा? ऐसे में मंडी का महत्त्व ही नहीं रहेगा। किसान भी 'मंडी' से बाहर बिक्री करने के लिए बाध्य होगा। ऐसे में बड़ी ख़रीदार कंपनियाँ किसानों का शोषण कर सकती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी हो और न्यूनतम मूल्य से कम पर ख़रीद ग़ैर-क़ानूनी घोषित हो। केवल सरकार ही नहीं कोई भी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर उपज न ख़रीद पाए। जब ग़ैर कृषि औद्योगिक उत्पादों को कंपनियाँ स्वयं द्वारा निर्धारित क़ीमत अधिकतम ख़ुदरा मूल्य (एम.आर.पी.) पर बेचती है, जो उनकी उत्पादन लागत से कहीं ज़्यादा होती है, तो किसान को भी कम-से-कम अपनी लागत पर आधारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपना माल बेचने की सुविधा होनी चाहिए।

ख. किसान (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएँ अधिनियम, 2020

किसान (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) मूल्य आश्वासन अनुबंध और कृषि सेवा समझौता अधिनियम, 2020, के माध्यम से केंद्रीय विधायिका ने कृषि उत्पाद के लिए निजी कंपनियों अथवा व्यक्तियों द्वारा किसानों के साथ अनुबंध कृषि (Farming Agreement) के समझौते की व्यवस्था की गई है।[16] जैसा कि हमें ज्ञात है कि अनुबंध कृषि कोई नई शब्दावली नहीं है, प्राचीन भारतीय कृषि व्यवस्था में यह अस्तित्व में है, उदाहरणार्थ मध्य प्रदेश, पंजाब इत्यादि राज्यों में अनुबंध कृषि का कार्य पहले से जारी है। हालाँकि यह एक प्रगतिशील क़दम है, लेकिन इस क़ानून में समस्या यह है कि विवाद की स्थिति में किसान को सही समाधान मिलने के लिए व्यवस्था से संबंधित समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

इस क़ानून का उद्देश्य अनुबंध कृषि यानी फार्मिंग एग्रीमेंट की इज़ाज़त देना है, आपकी

ज़मीन को एक निश्चित राशि पर एक पूँजीपति या ठेकेदार किराये पर लेगा और अपने हिसाब से फसल का उत्पादन कर बाज़ार में बेचेगा, किसान इस क़ानून का पुरज़ोर विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि फसल की क़ीमत तय करने व विवाद की स्थिति का बड़ी कंपनियाँ लाभ उठाने का प्रयास करेंगी और छोटे किसानों के साथ समझौता नहीं करेंगी।

किसान अनुबंध कृषि क़रार रद्द कर सकता है परंतु धारा-15 के अंतर्गत कुर्की नहीं होगी धारा 19 में कृषकों के विरुद्ध किसी भी प्रकार देय की वापसी के संबंध में वाद नहीं लाया जाएगा। अनुबंध कृषि (फार्मिंग एग्रीमेंट) में संलग्न किसानों के लिए न्यायसंगत विवाद समाधान तंत्र होना चाहिए। अनुबंध कृषि में संबंधित किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा समझौता अधिनियम, 2020 द्वारा प्रस्तावित विवाद समाधान तंत्र किसानों के लिए बहुत जटिल है।[17] पहले से ही काम के बोझ में दबे सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट को महत्त्वपूर्ण भूमिका में रखा गया है जिससे किसान को समाधान मिलने की संभावनाएँ बहुत कम है; विवाद की अपील ज़िलाधिकारी या उपमंडल-आयुक्त कार्यालय में की जा सकेगी।

ग. आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020

आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020, का उद्देश्य आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन करते हुए कृषि व्यापार को उदार एवं सुगम बनाना है। आज जब कृषि उत्पादन काफ़ी बढ़ गया है और वे पर्याप्त मात्रा में है, इसलिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव करते हुए अनाज, दालें, तिलहन, खाद्य तेलों, आलू, प्याज इत्यादि को उससे बाहर किया गया है, जिससे बड़ी मात्रा में निजी क्षेत्र द्वारा उसका भली-भाँति भंडारण हो सके। यह क़ानून अनाज, दालों, आलू, प्याज और खाद्य तिलहन जैसे खाद्य पदार्थों के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण को विनियमित करता है। इस तरह के खाद्य पदार्थ आवश्यक वस्तु की सूची से बाहर करने का प्रावधान है, इसके बाद युद्ध व प्राकृतिक आपदा जैसी आपात स्थितियों को छोड़कर भंडारण की कोई सीमा नहीं रह जाएगी। किसानों का कहना है कि यह न सिर्फ़ उनके लिए बल्कि आम जन के लिए भी ख़तरनाक है। इसके चलते कृषि उपज जुटाने की कोई सीमा नहीं होगी। उपज जमा करने के लिए निजी निवेश को छूट होगी और सरकार को पता नहीं चलेगा कि किसके पास कितना स्टाक है और कहाँ है?

तीनों कृषि कानूनों के नकारात्मक प्रभाव के संबंध में कृषकों एवं कृषि संगठनों का तर्क (राय)

इन तीनों कृषि अधिनियमों को किसान स्वयं के लिए अहितकर मान रहे हैं तथा आंदोलनरत सभी किसान संगठन एवं कृषि मज़दूरों एवं विशेषज्ञों के अनुसार इन क़ानूनों के निम्नलिखित संभावित नुक़सान होंगे --

(i) इससे मंडी की व्यवस्था ही ख़त्म हो जाएगी। इससे किसानों को नुक़सान होगा और कारपोरेट और बिचौलियों को फ़ायदा होगा। वे मंडी से बाहर ही किसानों से बहुत कम क़ीमत

पर उनकी फसल ख़रीद लेंगे और एम.एस.पी. का कोई महत्त्व नहीं रह जाएगा। इसके अलावा, मंडी में कार्य करने वाले लाखों व्यक्तियों के जीवन-निर्वाह का क्या होगा?

(ii) 2006 से बिहार में इसी प्रकार की व्यवस्था है, तब ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि बिहार में क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे। लेकिन 14 सालों के बाद भी बिहार के किसान गेहूँ या धान बेचने के लिए आज भी पंजाब या दिल्ली आते हैं, ये इस बात का उदाहरण है कि यह एक उचित व्यवस्था नहीं है।

(iii) 1950-60 के दशकों में अमेरिका एवं यूरोप सहित कई देशो में इस प्रकार का कृषि मॉडल लागू किया गया लेकिन वह बुरी तरह असफल साबित हुआ। 70 सालों के बाद अमेंरिका और यूरोप में किसानों की हालात बहुत बदतर है। किसानों की आत्महत्या की दर साधारण शहर में रहने वाले व्यक्ति से 45 प्रतिशत अधिक है। इसके अलावा, वहाँ के किसान सरकारों के ऊपर निर्भर रहते हैं। अमेरिका और यूरोप की कृषि व्यवस्था सब्सिडी से चलती है। एक तरीक़े का असफल मॉडल भारत में लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, जो तर्कसंगत नहीं है। अमेरिका कृषि विभाग के मुख्य अर्थशास्त्री का कहना है कि 1960 के दशक से किसानों की आय में गिरावट आई है। इन वर्षों में यहाँ पर अगर खेती बची है तो उसकी वजह बड़े पैमाने पर सब्सिडी के माध्यम से दी गई आर्थिक सहायता है।

(iv) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन हो जाने के बाद अब व्यापारी इन फसलों की ज़माखोरी कर सकेंगे और जब चाहे महँगाई को नियंत्रित कर सकेंगे, एक तरीक़े से यह पूँजीपतियों के हाथ में अर्थव्यवस्था का नियंत्रित होना है। किसानों को एक भय यह भी है, कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन बड़ी कंपनियों और बड़े व्यापारियों के हित में किया गया है। ये कंपनियाँ और सुपर मार्केट सस्ते दाम पर उपज ख़रीदकर अपने बड़े-बड़े गोदामों में उसका भंडारण करेंगे और बाद में ऊँचे दामों पर ग्राहक को बेचेंगे। पहले व्यापारी किसानों से उनकी उपज को औने-पौने मूल्य में ख़रीदकर उसका भंडारण कर लेते थे। बाद में जब बाज़ारों में उसकी कमी होती थी तो कमी बताकर काला बाज़ारी करते थे। उसे रोकने के लिए ही आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 बनाया गया था, जिसके तहत व्यापरियों द्वारा कृषि उत्पादों के एक निश्चित मात्र से अधिक कृषि उत्पादों के भंडारण पर रोक थी। लेकिन अब इसमें संशोधन करके सरकार ने उन्हें कालाबाज़ारी करने की ख़ुली छूट दे दी है। साथ ही यह भी प्रश्न है कि जब बड़े पूँजीवादी शक्तियाँ भंडारण कर देंगी। क्योंकि, उनके पास भंडारण की असीमित शक्ति होगी तो ऐसी दशा में कृषि उत्पादों मूल्यों का निर्धारण स्वयं करेंगी। इससे क़ीमतों में अस्थिरता आएगी और खाद्य सुरक्षा पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। राज्य सरकारों को यह पता ही नहीं होगा कि राज्यों में किस वस्तु का कितना स्टाक है तथा इससे आवश्यक वस्तुओं की कालाबाज़ारी बढ़ सकती है।

(v) अनुबंध कृषि (फार्मिंग एग्रीमेंट) से बड़े-बड़े पूँजीपति ज़मीन पर कृषि कार्य हेतु क़रार और किसानों से अनुबंध कृषि (फार्मिंग एग्रीमेंट) करवाएँगे इससे वे बहुत कम क़ीमत पर किसानों

से ज़मीन लेंगे और अंग्रेज़ी के अक्षरो में समझौते कर आएँगे; जो कि साधारण किसानों को समझ नहीं आता, ऐसे उदाहरण पूरे भारतवर्ष में देखे गए है, जहाँ पर समझौते के नाम पर किसानों का शोषण किया गया है। इसके अलावा, इन अधिनियमों में जो भूमिहीन किसान हैं जो मुख्यतः वंचित समुदाय से आते हैं और लावणी करते हैं अर्थात् किसान की ज़मीन की कटाई/सिंचाई करते हैं तो उसका कुछ हिस्सा ले लेते हैं इससे दलितों एवं पिछड़ों की स्थिति पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

(vi) कुछ संगठनों और कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इस क़ानून से किसान अपने ही खेत में सिर्फ़ मज़दूर बनकर रह जाएँगे, केंद्र सरकार पश्चिमी देशों के खेती का मॉडल हमारे किसानों पर थोपना चाहती है। अनुबंध कृषि में कंपनियाँ किसानों का शोषण करती है, उनके उत्पाद को खराब बताकर रिजेक्ट कर देती है। दूसरी ओर, व्यापारियों को डर है कि जब बड़े मार्केट लीडर उपज खेतों से ही ख़रीद लेंगे तो आढ़तियों को कौन पूछेगा, मंडी में कौन जाएगा?

(vii) आढ़तियों एवं कृषकों का यह तर्क है कि सरकार ने नए क़ानून में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि किसी भी प्रकार की मंडी के अंदर फसल आने पर मार्केट फ़ीस लगेगी और मंडी के बाहर अनाज बिकने पर मार्केट फ़ीस नहीं लगेगी, ऐसे में कृषि मंडियाँ जब किसानों को कृषि उत्पादों पर कर देना पड़ेगा जब कि कृषि मंडियों के बाहर क्रय करने पर कर नहीं देना पड़ेगा। प्राचीन व्यवस्था धीरे-धीरे ख़त्म हो जाएँगी, तो कोई व्यक्ति मंडी में माल क्यों ख़रीदेगा, उन्हें लगता है कि यह तीनों कृषि क़ानून वन नेशन टू मार्केट को बढ़ावा देंगे।

(viii) यह क़ानून कृषि उत्पादों की क़ीमतें तय करने का कोई तकनीक नहीं बताता। कृषि संगठनों एवं किसानों को डर है कि इससे प्राइवेट कार्पोरेट हाउसेस् को किसानों के शोषण का ज़रिया मिल जाएगा। कृषि का क्षेत्र असंगठित है। ऐसे में, यदि आद्यौगिक घरानों एवं पूँजीपतियों से कृषि क़ानूनों के किसी प्रकार के वैधानिक विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई तो किसानों के पास वित्तीय संसाधनों की कमी पड़ जाए तो किसान स्वयं को असहज महसूस करेगा।

(ix.एक देश एक मंडी का तर्क केंद्र सरकार दे रही है जबकि 1976 में जब जोनल अवरोध थे तब किसान गेहूँ एक जोन से बाहर ले जाकर नहीं बेच सकता था, तब 1400 से अधिक किसानों के आंदोलन को देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने नवंबर 1977 में निर्णय दिया कि सरकार किसी भी किसान को इस आधार पर रोक नहीं सकती है वह अपनी फसल, कहाँ, कितना और कैसे बेच सकते हैं। सन् 1977 में जनता सरकार ने यह निर्णय किया था कि सारा देश एक (जोन) होगा, पूरे देश में फसल, फल, सब्जी एक जगह से दूसरे जगह जाती है, बिकने की तो कोई पाबंदी नहीं है।

तीनों कृषि कानूनों के सकारात्मक प्रभाव के संबंध में केंद्र सरकार की राय (तर्क)

केंद्र सरकार ने शांता कुमार समिति, 2015 की सिफ़ारिश को मानते हुए किसानों की समस्या का समाधान करते हुए इन कृषि क़ानूनों को लागू किया है। उनका कहना है कि उन

राज्यों की मंडी व्यवस्था में किसी भी प्रकार का दख़ल नहीं करना चाहिए। जहाँ यह व्यवस्था उचित है, रिपोर्ट के मुताबिक़ उत्तर भारत के राज्य हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रमुख है, वहाँ पर सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) जारी रखना चाहिए और पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत के राज्यों में इन सुधारों को आगे बढ़ाना चाहिए।

केंद्र सरकार का इस आंदोलन के प्रति एक तर्क है कि इस आंदोलन के स्वरूप का विस्तार पूरे भारत में नहीं है अर्थात् केवल हरियाणा एवं पंजाब के किसानों के प्रदर्शन तक ही सीमित है। केंद्र सरकार का कहना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पूरे भारत में केवल 6 प्रतिशत ही कृषि उत्पाद ख़रीदे जाते हैं जिसमें मुख्यतः हरियाणा एवं पंजाब राज्य के किसानों के कृषि उत्पाद है। उदाहरणस्वरूप ख़रीफ़ विपणन सीजन 2020-21 में अब तक कुल 449.83 लाख मीट्रिक टन धान की ख़रीद हुई है जिसमें से 45 प्रतिशत अनाज पंजाब राज्य से ख़रीदे गए हैं।

केंद्रीय सरकार द्वारा निर्मित इन कृषि क़ानूनों के पीछे हमें गुजरात मॉडल का स्वरूप नज़र आता है। गुजराज मॉडल द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में लोगों की भागीदारी बढ़ाने की बात भी करता है, अगर हम कृषि क्षेत्र में देखें तो हमारे देश की लगभग 54.5 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। लेकिन, उसका सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में कुल योगदान 16.5 प्रतिशत है। वहीं इसके विपरीत, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में क्षेत्रों का सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में बहुत योगदान है, केंद्रीय सरकार का तर्क है कि अब डेमोग्राफिक स्विफ़्ट के ज़रिये किसी को जनसंख्या को द्वितीय या तृतीय क्षेत्र में लाना चाहती है। हालाँकि, केंद्रीय सरकार की नीति बहुत ही स्पष्ट एवं सटीक है। ऐसा ही सभी विकसित देशों में होता है, चाहे अमेरिका हो या यूरोप, लेकिन यह सब तुरंत करने की बजाए व्यवस्थित तरीक़े से किया जाए तो इससे किसानों और भूमिहीनों पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

केंद्रीय सरकार का यह भी तर्क है कि सन् 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि इससे सेवा क्षेत्र में भारी नुक़सान होगा लेकिन आज हम 30 वर्षों बाद देखते हैं कि सेवा क्षेत्र में ज़बरदस्त बढ़ोत्तरी हुई है। देश की 20 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या सेवा क्षेत्र पर निर्भर है। लेकिन, वह कुल सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) का 60 प्रतिशत निर्धारित करती है; वहीं कृषि क्षेत्र में 50 प्रतिशत से अधिक कृषक एवं मज़दूर जुड़े हैं लेकिन सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में इसका योगदान सिर्फ़ 16.5 प्रतिशत है। केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधियों एवं उनके विशेषज्ञों का मानना यह है कि यह जिस प्रकार सेवा क्षेत्र में 1991 में सुधार हुए वैसे ही 2020 में सरकार द्वारा उठाया गया यह क़दम कृषि क्षेत्र में एक क्रांतिकारी क़दम होगा तथा भविष्य में इसके परिणाम बहुत ही सुखद होंगे।

केंद्रीय सरकार का यह तर्क है की इन तीनों कृषि क़ानूनों द्वारा एक ऐसा 'इको सिस्टम' बनेगा जहाँ किसान अपनी मनपसंद मंडियों या स्थानों पर अपने कृषि उत्पाद बेच सकेंगे अर्थात् अब कृषक इंटर स्टेट व्यापार[18] और इंट्रा स्टेट व्यापार[19] बिना किसी रुकावट के कर सकेंगे। किसान अपने कृषि उत्पादों को कृषि उपज विपणन समितियों ए.पी.एम.सी. के दायरे से बाहर

निकलकर कृषि उत्पाद बेच सकेंगे तथा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के माध्यम से भी अपने फसल को बेच सकेंगे। इससे किसानों की मार्केटिंग लागत बचेगी। क्षेत्र के किसानों के पास अतिरिक्त उत्पाद है, वे दूसरे राज्यों या क्षेत्रों में अपने कृषि उत्पाद बेच सकेंगे जिन राज्य क्षेत्रों में कृषि उत्पादों की अनुपलब्धता है। इससे कृषकों को अतिरिक्त लाभ तथा उस राज्य मी कृषि उत्पादों की क़ीमत नियंत्रित रहेगी।

केंद्रीय सरकार का तर्क है कि इन कृषि क़ानूनों से शीत गृहों और फूड सप्लाई चेन के आधुनिकीकरण में मदद मिलेगी। यह किसानों के साथ ही उपभोक्ताओं के लिए भी क़ीमतों में स्थिरता बनाए रखने में मदद करेगा। स्टाक लिमिट तभी लागू होगी, जब सब्ज़ियों की क़ीमतें दोगुनी हो जाएँगी या खराब न होने वाली फसल की रिटेल क़ीमत 50 प्रतिशत बढ़ जाएगी। अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेलों, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाया गया है। इससे उत्पादन, भंडारण, आपूर्ति और वितरण पर सरकारी नियंत्रण ख़त्म हो जाएगा। युद्ध, प्राकृतिक आपदा, क़ीमतों में असाधारण वृद्धि और अन्य परिस्थितियों में केंद्र सरकार नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगी।

कृषि कानूनों से संबंधित आंदोलन पर सर्वोच्च न्यायालय का अभिमत

कृषि संबंधित आंदोलन को दृष्टिगत रखते हुए उच्चतम न्यायालय ने 16 दिसंबर, 2020, दिन बुधवार को आंदोलन पर स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार से पूछा कि क्या इस मामले की सुनवाई पूरी न होने तक इन कृषि क़ानूनों को स्थाई तौर पर अमल में न लाने का विचार कर सकती है, साथ ही किसानों एवं केंद्र सरकार के बीच के गतिरोध को समाप्त करने के लिए एक समिति बनाने का सुझाव दिया जिसमें किसान नेता एवं केंद्र सरकार के प्रतिनिधि शामिल हो सकें। सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए सोलिसिटर जनरल ने कहा कि ''केंद्र सरकार इन कृषि क़ानूनों से संबंधित प्रावधानों पर विचार विमर्श के लिए हमेशा तैयार है तथा बातचीत के माध्यम से कृषकों के बिंदुवार समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार तैयार है। अंत में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्टतः कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से हो रहे किसान आंदोलन किसी व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है।

निष्कर्ष : 2016-17 के केंद्रीय बजट में सरकार ने इस क्षेत्र में आटोमेटिक कट से 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की इज़ाज़त दे ही है। लेकिन जब तक सरकारी एवं निजी निवेश नही बढ़ता, स्थिति में कोई बड़ा बदलाव होना मुश्किल हैं। इसलिए, बड़े पैमाने पर किसानों को वैकल्पिक रोज़गार एवं कृषि क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। ऐसी दशा में यह नीति निर्माताओं कों सोचना पड़ेगा कि, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत काम करने वालों को मज़बूत बनाने के लिए निवेश (Investment) कैसे बढ़ाया जाए; न कि उनको शहरों में लाकर दिहाड़ी मज़दूरी कराई जाए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आँकड़े के अनुसार वर्ष 2011-12 में कृषि क्षेत्र में पब्लिक सेक्टर का निवेश .02 प्रतिशत था, जो 2017-18 में भी सकल घरेलू उत्पाद का .

04 प्रतिशत ही है। इन्हीं परिस्थितियों में आज भी कृषि क्षेत्र में निवेश न हो पाने के कारण कृषकों एवं कृषि क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है। जबकि संपूर्ण सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत तो कारपोरेट के कर (Tax) माफ़ कर दिए जा रहे। तो ऐसी परिस्थितियों में किसानों के उत्थान करने के लिए केंद्र सरकार समुचित रूप से नीति बनाए जिससे कृषि क्षेत्र एवं कृषकों का कल्याण हो सके।

तीनों कृषि क़ानून संसद में पारित होकर क़ानून बन गए हैं, अब सरकार को बड़ी-बड़ी कंपनियों पर नियंत्रण भी रखना होगा जिससे किसानों को नुक़सान न पहुँचे। इसके लिए कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को बल मिलता है, जिसमें राज्य किसी भी व्यक्ति या समाज के हित की रक्षा करता है और किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति या कंपनी पर नियंत्रित रखता है। अतः सरकार को पहले की तरह किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) पर फसल ख़रीदनी चाहिए। नए प्रावधानों के अनुसार, अब कोई भी ख़रीदार अपना पैन कार्ड दिखाकर किसान से ख़रीद सकता है। ऐसे में जैसे ही किसान का माल उठाया जाए, उसका भुगतान भी तुरंत होना चाहिए अथवा सरकार को उसके भुगतान की गारंटी लेनी चाहिए। कृषि उत्पाद ख़रीद करने वाले सभी व्यापरियों और कंपनियों का पंजीकरण हो। किसान के पास अपनी उपज की बिक्री हेतु अधिक विकल्प होना सही है।

उपभोक्ता फोरम जैसे किसान फोरम की आवश्यकता है, क्योंकि उप-जिलाधिकारी (सबडिविज़नल मजिस्ट्रेट) एक कार्यपालकीय व्यक्ति है और शासन एवं प्रशासन के आदेशों का पालन करना उसका कार्य होता है। अतः धारा 14^{20} के अंतर्गत जो शक्ति सबडिविज़नल मजिस्ट्रेट में निहित है, इससे आगे वह किसी न्यायालय में नहीं जा सकेगा अर्थात् एक प्रकार से न्यायिक नियत्रंण से पूर्ण रूप से अप्रभावी है।[21] उसको न्यायिक पदों पर बैठे व्यक्तियों से समाधान किया जाए।

❑

संदर्भ

1. वार्षिक प्रतिवेदन 2019-20, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार पृष्ठ संख्या-1
2. वार्षिक प्रतिवेदन 2019-20, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार पृष्ठ संख्या-2
3. भारतीय संविधान 1950, राज्यसूची का प्रविष्टि संख्या-14
4. भारतीय संविधान 1950, अनुच्छेद 255. सिफ़ारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना
5. वार्षिक प्रतिवेदन 2019-20, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार पृष्ठ संख्या-1
6. एन.के. सिंह, लोक लुभावन वादो के बुरे नतीजे, दैनिक जागरण।

7. प्रो. डॉ. सुदर्शन वर्मा एवं नितेश कुमार चतुर्वेदी, किसान आत्महत्याः मानवाधिकार को एक चुनौती, मानव अधिकार, नई दिशाएँ, अंक 14, 2017, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
8. भारतीय संविधान 1950, अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति
9. किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020 की धारा 2(बी) के अनुसार किसान शब्द की परिभाषा में कृषि उत्पाद संगठन भी सम्मिलित हैं।
10. किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020 की धारा 2(सी) में कृषि उत्पाद परिभाषित है।
11. किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020 की धारा 2(डी) में कृषि उत्पाद संगठन परिभाषित है।
12. किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020 की धारा 8 में कृषकों के लिए विवाद समाधान तंत्र प्रावधानित है।
13. किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020 की धारा 2(एन) में व्यापारी परिभाषित है।
14. किसान (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएँ अधिनियम 2020 की धारा 2(जी) में कृषि क़रार परिभाषित है।
15. किसान (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) मूल्य आश्वाशन अनुबंध एवं कृषि सेवाएँ अधिनियम 2020 की धारा 14 में कृषकों के लिए विवाद समाधान तंत्र प्रावधानित है।
16. किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020 की धारा 2(ई) में अंतर-राज्यिक व्यापार परिभाषित है।
17. किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020 की धारा 2(ई) में अंतरार्राज्यिक व्यापार परिभाषित है।
18. किसान (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) मूल्य आश्वाशन अनुबंध एवं कृषि सेवाएँ अधिनियम 2020 की धारा 14. विवाद समाधान तंत्र
19. किसान (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) मूल्य आश्वाशन अनुबंध एवं कृषि सेवाएँ अधिनियम 2020 की धारा 15 विवाद की दशा में सिविल न्यायालयों की अधिकारिता को समाप्त करती है।

सन्तोष खन्ना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 : नए भारत की ओर

वर्ष 2020 में देश में एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई है। इससे पहले श्री राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में वर्ष 1986 में भारत में एक शिक्षा नीति लागू की गई थी। तब से लगभग 40 वर्षों से संसार और भारत में कई तरह के नए नए परिवर्तन आए। इन वर्षों में विज्ञान के नाम कई उपलब्धियाँ दर्ज हुई तो वैश्वीकरण, बाज़ारवाद और पूँजीवाद की आँधी का परचम लहराया है यहाँ तक कि सोवियत संघ का विघटन हुआ और समाजवादी देशों ने भी आर्थिक सुधारों को अपना कर आर्थिक प्रगति की बुलंदियाँ हासिल की। सूचना क्रांति ने तो जीवन की दिशा ही बदल कर रख दी। वाणिज्य-व्यापार का ढंग भी बदल गया। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उन्हें समाजवादी नीतियों की तुलना में आर्थिक सुधारों की धमक अच्छी लगने लगी और नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने आर्थिक सुधारों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए डॉ. मनमोहन सिंह को अपना वित्त मंत्री बनाया और बाद में तो डॉ. मनमोहन सिंह दस वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे और देश में आर्थिक सुधारों का ऐसा ढर्रा चल निकला कि अब भारत की वहीं स्थायी दिशा बन कर रह गई है। इस बीच, भारत में एक और महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। भारत एक युवा राष्ट्र बन गया अर्थात् अब भारत की 65 प्रतिशत जनसंख्या ऐसे युवाओं की है जो 35 वर्ष से कम आयु के हैं। इस नए भारत को और आगे ले जाने के लिए और युवाओं को शिक्षा और रोज़गार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए इस शिक्षा नीति को लाया गया है।

स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा के उद्देश्य के बारे में कहा है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। इस शिक्षा नीति के अनुसार यह महसूस किया गया है कि यदि हमें मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को वस्तुतः बाहर लाना है तो उसके लिए उसे कम से कम आरंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा के माध्यम से ही दी जानी चाहिए। इस नई शिक्षा नीति में इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये भारतीय भाषाओं की भूमिका का उल्लेखनीय योगदान होगा।

भारत में शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रकार की योजनाएँ चलाई जाती रही हैं और कई प्रकार के सुधार लाने का प्रयास किया जाता रहा है। भारत के संविधान निर्माताओं ने शिक्षा को संविधान के निर्माण के समय उसे मूल अधिकार के रूप में नहीं, बल्कि संविधान में उसे नीति

निदेशक तत्वों में शामिल किया था। उसके पीछे मंशा यह थी कि देश नया-नया आज़ाद हुआ है तो आरम्भ में इतने वित्तीय साधन जुटाना संभव नहीं होगा, इसलिए शिक्षा को मूल अधिकारों मेंघ नहीं जोड़ा जा सकता था। यद्यपि नीति निर्देशक तत्त्वों को मूल अधिकारों की भांति न्यायालयों के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता था, फिर भी उन्हें शासन के लिए मूलभूत माना गया था। अनुच्छेद 45 में यह व्यवस्था की गई थी कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी।

समय के साथ-साथ स्थिति यह बनी कि शिक्षा संबंधी इस नीति निर्देशक तत्त्व को उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार घोषित कर दिया जिसके लिए संसद ने भारत के संविधान में 86वाँ संशोधन कर उसमें एक नया अनुच्छेद 21-ए जोड़ दिया। उसमें यह प्रावधान किया कि 'राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की ऐसी रीति से, जो राज्य विधि द्वारा आधारित करें, उपबंध करेगा।'

इस प्रकार शिक्षा के मौलिक अधिकार बन जाने पर उसे क्रियान्वित करने के लिए संसद ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 बनाया जिसके अंतर्गत प्रत्येक बालक को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार मिल गया। इस क़ानून में सबको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के साथ-साथ नैतिक शिक्षा की भी बात कही गई है। इस क़ानून को लागू करने के लिए यद्यपि अनेक नए स्कूल बनाए गए और उन्हें सुविधाएँ देने का प्रयास भी किया गया फिर भी वंचित वर्गों के अनेक ऐसे बच्चे रह गए हैं जिन तक शिक्षा का उजाला अभी तक नहीं पहुँच सका है। इसलिए जब भारत सरकार ने वर्ष 2020 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई उसका एक प्रमुख उद्देश्य यह रखा कि वर्ष 2030 तक वंचित वर्गों के सभी बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस शिक्षा नीति के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा है कि इस शिक्षा नीति में 'क्या सोचे' के स्थान पर 'कैसे सोचे' पर बल दिया गया है ताकि राष्ट्र का सही दिशा में विकास हो सके। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत में शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करना है। इसमें सबसे पहला जो परिवर्तन किया गया है वह मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर उसे शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि शिक्षा पर अब राज्य द्वारा यथासंभव सकल घरेलू उत्पाद का 4 प्रतिशत के स्थान पर 6 प्रतिशत व्यय का प्रावधान किया जाएगा 10+2 की स्कूली शिक्षा व्यवस्था के स्थान पर अब बच्चों की शिक्षा प्री-स्कूल से ही आरंभ हो जाएगी और वह कक्षा बारहवीं तक चलेगी। इसके साथ बोर्ड की परीक्षा दसवीं और फिर बारहवीं कक्षा के लिए होगी। इसके अलावा सेमेस्टर प्रणाली भी लागू की जाएगी ताकि छात्र पूरे वर्ष भर सार्थक रूप से शिक्षा ग्रहण कर सकें। शिक्षा व्यवस्था को भारतीयतोन्मुख बनाने के साथ-साथ उसे रोज़गारोन्मुखी भी करने का प्रयास

होगा। इसके लिए छठी कक्षा से ही व्यवसायिक शिक्षा को शामिल किया जाएगा जिसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की जाएगी।

स्कूली शिक्षा के बाद अब उच्च शिक्षा में भी बड़े पैमाने पर परिवर्तन किए जा रहे हैं। उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया जा रहा है। यदि कोई छात्र एक वर्ष की शिक्षा के बाद छोड़ना चाहे तो उसे सर्टिफिकेट् साथ दिया जाएगा और यदि कोई 2 साल के बाद छोड़ना चाहें तो उसे डिप्लोमा और 3 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने पर डिग्री मिल जाएगी। शोध करने के लिए उसे 4 वर्ष की पढ़ाई करनी होगी। ऐसे छात्र 3 वर्ष के लिए स्नातक की शिक्षा ग्रहण करेंगे और उसके बाद 1 वर्ष स्नातकोत्तर की शिक्षा ग्रहण करनी होगी जिससे उन्हें पी-एच.डी. में दाख़िला मिल सकेगा। शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। यह फाउंडेशन एक स्वायत्त संस्था होगी जो एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा शासित होगी और यह बड़े शोध प्रोजेक्ट फाइनेंस कर सकेगी।

उच्च शिक्षा के संबंध में एक और उल्लेखनीय प्रावधान यह जोड़ा गया है कि विश्व के 100 प्रमुख विश्वविद्यालयों को भारत में अपने कैंपूस बनाने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए एक क़ानून बनाकर इसका प्रावधान किया जाएगा। यद्यपि पहले यह कहा जा रहा था कि विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत में आने से यहाँ शिक्षा का व्यय बहुत बढ़ जाएगा और साथ ही भारतीय विश्वविद्यालयों के संकाय सदस्यों को यह विश्वविद्यालय अपनी और आकर्षित कर लेंगे जिससे भारत के विश्वविद्यालयों को नुक़सान होगा। अब नई नीति में कहा गया है कि विदेशी विश्वविद्यालयों को यहां अनुमति देने के लिए समुचित क़ानून बनाया जाएगा और देश के अन्य स्वायत संस्थानों की तरह ही उन्हें भी नियमित किया जाएगा।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में भारतीय भाषाओं की भूमिका के महत्त्व को पहली बार स्वीकार किया गया है। ऐसा नहीं है कि देश में पहली बार शिक्षा नीति बनाई गई हो। इससे भी पहले वर्ष 1968 में कोठारी आयोग के नेतृत्व में दी गई सिफ़ारिशों के आधार पर प्रथम शिक्षा नीति बनी थी जिसमें शिक्षा को राष्ट्रीय महत्त्व का विषय घोषित कर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें संस्कृत भाषा के शिक्षण को प्रोत्साहन देने की बात की गई थी। क्योंकि, संस्कृत को भारतीय संस्कृति का एक अनिवार्य अंग माना गया था। तत्पश्चात्, 1986 में पुनः एक शिक्षा नीति बनाई गई जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। इस के अंतर्गत 'ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड' आरंभ किया गया था। वर्ष 1992 में शिक्षा नीति में संशोधन किए गए थे। उस समय नरसिंह राव की कांग्रेस सरकार थी। परंतु इस शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं को कोई महत्त्व नहीं दिया गया था।

ऐसा पहली बार हुआ कि 'इसरो' के अध्यक्ष रहे डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में बनी समिति ने इस नई शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने की बात कही है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो नई शिक्षा नीति का उद्देश्य ही परास्त हो जाता। क्योंकि, किसी भी देश की शिक्षा में उस देश की भाषाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है परंतु

भारत की शिक्षा व्यवस्था में भारत की भाषाओं की भूमिका हमेशा नगण्य ही रही है जिसका परिणाम यह हुआ है कि भारतीय मनीषा का जिस दिशा में विकास होना चाहिए था नहीं हो पाया। आज भारत में जो अध्ययन हो रहा है उसका लाभ समाज को नहीं मिल पा रहा है।

भाषाएँ संस्कृति की वाहक होती हैं। संस्कृति भाषा के हर तंतु, हर स्वर में समाई होती है। कहा जाता है कि शिक्षा में माध्यम का बहुत बड़ा महत्त्व होता है। जब भारत में ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम भारत की भाषाएँ रही ही नहीं, देश में आज तक जो हुआ अथवा आज होते हुए हम देख रहे हैं वह तो होना ही था। देश में भारतीय संस्कृति उपेक्षित ही होती आ रही है और अब तो लोग बात बात पर भारतीय संस्कृति का मज़ाक उड़ाते नज़र आते हैं क्योंकि, अधिकांश भारतीयों का ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम अंग्रेज़ी ही रहा है। अतः हम अंग्रेज़ी माध्यम से चीज़ों को देखते आ रहे हैं। स्वभाविक ही है अंग्रेज़ी भाषा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने वाले लोगों का विज़न अथवा दूरदृष्टि भारतीयता से ओत-प्रोत न होकर पश्चिमी सभ्यता के आईने में देखती है। यह भी कारण हैं कि बेशक हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल कर ली है परंतु हम अंग्रेज़ियत से मुक्त नहीं हो सके हैं, हम मानसिक गुलामी से मुक्त नहीं हो सके हैं। जब तक हम अपनी भारतीय भाषाओं के माध्यम से अध्ययन नहीं करेंगे, हम वस्तुःस्थिति को नहीं देखेंगे तब तक हम भारतीय संस्कृति को नहीं समझ सकेंगे, अपने देश की समस्याओं को उसके सही परिप्रेक्ष्य में नहीं समझ सकेंगे।

आइए, देखते हैं कि इस शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं की भूमिका को कैसे प्रस्तुत किया गया है? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आरंभिक स्तर की शिक्षा में भारतीय भाषाओं को माध्यम बनाने की व्यवस्था करने के साथ-साथ इसमें अनेक और नई व्यवस्थाएँ की गई हैं। सर्वप्रथम, 1986 में लागू की गई 10+2+3 व्यवस्था को हटाकर उसके स्थान पर 5+3+3+4 व्यवस्था लागू की जाएगी। इसमें पांच का मतलब है 3 साल प्रीस्कूल के और कक्षा 1 और कक्षा दो। उसके बाद तीन का मतलब है कक्षा 3, 4 और 5। अगले 3 का अर्थ है कक्षा 6, 7 और 8 और अंतिम चार का अर्थ है कक्षा 9, 10, 11 और 12। पहली बार 3 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा और पोषण की व्यवस्था कर दी गई है जिसके अंतर्गत 3 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चों को आँगनबाड़ी/बाल वाटिका/प्री स्कूल के माध्यम से निःशुल्क सुरक्षित एक गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। उसके पश्चात, 6 से 8 वर्ष के बच्चों की प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा एक तथा कक्षा दो में शिक्षा प्रदान की जाएगी। आरंभ से लेकर कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा/स्थानीय भाषा अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही शिक्षा नीति में कक्षा 8 तक और उसके पश्चात् शिक्षा का माध्यम बनाने की बात कही गई है। यही नहीं, स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए संस्कृत तथा अन्य भारतीय भाषाओं का विकल्प भी उपलब्ध होगा किंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चयन की बाध्यता नहीं होगी।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में आरंभिक स्तर पर शिक्षा माध्यम यद्यपि मातृभाषा/स्थानीय भाषाओं का प्रावधान अवश्य है किंतु साथ ही 'यथासंभव' शब्द जोड़ दिया गया है इस संबंध में अंग्रेज़ी शब्दों के इस्तेमाल को देखें : 'the policy indicates that wherever it is possible, medium of instruction till at least grade 5 but preferably till grade 8 and beyond will be the mother tongue/local tongue both in public and private schools as to follow this norm.'

भारतीय भाषाओं के संबंध में देश में जैसी मानसिकता चल रही है अथवा राजनीतिक बाध्यताओं के कारण शायद 'यथासंभव' शब्द का प्रयोग मज़बूरी रही होगी परंतु इस शब्दावली का सहारा लेकर तमाम संस्थान इस व्यवस्था से बच निकलने के रास्ते तलाश लेंगे जिससे इस क्षेत्र में यथास्थिति बने रहने की संभावनाएँ प्रबल रहेंगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अनेक ज़रूरी और लाभकारी परिवर्तन किए गए हैं परंतु शिक्षा के माध्यम में परिवर्तन की व्यवस्था देश की बाल-मनीषा के लिए वरदान सिद्ध हो सकती थी क्योंकि भारतीय भाषाओं में शिक्षा देने का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि इससे भारतीय प्रज्ञा में ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में मौलिकता का उन्मेष हो सकेगा, भारतीय संस्कृति और भारतीयता सुरक्षित होगी, जिससे राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ होगी जोकि समय की सबसे बड़ी माँग है। परंतु इस शिक्षा नीति में 'यथासंभव' शब्दावली के इस्तेमाल ने शिक्षा का माध्यम अनिश्चितता के दायरे में डाल दिया गया है। भारतीय भाषाओं के उल्लेख से ही देश के कई लोगों द्वारा विशेष रूप से राजनीतिक गलियारों में इसका विरोध भी प्रारंभ हो गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आते ही कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता पी. चिदंबरम तथा अन्य विपक्षी नेताओं ने यह कहना प्रारंभ कर दिया है कि इस शिक्षा नीति के माध्यम से हिंदी देश पर थोपी जा रही है। परंतु एक वेबीनार में देश के शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने कहा है कि 'हिंदी ही नहीं, सभी भारतीय भाषाओं पर बल दिया जा रहा है। जो लोग मातृभाषा के प्रयोग से होने वाले लाभ पर संदेह व्यक्त कर रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि विश्व में विकसित देशों ने अपनी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर बड़ी उपलब्धियाँ अर्जित की हैं। हम अंग्रेज़ी भाषा के विरुद्ध नहीं हैं। हम भारतीय भाषाओं को सशक्त बनाना चाहते हैं।'

उधर केंद्रीय विद्यालय की ओर से भी वर्तमान शिक्षा नीति के अंतर्गत अब कुछ विरोधी स्वर सुनाई देने लगे हैं। कहा जा रहा है कि केंद्रीय विद्यालयों में उन लोगों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं जिनके अभिभावकों का अपनी नौकरी के कारण देश भर में स्थानांतरण होता रहता है। इन केंद्रीय विद्यालयों का वर्तमान में शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी ही है। इस संबंध में केंद्रीय विद्यालयों के प्रभारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भाषाओं संबंधी यह सिफ़ारिश बहुत बढ़िया है और अकादमीय दृष्टि से भी यह बहुत सही है, किंतु दुर्भाग्य से हमारे देश में अच्छी चीज़ों को होने नहीं दिया जाता है। बच्चे घर में एक भाषा विशेष बोलते हैं परंतु जब वह स्कूल आते हैं तो उन पर अंग्रेज़ी थोप दी जाती है जिससे वे हमेशा उलझन में बने रहते हैं, परंतु भारत की भाषाओं संबंधी स्थिति को देखते हुए यह सिफ़ारिश व्यवहारिक नहीं

लगती है। इस संबंध में भारत के शिक्षा मंत्री ने यह कहा कि इस शिक्षा नीति की अच्छी बात यह है कि राज्य अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले स्कूलों में इसे कैसे लागू करेंगे इसका फैसला उन्हें स्वयं करना होगा। जहाँ तक स्कूलों का संबंध है भारत को शिखर पर ले जाने के लिए हम सबको साथ लेकर चलेंगे।

त्रिभाषा सूत्र

''भारत में समाज के ताने-बाने को सशक्त बनाने तथा राष्ट्रीय एकता के हित में भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अंतर्गत त्रिभाषा सूत्र लागू करने का प्रावधान किया गया है। वैसे त्रिभाषा सूत्र की यह व्यवस्था पहली बार नहीं की गई है अपितु 1968 में पारित भाषा संबंधी संकल्प के अंतर्गत इस सूत्र को 1968 में बनी शिक्षा नीति में शामिल किया गया था। तत्पश्चात्, 1986 में जो शिक्षा नीति बनी उसमें भी इस व्यवस्था को लागू किया गया था। उसमें कहा गया था कि तीन भाषाओं को पढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी। यह भाषाएँ होंगी हिंदी, अंग्रेज़ी और एक अन्य भारतीय भाषा। हिंदी भाषा राज्यों में हिंदी और अंग्रेज़ी के साथ-साथ दक्षिण की एक भाषा पढ़ाई जाएगी, वहीं ग़ैर-हिंदी राज्यों में हिंदी के साथ अंग्रेज़ी और वहाँ की क्षेत्रीय भाषा पढ़ाई जाएगी। तब भी तमिलनाडु में इस व्यवस्था का विरोध हुआ था और अब भी वहाँ नई शिक्षा नीति के तहत त्रिभाषा सूत्र का विरोध हो रहा है। उनका कहना है कि इस तरह हिंदी को पिछले दरवाज़े से प्रवेश कराया जा रहा है। वहाँ अभी भी हिंदी नहीं पढ़ाई जाती, वहाँ केवल दो-भाषा सूत्र लागू है अंग्रेज़ी और तमिल। वैसे नई शिक्षा नीति में हिंदी का उल्लेख कहीं नहीं किया गया और साथ ही किसी भाषा को थोपने की तो बात ही नहीं की गई है। इस संबंध में वर्तमान नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह कहा गया है कि बदलते समय की आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, इनोवेशन और शोध को बढ़ावा देने तथा देश को ज्ञान की सुपर पावर बनाने के लिए नई शिक्षा नीति की ज़रूरत है जिसमें देश की आधुनिक भाषाओं को भी बढ़ावा देना आवश्यक है इसलिए इस शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा बच्चे की मातृभाषा के माध्यम से दी जाएगी। 2 से 8 वर्ष की आयु के बीच बच्चे भाषाएँ जल्दी सीख लेते हैं। इसलिए, उनका भाषाओं से परिचय जल्दी कराया जाएगा पहले मातृभाषा में उनकी शिक्षा प्रारंभ की जाएगी और तीसरी क्लास के बाद दो और भाषाएँ पढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी। वह भाषाएँ कौन से होंगी? इसका चयन बच्चे स्वयं करेंगे। छठी कक्षा में विज्ञान और मैथ्स अंग्रेज़ी में भी पढ़ाना शुरू किया जाएगा। इसके साथ संस्कृत, पाली, ओड़िया, तमिल, तेलुगु जैसी क्लासिकल भाषाओं को 2 वर्ष के लिए पढ़ाने का ऑप्शन रखा गया है। छात्र इन में से कोई एक भाषा कक्षा 6 से 12 तक के बीच कभी भी चुन सकते हैं।

यदि भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया जाएगा तो उसके कई लाभ होंगे। पहला, बच्चों की स्वभाविक प्रतिभा का विकास होगा, उनमें मौलिकता का गुण उभर कर सामने

आएगा और साथ ही इस प्रकार हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीयता के प्रति प्रतिबद्धता बढ़ेगी जिससे भारत में राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ होगी और उसके साथ देश की सुरक्षा और अखंडता भी सुनिश्चित की जा सकेगी। इन सबका एक और लाभ यह होगा कि भारतीय भाषाएँ देश की भिन्न-भिन्न प्रतियोगी तथा अन्य परीक्षाओं और शासन-प्रशासन का माध्यम भी बन सकेंगी।

अब बात हिंदी की करते हैं। हिंदी भारत के संविधान में और राजभाषा अधिनियम, 1963 में संघ सरकार की राजभाषा है। भारत में हिंदी के दस राज्य तो हिंदी भाषा भाषी है, इन राज्यों की राजभाषा भी हिंदी है। देश के हर राज्य में हिंदी भाषी रहते हैं। जिन्हें भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाती है।

बेशक संसद में कामकाज़ की हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाएँ हैं, परंतु अब सच यह है कि वर्तमान में लगभग 70 से 80 प्रतिशत संसद सदस्य हिंदी में अपने भाषण देते हैं। अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हिंदी का प्रयोग कर रहा है और राजनीतिक गलियारों में भी यह समझा जाता है कि अगर देश की मुख्य धारा की राजनीति का हिस्सा बनना है तो हिंदी सीखनी होगी। वैसे तमिलनाडु में हिंदी का राजनीतिक तौर से विरोध होता है परंतु दक्षिण भारतीयों में काफ़ी लोग हिंदी पढ़ते लिखते हैं और कई लोग तो हिंदी में इतने पारंगत हैं कि दक्षिण भारतीयों भाषाओं में रचे जा रहे साहित्य का बड़े पैमाने पर हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं। इन सारे विरोध के बावजूद हिंदी आगे बढ़ रही है और विश्व पटल पर छा रही है और हिंदी भविष्य में अवश्य उच्च शिक्षा का माध्यम भी बनेगी। इसके लिए नई शिक्षा नीति में इस बात पर ज़ोर दिया जा रहा है कि उच्च शिक्षा की स्तरीय पुस्तकें भारतीय भाषाओं और हिंदी में तैयार की जाएँ और साथ ही विश्व-स्तरीय पुस्तकों का अनुवाद कर उन्हें भारतीय भाषाओं में उपलबध कराया जाए। इसके लिए देश में भाषा अकादमियों की बहुत बड़ी भूमिका होगी तथा साथ ही एक अनुवाद मिशन भी बनाया गया है। देश के छात्रों की भारतीय भाषाओं में स्तरीय साहित्य के उपलब्ध होने पर उनकी स्वाभाविक प्रतिभा खिल उठेगी।

❑

अरविंद भारत

निगमित भारत की चुनौतियाँ

राष्ट्रीय उद्योग जगत के इंजन कंपनी के सचिव हैं। किसी राज्य का विकास सचिव की नीति, नीयत और निष्ठा से निर्धारित होता है। इसलिए किसी राज्य के सबसे बड़े औद्योगिक संचालक कंपनी के सचिव ही होते है। आज और कल के संदर्भ में कारपोरेट गवर्नेंस पर जागृति के लिए राष्ट्रीय नीति अति महत्त्वपूर्ण और नितांत आवश्यक है।

कारपोरेट यानी कारपोरेशन से बना जनता के लिए तंत्र सहयोग का संगठित शासन है। बिन सहयोग के संगठन नहीं और बिन संगठन के कोई शासन संभव नहीं है। संगठित शासन यानी कारपोरेट गवर्नेंस के लिए संगठित जनतंत्र व सहकारी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत सबसे पहली आवश्यकता है जो कि बिना सहयोग के संभव ही नहीं है।

'आत्मनिर्भर' भारत बनाने के लिए 'वोकल फॉर लोकल' का मंत्र हरेक भारतीय के लिए आत्म-गौरव का संकल्प होना चाहिए। भारतवासियों के लिए स्वावलंबन की मुराद उतनी ही पुरानी है, जितना पुराना हमारा आधुनिक इतिहास है, लेकिन अबसे पहले देश के शीर्ष नेतृत्व स्तर से भारत की आत्मनिर्भरता को राष्ट्रीय मुहिम बनाने की पेशकश कभी नहीं हुई। किसी सरकार के कार्यकाल में विकास के इस मूलभूत ढाँचे पर चर्चा तक नहीं हुई इसलिए वर्तमान समय में आत्मनिर्भरता के मंत्र का महत्त्व वोकल फॉर लोकल के नारे के साथ बेहद बढ़ जाता है।

दुनिया का हरेक समाज, हरेक देश ख़ुद को आत्मनिर्भर बनाने और अपने उत्पादों के ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात का सपना देखता है और फिर इस सपने को साकार करने के लिए ही अपनी नीतियाँ बनाता है। ये नीतियाँ कंपनी सचिव ही बनाते हैं और कारपोरेट गवर्नेंस के जरिए ही यह नीतियाँ लागू होती हैं। हमारे देश का भी ये सपना पूरा हो और हर कोई पूरे समर्पण के साथ स्वदेशी पर गर्व करने और इसे बढ़ावा देने के सपने को साकार करने में पूरी ताकत से जुट जाए, इसके लिए ही वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री ने देश को आत्मनिर्भर और वोकल फॉर लोकल के दो मंत्र दिए हैं। दोनों मंत्र परस्पर एक-दूसरे के जुड़े हुए हैं और परस्पर अनुपूरक हैं।

आत्मनिर्भरता का सीधा संबंध क्वालिटी से होता है। अक्सर, ये माना जाता है कि नए-नए उत्पादों और इनकी क्वालिटी की बदौलत ही विकसित देश विश्व बाज़ार में अपना दबदबा स्थापित रखते हैं। इसीलिए भारत भी अपने शोध, अनुसंधान, मेहनत और लगन से ऐसी क्वालिटी

के उत्पाद तैयार करे जिससे एक ओर तो हमारी आयात पर निर्भरता ख़त्म हो सके और दूसरी ओर, विकसित देशों के उत्पादों की तरह भारतीय उत्पादों की भी दुनिया भर में माँग हो, चाहत हो और हम भी एक महत्त्वपूर्ण निर्यातक देश बन सकें। इसके समायोजन की सारी नीतियाँ व निर्देश कंपनी सचिवों को ही बड़ी निष्ठा से निर्धारित करनी होगी।

बात चाहे मानव संसाधन की हो या अन्य किसी भी उत्पाद की, सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा क्वालिटी को ही लेकर होती है। यदि हम सिर्फ़ उन प्राकृतिक उत्पादों को ही देखें जिन्हें कृषि क्षेत्र उत्पादित करता है तो भी हम पाते हैं कि बाज़ार में सिर्फ़ बेहतर वस्तुओं की ही माँग होती है। हल्की या कमज़ोर क्वालिटी के सामान को कभी ग्राहक नहीं मिलते जबकि उत्कृष्ट सामान के लिए बेहद ऊँचे दामों पर भी ख़रीदार मिल जाते हैं।

तमाम विकासशील देशों की तरह भारत की भी यदि कोई सबसे बड़ी चुनौती है तो वो है हमारे उत्पादों को क्वालिटी को और बेहतर या विश्व-स्तरीय बनाना। इसके लिए देश में प्रचुर संसाधन उपलब्ध हैं। प्रकृति ने हर लिहाज से भारत को बेहद संपन्न बनाया है। भारत यदि हर तरह की जलवायु और भौगोलिक क्षेत्र से संपन्न है तो हमारा आकार, हमारी आबादी, हमारी धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषायी विविधता भी अद्‌भुत है और यही विविधता संगठित होकर भारत के संगठित शासन में जन चेतना का प्राण अवश्य भरेगा। अब ज़रूरत सिर्फ़ इस बात की भारतीय जनमानस में क्वालिटी यानी गुणवत्ता को लेकर वैसी चाहत पैदा हो जिससे हमारे उत्पादों की दुनिया भर में माँग हो। यही आत्मनिर्भर और वोकल फॉर लोकल के मंत्रों के पीछे कंपनी सचिवों की मज़बूत सोच होनी चाहिए।

क्वालिटी का संबंध सिर्फ़ औद्योगिक उत्पादों से ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र से होता है, क्योंकि समाज की हरेक गतिविधि के बीच परस्पर निर्भरता होती है। जिंदगी के हरेक पहलू की क्वालिटी में सुधार ला कर ही हम आत्मनिर्भरता का सपना साकार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यदि हम कोरोना संकट से पैदा हुए हालात पर गौर करें तो पाएँगे कि सबसे बड़ा संकट अर्थव्यवस्थाओं में माँग-पक्ष के कमज़ोर पड़ने का है। कोरोना-काल ने इसे वैश्विक बना दिया है। इसीलिए अभी जितनी ताकत हमें अपनी सप्लाई चेन और स्टोरेज जैसी आधारभूत सुविधाओं को मज़बूत बनाने पर लगानी है, उतना ही ज़ोर अर्थव्यवस्था में माँग-पक्ष को मज़बूत करने, इसमें तेज़ी लाने के उपाय अपनाने पर भी रखना होगा। ऐसा करके ही उत्तम क्वालिटी के उत्पादों को बाज़ार तक पहुँचने के बाद भी खपत और उचित मूल्य के लिए नहीं तरसना पड़ेगा।

बाज़ार में माँग की कमी का सबसे भारी नुक़सान किसानों को होता है क्योंकि उनकी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था तो आज भी सिर्फ़ सीमित अनाजों के मामले में ही है। अन्य उपज को उचित मूल्य मिलने का सीधा संबंध माँग से है और माँग की निर्भरता लोगों की उस क्रय-शक्ति या आमदनी से होती है जिसे वो बाज़ार में खर्च करते हैं। लिहाजा, माँग से पहले हमें लोगों की आमदनी बढ़ाने या रोज़गार के नए अवसर विकसित करने होंगे।

भारत में हस्तशिल्प और आयुर्वेदिक उत्पादों की अपार सम्भावना है। इस सेक्टर के उत्पादों को भी उम्दा क्वालिटी, ब्रॉन्डिंग और मार्केटिंग की चुनौती से उबरना पड़ेगा। कृषि क्षेत्र भारत का सबसे परंपरागत और बुनियादी क्षेत्र है। इसकी उत्पादकता और अर्थव्यवस्था में इसका योगदान सबसे कम है, हालाँकि इस पर बहुत बड़ी आबादी आश्रित है। कृषि से जुड़ी हमारी आबादी का अनुपात भी तभी घट पाएगा जबकि अर्थव्यवस्था के बाकी क्षेत्रों जैसे औद्योगिक सेक्टर, सर्विस सेक्टर और आधारभूत सेक्टर के पहिये भी तेज़ी से घूम रहे हों और इनकी भी माँग में लगातार वृद्धि होती रहे।

ध्यान रहे कि जब भारतीय कृषि क्षेत्र की उत्पादकता भी विकसित देशों जैसी हो जाएगी तो भी ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे उत्पाद विश्व बाज़ार पर छा जाएँगे और हर जगह भारतीय सामानों की ही माँग होगी। होगा ये कि तब हमें उन देशों से और कड़ी प्रतिस्पर्धा मिलेगी जिनके उत्पादों को अभी वैश्विक बाज़ार मिल रहा है। लिहाजा, चाहे कृषि क्षेत्र हो या अन्य सेक्टर, यदि हम ख़ुद को मज़बूत बनाना चाहते हैं तो हमें उत्कृष्ट क्वालिटी का सामान प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर बनाकर दिखाना होगा। इसीलिए, चाहे बात आत्मनिर्भरता की हो या वोकल फॉर लोकल की, हर चुनौती की दवा सिर्फ़ एक ही है और वो है क्वालिटी, जिसका सारा नियोजन कंपनी सचिवों की नैतिक जिम्मेदारी है।

औद्योगिक संबल के लिए हमें भारतीय समाज में संगठित शासन व हर प्रकार के उद्योग के ढाँचे में आज बड़ा बदलाव पैदा करना होगा। स्वच्छता की तरह हमें क्वालिटी की महिमा को जन-जन तक पहुँचाकर उसे जनमानस का संस्कार बनाना होगा। हम जिस ह्यूमन कैपिटल या मानव संसाधन से सम्पन्न हैं उसकी भी क्वालिटी ऐसी करनी होगी कि रोज़गार के बाज़ार में लोगों की माँग हो। बेरोज़गारों को स्किल डेवेलपमेंट यानी कौशल विकास से ही रोज़गार पाने लायक बनाया जा सकता है।

जो कुछ भी हमारे देश में तैयार या उत्पादित किया जाता है, उसकी मात्रा भले ही कम या ज़्यादा हो, लेकिन क्वालिटी की प्रतिस्पर्धा में भारतीय उत्पादों का डंका अभी नहीं बजता। इसीलिए 135 करोड़ की आबादी वाले भारत में ऐसे कई विश्वस्तरीय उत्पादों का होना बहुत ज़रूरी है जिसे हमसे ख़रीदने के लिए दुनिया मज़बूर हो। शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में भी हमें विश्वस्तरीय मानकों पर और तेज़ी से अपने पंख फैलाने होंगे। हालाँकि, कुछेक क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ हमारे शोध और अनुसंधान ने उम्दा क्वालिटी का प्रदर्शन किया है। जैसे, स्पेस टेक्नोलॉजी में इसरो ने शानदार उपलब्धियाँ हासिल की हैं। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी उपलब्धि गर्व करने लायक रही है।

सबसे महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हमनें इस वैश्विक महामारी कोविड-19 के भयावह दौर में स्वास्थ्य एवं फार्मा सेक्टर में भारतीय कोवैक्सिन बनाकर प्राप्त की है। भारतीय सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी ने न्यूनतम समय में जीवन रक्षक कोवैक्सिन की खोज है जिससे न केवल भारतवासियों का जीवन रक्षण हुआ है बल्कि भारत ने दुनिया भर के लगभग 60 देशों को कोवैक्सिन निर्यात

किया है जिससे भारत का कद विश्व में सार्वभौमिक स्वरूप में बढ़ा है। हमारे कोवैक्सिन की धूम कोरोना काल के कहर को शांत कर रही है यह भारत के स्वास्थ्य व फार्मा सेक्टर की अभूतपूर्व सफलता है। कोरोना से बचाव के लिए द्रुत गति से किट का निर्माण हमारी दूरदर्शिता व कुशल नियोजन का ही परिणाम है। ये उपलब्धियाँ शिक्षा की क्वालिटी से सीधे जुड़ी हुई हैं। इसीलिए आबादी के अनुपात में हमें उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थानों की संख्या को बहुत बढ़ाना आवश्यक हैं।

कंपनी सचिवों के सार्वभौमिक निर्माण के लिए हमें कमर कसनी होगी। चिकित्सा के क्षेत्र में भी हम ज़्यादातर उच्च तकनीक वाले उपकरणों के लिए आयात पर ही निर्भर हैं। उदारीकरण की नीतियाँ अपनाने के बाद भारतीय ऑटो मोबाइल सेक्टर भले ही आत्मनिर्भर दिखने लगा लेकिन इस सेक्टर की भी ज़्यादातर कंपनियाँ बुनियादी तौर पर विदेशी ही हैं। इसी तरह, रक्षा और संचार जैसे बड़े सेक्टरों में भी हमारी आयात पर ही अतिशय निर्भरता है। इन्हीं क्षेत्रों को आत्मनिर्भरता और वोकल फॉर लोकल की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है।

यही हाल, फार्मा सेक्टर का भी है क्योंकि दवाईयों का भारत उत्पादक तो बहुत बड़ा है लेकिन इसके कच्चे माल (API-Active Pharmaceutical Ingredient) का हमें भारी पैमाने पर आयात ही करना पड़ता है। लिहाजा, इस क्षेत्र में भारतीय कंपनियों के पास अपार संभावना है। स्पष्ट है कि भारत को यदि वास्तव में आत्मनिर्भर बनकर दिखाना है, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को साकार करना है तो हमें क्वालिटी की उपासना को अपना संस्कार बनाना ही होगा।

दुनिया के हरेक उन्नत समाज की तरह भारत में भी क्वालिटी के लिए राष्ट्रीय आंदोलन या अभियान का होना सबसे ज़रूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मंत्रों ने इसका बिगुल बजा दिया है क्योंकि नए शोध और उम्दा क्वालिटी की संस्कृति के पनपने तक भारत किसी नए डर में नहीं जा सकता। शोध और क्वालिटी का कोई छोटा मार्ग या विकल्प नहीं हो सकता। क्वालिटी कभी रातों-रात हासिल नहीं होती। इसे हासिल करने में भी पीढ़ियाँ खप जाती हैं। सुखद ये है कि भारत अब सपने साकार करने के लिए कमर कसकर जुट रहा है।

कारपोरेट गवर्नेंस आज और कल के दोनों ही पहियों पर गतिमान रहता है। यदि संगठन का उद्देश्य नवीनतम चुनौतियों और नवीनतम समाधान के मध्य का हो तभी राष्ट्र के आर्थिक प्रहरी कंपनी सचिव हमारे राष्ट्र भारत को फिर से सोन चिरैया बना सकते हैं। कंपनी क़ानून के अंतर्गत सी.एस.आर. फंड के द्वारा जो समाज और समय की सार्वभौमिक सेवा का शानदार संकल्प निर्वहन किया जा रहा है निश्चय ही यह अनुकरणीय है, पूजनीय है। आत्मनिर्भर भारत के पाँच महत्त्वपूर्ण पहलू अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढाँचा, प्रौद्योगिकी, जनसांख्यिकी व माँग पर आप कंपनी सचिवों को निष्ठा व सजगता से कार्य करना है जो कि लगातार किए भी जा रहे हैं, यही शानदार प्रयास लगातार ऊँचाई को छूता रहेगा।

आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में वैश्वीकरण का बहिष्कार नहीं किया जा सकेगा बल्कि अपने महत्त्वपूर्ण सहयोग से हमारे द्वारा दुनिया के विकास में हर प्रकार का सहयोग किया

जाएगा। उद्योग का आधार ही सहयोग है, और यही सहयोगी माहौल मज़बूत करना है। कॉर्पोरेट प्रशासन में अक्सर निदेशक मंडल प्रमुख भूमिका निभाता है। यह उनकी जिम्मेदारी है कि संगठन की रणनीति का समर्थन, दिशात्मक नीति का विकास, नियुक्ति, पर्यवेक्षण करें और वरिष्ठ कार्यपालकों को पारिश्रमिक दें तथा उसके मालिकों और प्राधिकारियों को संगठन की जवाबदेही सुनिश्चित करें।

कॉर्पोरेट प्रशासन के सभी पक्षकारों की, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, संगठन के प्रभावी निष्पादन में दिलचस्पी होनी ही चाहिए। निदेशक, कर्मचारी और प्रबंधन को वेतन, लाभ और प्रतिष्ठा प्राप्त हो, जबकि शेयर धारकों को पूँजी पर प्रतिफल मिलता रहे। ग्राहकों को माल और सेवाएँ हासिल होती रहें आपूर्तिकर्ताओं को उनके उत्पादों या सेवाओं के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त होती रहे। बदले में ये व्यक्ति पूँजी के प्राकृतिक, मानवीय, सामाजिक या अन्य रूपों में मूल्य प्रदान करते रहें। सबसे महत्त्वपूर्ण बात है कि व्यक्ति का संगठन में भाग लेने का निर्णय लें जैसे वित्तीय पूँजी प्रदान करें और उन्हें विश्वास रहे कि उन्हें संगठन के लाभ का एक उचित हिस्सा मिलता रहेगा।

अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन के सिद्धांतों के मुख्य तत्त्वों में यही बात शामिल है। ईमानदारी, विश्वास और अखंडता, खुलापन, निष्पादन अभिविन्यास, जिम्मेदारी और जवाबदेही, परस्पर सम्मान और संगठन के प्रति वचनबद्धता। इन्हीं मानकों के दम पर हम वर्तमान से कल तक के लिए बेहद मज़बूत कारपोरेट गवर्नेंस हमारे भारत को दे सकते हैं, और यह हमारी अखंड प्रतिज्ञा है कि हम यह सब कुछ हमारे समय में करके ही मानेंगे।

कोरोना काल के उबरने के लिए हम भारतीयों को जो मज़बूत इच्छा शक्ति मिलेगी वह कारपोरेट गवर्नेंस से ही संभव है। आइए, हम सहयोग से संगठन का शासन लाएँ और आज से ही कल का मज़बूत स्वावलंबी आत्मनिर्भर मज़बूत आर्थिक बनाने में अपने दायित्वों की निष्ठापूर्ण आहुति दें।

हम दिग दिगंत भारतवासी हैं।
हम चलते हैं तो जग चलता है।।
हम जागें तो युगों की निद्रा टूटती है।
हमसे ही युगों-युगों में मानव प्रगति है।।

हमारे समय का हर प्रयास अटूट रहे, अखंड रहे। सरकार की योजनाओं को ज़मीनी बना सकें हमारे देश की माटी हमें इतना बल दे।

❑

प्रो. डॉ. एन.के. थापक एवं रतन सिंह तोमर

विधिक सहायता संविधानिक एवं मूल अधिकार

आज विधिक सहायता केवल राज्य की दया पर निर्भर नहीं है बल्कि विधिक सहायता पाना व्यक्ति का मूल अधिकार मान लिया गया है। एक लंबे अंतराल तक विधिक सहायता कार्यक्रम सरकारी नीतियों पर आश्रित था और राज्य अपनी सुविधानुसार लोगों को क़ानूनी सहायता प्रदान करता था। भारतीय संविधान में इसके बारे में कोई भी स्पष्ट प्रावधान नहीं था। बयालीसवें संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्वों में एक नया अनुच्छेद 39-ए जोड़ा गया एवं विधिक सहायता का सांविधानीकरण कर दिया गया।

सिविल प्रक्रिया संहिता एवं आपराधिक प्रक्रिया संहिता में भी उचित संशोधन करके विधिक सहायता को क़ानूनी आधार प्रदान किया गया। विधिक सहायता के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण वर्ष 1987 आया जब विधिक सहायता पर एक अलग से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पारित किया गया। राष्ट्रीय स्तर से लगाकर तालुका स्तर पर विधिक सहायता प्रदान करने के लिए संस्थाएँ स्थापित की गईं। इन सभी प्रावधानों का विस्तृत अध्ययन करना हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा।

भारतीय संविधान भारत का सर्वोच्च क़ानून है। यह केवल सरकार, राजनीतिज्ञों या केवल अमीर लोगों के लाभ के लिए नहीं बनाया गया है। संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट उल्लेख है कि संविधान भारत के लोगों द्वारा सभी लोगों के लिए बना है। इसके लाभ ग़रीब एवं कमज़ोर वर्ग को मिलना अति आवश्यक है अन्यथा भारत में लोकतंत्र नाममात्र का रह जाएगा। यद्यपि भारतीय संविधान में यह स्पष्ट नहीं लिखा गया है विधिक सहायता पाना व्यक्ति का मूल अधिकार है, किंतु ऐसे कई प्रावधान हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विधिक सहायता से संबंधित है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इस बात का उल्लेख है कि संविधान का मुख्य उद्देश्य लोगों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक रूप से न्याय प्रदान करना है। जब तक कमज़ोर वर्ग न्याय से वंचित होता रहेगा या उसकी पहुँच न्यायालय के दरवाजे तक नहीं होगी भारतीय संविधान का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए विधिक सहायता देना भारतीय संविधान के उद्देश्य की पूर्ति हेतु अत्यंत आवश्यक है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में यह व्यवस्था की गई है कि विधि के समक्ष सभी को समान समझा जाएगा एवं विधि का सभी व्यक्तियों को समान संरक्षण मिलेगा। अतः भारत

में विधि का शासन रहेगा न कि व्यक्ति का। विधि के शासन की व्यवस्था ब्रिटिश संविधान से प्राप्त की गई तथा विधि का समान संरक्षण अमेरिका के क़ानून के अनुसार किया गया।

इस अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य सभी लोगों को न्याय प्रदान करना है तथा क़ानून का उपयोग मनमाने ढंग से रोकना है। निष्पक्ष एवं समान न्याय की व्यवस्था करना ही राज्य के नीति निदेशक तत्वों का मूल मंत्र है।

पाँचवें विधि आयोग के अध्यक्ष श्री एम.सी. शीतलवाद ने अनुच्छेद 14 की व्याख्या करते हुए कहा कि राज्य किसी भी व्यक्ति को समानता एवं विधि का समान संरक्षण प्रदान करने से मना नहीं करेगा। न्याय व्यवस्था का आधार समानता ही होनी चाहिए। उचित न्याय व्यवस्था के बिना कहीं पर भी सही रूप से लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता। न्याय व्यवस्था तभी उचित मानी जाएगी जब ग़रीब-से-ग़रीब व्यक्ति भी इसका लाभ उठा सकें। इसलिए न्याय व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें राज्य के प्रत्येक नागरिक को न्याय सुलभ हो सके।

न्याय व्यवस्था में समानता उत्पन्न करना आधुनिक विधिशास्त्र का आधार माना जाता है। अब इस बात में कोई संदेह नहीं रहा कि जब तक किसी भी राज्य के न्याय प्रशासन में समानता का अधिकार स्थापित नहीं हो तब तक लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम नहीं होगी।

समानता उत्पन्न करने के लिए सभी लोगों को न्याय पाने के समान अवसर प्रदान करने होंगे। आज न्यायालय तक पहुँच केवल अमीर लोगों की है जिसकी जेब में बहुत-सा धन एवं अतिरिक्त समय हो वे ही न्यायालय में विधि की कुश्ती खेल सकते हैं। अच्छा वकील नियुक्त करने के लिए व्यक्ति को उसकी भारी फ़ीस की व्यवस्था करनी पड़ती है जो ग़रीब व्यक्ति के लिए संभव नहीं है।

इस कारण वह अपना पक्ष सही रूप से प्रस्तुत नहीं कर सकता और न्याय से वंचित हो जाता है। इसलिए कमज़ोर व्यक्ति को विधिक सहायता प्रदान करना अनिवार्य हो जाता है। विधिक सहायता की समस्या केवल प्रक्रियात्मक नहीं है बल्कि एक मूलभूत समस्या है।

अनुच्छेद 14 मात्र विधि के शासन को ही प्रदर्शित नहीं करता बल्कि लोगों की समझ एवं जीवनपद्धति की ओर भी इशारा करता है। ग़रीब व्यक्ति का न्याय से वंचित रहना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जाता है।

आज का क़ानून अत्यधिक जटिल है इसके विभिन्न नियमों एवं तकनीक को समझना न्यायाधीश एवं वकीलों के लिए भी कठिन है। ऐसी क़ानूनी व्यवस्था आम व्यक्ति के लिए लाभप्रद नहीं रही है। अतः आम व्यक्तियों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए निःशुल्क क़ानूनी सहायता अनिवार्य हो जाती है। विधिक सहायता के बिना समानता का अधिकार निरर्थक एवं मजाक होगा।

विधिक सहायता को समानता के अधिकार के एक भाग के रूप में माना जाना चाहिए। यदि हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करनी है तो सर्वप्रथम हमें कमज़ोर वर्ग को विधिक सहायता प्रदान करनी होगी। न्यायालय में व्यक्तियों को अपना प्रतिनिधित्व करवाने का अधिकार देना

तभी सार्थक होगा जब ग़रीब व्यक्ति को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का तथा अच्छे अधिवक्ता को नियुक्त करने का अवसर मिलेगा।

विधिक सहायता के बिना स्वतंत्रता का अधिकार भी निरर्थक है। धन के अभाव से यदि व्यक्ति न्याय पाने से वंचित रहता है तो उसके लिए विधिक अधिकार कुछ भी अर्थ नहीं रखेगा (अग्रवाल, एस.एल., यू.एस. विधिक सहायता का सामाजिक प्रभाव, जर्नल ऑफ कॉन्स्टीट्शसन एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज, 26 (1972)। अनुच्छेद 14 का उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के ग़रीब एवं अमीर सभी के लिए समान अवसर प्रदान कराना है और ऐसा समान अवसर विधिक सहायता के बिना संभव नहीं है। विधिक सहायता के बिना समान न्याय व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जा सकता। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भी उचित होनी आवश्यक है, मनमानी प्रक्रिया के द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जा सकता। प्राकृतिक न्याय के बिना कोई भी प्रक्रिया उचित नहीं कहलाई जा सकती। यदि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीनना है तो पहले उसे सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए। आज का क़ानून बहुत ही जटिल है ऐसे समय वकील द्वारा प्रतिनिधित्व करवाए बिना कोई भी व्यक्ति अपना सही रूप से पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकता। ग़रीब व्यक्ति धन के अभाव में अधिवक्ता नियुक्त करने में असमर्थ रह जाते हैं और इस तरह अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए उनके मूल अधिकार का हनन हो जाता है। प्रत्येक अभियुक्त के पास अपना बचाव प्रस्तुत करने के पूर्ण साधन उपलब्ध करवाना अनुच्छेद 21 की पालना के लिए अतिआवश्यक है।

अब सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि निःशुल्क विधिक सहायता सही एवं उचित प्रक्रिया का ही अंग है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत विधिक सहायता सम्मिलित है। केंद्रीय एवं राज्य सरकारें धन के अभाव का बहाना लेकर सांविधानिक दायित्व से मुँह नहीं मोड़ सकती। राज्य को विधिक सहायता के लिए आवश्यक क़दम अवश्य उठाने चाहिए। अब सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित कर दिया कि विधिक सहायता पाना लोगों का मूल अधिकार है।

अनुच्छेद 39क जोड़ने से अनुच्छेद 21 का महत्व और भी बढ़ जाता है। एक तरफ़ विधिक सहायता पाना लोगों का मूल अधिकार है तो दूसरी ओर अनुच्छेद 39क के तहत विधिक सहायता देना राज्यों के लिए नीति निदेशक तत्व भी है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(1) में यह व्यवस्था की गई है कि किसी भी व्यक्ति को अधिवक्ता से संपर्क करने एवं उससे अपनी प्रतिरक्षा करवाने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। जब किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है तो उसे यह अधिकार होता है कि वह अपने वकील से सलाह ले और अपने मामले की पैरवी करवाए। यदि कोई व्यक्ति ग़रीब होता है और वकील की फ़ीस चुकाने में असक्षम होता है तो वह इस अधिकार से वंचित हो जाता है। ऐसे समय उसे विधिक सहायता देना आवश्यक हो जाता है अन्यथा उस व्यक्ति

के लिए अनुच्छेद 22(1) का लाभ निरर्थक हो जाता है। वकील नियुक्त करने का अधिकार प्रत्येक प्रकार के अभियुक्त के लिए है चाहे वह विचारण से पहले बंदी हो या विचारण के दौरान। यदि किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिया जाता है तो भी वह अपने इस अधिकार से वंचित नहीं रहता है।

सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व में यह मत था कि इस अनुच्छेद के तहत दिया गया अधिकार पूर्ण नहीं है। किंतु अब न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि जो व्यक्ति वकील नियुक्त करने में असमर्थ है उसे वकील उपलब्ध करवाना राज्य का कर्त्तव्य है।

अनुच्छेद 39-क संविधान में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों को न्याय उपलब्ध करवाना था। इस अनुच्छेद के तहत राज्य को निर्देश दिया गया कि यदि कोई व्यक्ति न्याय पाने से वंचित रहता है तो उसे राज्य के खर्च पर निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। यद्यपि अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दिया गया है किन्तु न्याय पाने के समान अवसर उपलब्ध करवाए बिना अनुच्छेद 14 का कोई महत्व नहीं रहता है।

अनुच्छेद 39-क द्वारा ग़रीबों को निःशुल्क विधिक सहायता को सांविधानिक दर्जा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 39-क के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि इस अनुच्छेद का उद्देश्य लोगों को सामाजिक एवं समान न्याय उपलब्ध करवाना है। राज्य को विस्तृत विधिक सेवा योजना बनाकर इस उद्देश्य की पूर्ति करनी चाहिए। लोगों के मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निदेशक तत्वों में कोई विरोधाभास नहीं है, इनमें एकरूपता लाकर विधिक जगत में क्रांति लानी चाहिए।

अनुच्छेद 39-क के क्रियान्वयन के लिए कोई भी रिट याचिका नहीं की जा सकती किंतु इस अनुच्छेद को अनुच्छेद 21 की व्याख्या का एक सशक्त साधन बनाजा जा सकता है। विधिक सहायता पाने का अधिकार अभियुक्त को उसी क्षण प्राप्त हो जाता है जब उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यह अधिकार उस समय तक उपलब्ध रहता है जब तक उसके विरुद्ध न्यायालय में कार्यवाही समाप्त नहीं हो जाती। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 304 के अंतर्गत अभियुक्त को विधिक सहायता प्रदान की जाती है किंतु उसके पीछे भी मुख्य ताकत सांविधानिक प्रावधानों से ही है। सामान्य क़ानून में आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है किंतु सांविधानिक प्रावधानों के होने से विधिक सहायता के अधिकार को और अधिक बल मिला है। अनुच्छेद 14, 21, 22 एवं 39-क के संयुक्त प्रभाव से विधिक सहायता ने संविधान में अपनी जड़ें मज़बूत कर ली हैं।

स्रोत : व्यक्तिगत शोध के आधार पर

❑

शोध-पत्र

डॉ. श्रीमती राजेश जैन

पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता एवं चुनौतियाँ

किसी भी राष्ट्र का विकास तभी संभव है जब वहाँ की महिलाएँ विकास कार्यों में सहयोग प्रदान करें। महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर घर के किसी कोने में गड़ा ख़ज़ाना अचानक मिल जाए तो कितनी ख़ुशी होगी। महिला शक्ति सुस्त पड़ी है, अगर भारत की महिलाएँ जाग जाए तो वे इसी प्रकार विश्व को चकाचौंध कर देगी। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि ''समाज में स्त्री का बड़ा महत्त्व है, जिस घर परिवार में स्त्री शिक्षित है उनके बच्चे सदा उन्नति के पथ पर अग्रसर रहे हैं।'' स्त्री पुरुष की संगिनी है जिसकी बौद्धिक क्षमताएँ, पुरुष की बौद्धिक क्षमताओं से किसी भी तरह कम नहीं है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ सृष्टि की मेरुदंड महिलाओं को हाशिए पर रखकर विकास का लक्ष्य संभव हुआ हो। महिलाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़े बिना किसी समाज, राज्य एवं देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।[1]

यह सर्वविदित है कि हमारे देश की जनसंख्या का लगभग आधा भाग 48.53 प्रतिशत महिलाएँ है, किंतु राजनीति में महिलाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत बहुत कम है। लेकिन भारत में 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 ने महिलाओं के लिए पंचायती राज व्यवस्था में 33 प्रतिशत आरक्षण देने से पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी की दिशा में 'मील का पत्थर' साबित हुआ है। वर्तमान में पंचायतों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने से पंचायती राज व्यवस्था को न केवल एक नई दिशा मिली है बल्कि महिलाओं को राजनीतिक सहभागिता करने का अवसर प्रदान किया है।

आज पूरे देश में लगभग 2.5 लाख पंचायतें हैं जिनमें लगभग 32 लाख प्रतिनिधि चुनकर आए हैं, इनमें से 14 लाख (यानि 45.15 प्रतिशत) से भी अधिक महिला प्रतिनिधि हैं। ये आँकड़े यह बताने के लिए पर्याप्त है कि किस तरह से महिलाएँ राजनीतिक कार्यों में सहभागिता कर रही हैं। महिलाओं की गाँव के कामों में बढ़ती भागीदारी न केवल महिलाओं के स्वयं के स्वाभिमान के लिए सकारात्मक संकेत है बल्कि इससे संपूर्ण भारत के गाँवों में फैली सामाजिक असमानता भी दूर होगी।[2]

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायती राज अधिनियम, 1992 महिलाओं के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत में इस क़ानून के लागू होने से महिलाओं की स्थिति

में काफ़ी सुधार हुआ है। एक ओर जहाँ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ घूँघट में रहने के लिए विवश थी और उन्हें पंचायतों में बोलने का बहुत कम अधिकार था। उन्हें अपने पति, पिता या रिश्तेदारों पर निर्भर रहना पड़ता था। महिलाएँ अपनी समस्याओं पर ख़ुद नहीं बोल पाती थीं। लेकिन आज का समाज भी बदल रहा है। महिलाओं को अपने अधिकार भी मिल रहे हैं।

पहली बार 1959 में जब पंचायतों के विकास के लिए वलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया तो इस समिति ने महिलाओं के लिए भागीदारी की बात की। 2 अक्टूबर, 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का श्री गणेश हुआ। वलवंत राय मेहता का प्रतिवेदन पंचायतीराज व्यवस्था के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण रहा। 73वाँ संविधान संशोधन के बाद स्थापित पंचायतीराज व्यवस्था का स्वरूप सामान्यतः उन्हीं आधारभूत सिद्धांतों पर आधारित है जिन्हें मेहता समिति ने दिया था। भारत के विभिन्न राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था का गठन किया गया, जो इस प्रकार है --

1. ग्राम स्तर पर ग्राम सभा पंचायत, सरपंच, उप-सरपंच एवं पचायत सचिव।
2. खंड स्तर पर पंचायत समिति प्रधान/अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विकासखंड अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी
3. ज़िला स्तर पर ज़िला परिषद्, ज़िला अध्यक्ष, उपज़िला अध्यक्ष, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी वर्ग।

पुरुषवादी मानसिकता वाले अक्सर यह तर्क देते रहे है कि महिलाएँ पंचायतों का काम ठीक से नहीं कर सकती हैं। लेकिन सर्वेक्षणों और चुनाव के नतीजे इसके विपरीत हैं। अतः यह सर्वविदित है कि जीविकोपार्जन और संतानोत्पत्ति की दोहरी भूमिका के बीच खड़ी महिलाओं की पारिवारिक भूमिका अत्यंत सराहनीय एवं प्रशंसनीय है जिन्हें वे अनंतकाल से सफलतापूर्वक निभा रही हैं। इसके अतिरिक्त, आज दुनिया के प्रायः हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी मेहनत और लगन से सफलता के कीर्तिमान स्थापित किए हैं। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे विज्ञान, कला, साहित्य और खेल का क्षेत्र हो, उन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में अपनी सफलता का परचम फहराया है।

परंतु भारतीय गणतंत्र में महिलाओं को अपनी राजनीतिक सहभागिता का सुअवसर पंचायतीराज में ही प्राप्त हुआ है। वर्तमान समय में अधिकांश राज्यों ने महिला आरक्षण 33 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत तक कर दिया है, जिससे ग्राम पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ गई है। पंचायती राजव्यवस्था से महिलाओं का जीवन बहुत अधिक प्रभावित हुआ है। उन्हें समाज का विशेष सदस्य बना दिया गया है। अतः भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजव्यवस्था अपनाई गई है जिसके माध्यम से अधिक से अधिक महिलाएँ निर्वाचित होकर पंचायतों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।[3]

वर्तमान समय में यदि आँकड़ों की दृष्टि से पंचायतों में महिलाओं की स्थिति का अवलोकन करें तो स्पष्ट है कि --

1. भारत में 62 लाख 53 हज़ार 268 ग्राम पंचायतें हैं।

2. 6614 मध्यवती क्षेत्रीय पंचायतें हैं अर्थात् पंचायत समिति।
3. 630 ज़िला पंचायतें हैं। इस तरह कुल 2 लाख, 60 हज़ार, 512 पंचायत संस्थाएँ हैं।
4. इन संस्थाओं में कुल 29 लाख, 3 हज़ार, 277 ग्राम पंचायत प्रतिनिधि हैं, जिनमें से 12 लाख, 92 हज़ार, 203 महिलाएँ हैं।
5. 1 लाख, 80 हज़ार क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि हैं जिनमें से 75 हज़ार, 620 महिलाएँ क्षेत्र (ब्लॉक स्तर) पंचायतों में हैं।
6. 17 हज़ार, 527 ज़िला पंचायत प्रतिनिधि है जिनमें से 8 हज़ार, 91 महिलाएँ ज़िला पंचायतों में प्रतिनिधित्व कर रही है।

इस प्रकार कुल पंचायत प्रतिनिधियों की संख्या 32 लाख से अधिक हैं, जिसमें से 13 लाख 75 हज़ार, 914 महिलाएँ पंचायतों में प्रतिनिधित्व कर रही हैं इनमें से 90 हज़ार से अधिक महिलाएँ तीनों स्तरों पर अध्यक्ष भी चुनी गई हैं।[4]

समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। विकसित एवं सभ्य समाज में भी महिलाओं के समक्ष कड़ी चुनौतियाँ हैं। महिलाओं ने विपरीत परिस्थितियों में भी असीम धैर्य, अद्वितीय साहस और सूझ-बूझ से कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं।

इस प्रकार स्पष्ट है कि पंचायतीराज व्यवस्था के माध्यम से ऐसी अनेक महिलाएँ है जिन्होंने पंचायतों का नेतृत्व संभालने के पश्चात् ग्रामीण विकास के लिए अनेक सामाजिक, आर्थिक आदि कार्य किए है जिनमें 1. आंध्र प्रदेश में फातिमा बी., 2. गुजरात से सविता वेन, 3. राजस्थान से शहनाज खान, 4. मध्य प्रदेश से गुड़िया बाई तथा श्रीमती कली बाई आदि प्रमुख हैं। इस तरह देश भर से लाखों निर्वाचित पंचायत महिला प्रतिनिधि सफलता की अनेक कहानियाँ लिख रही हैं अर्थात् विकास के नए आयामों को छू रही हैं।

महिला आरक्षण से हो रहा है महिलाओं की स्थिति में बदलाव

73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज में महिला आरक्षण से महिलाओं की स्थिति में निरंतर बदलाव आ रहे हैं। इससे पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। आज देश में 2.5 लाख पंचायतों में लगभग 32 लाख प्रतिनिधि चुन कर आ रहे हैं। इनमें से 14 लाख से भी अधिक महिलाएँ हैं जो कुल निर्वाचित सदस्यों का 46.14 प्रतिशत है। पंचायती राज के माध्यम से अब लाखों महिलाएँ राजनीति में हिस्सा ले रही हैं।

पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण मिलने से निम्नलिखित बदलाव देखने को मिले हैं --

1. बालिका शिक्षा के प्रति सोच सकारात्मक हुई है और इसके प्रति लोगों की रुचि बढ़ रही है।
2. आरक्षण के कारण महिलाएँ अपने अधिकारों व अवसरों का लाभ उठा रही हैं।
3. भारतीय समाज में महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक हालत में सुधार व बदलाव के संकेत मिल रहे हैं।

4. पुरुषों के साथ क़दम-से-क़दम मिलाकर विकास कार्यों में सहभागिता बढ़ रही है।
5. महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आत्म-सम्मान का विकास हुआ है।
6. SC/ST और अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण के कारण राजनीतिक क्षेत्रों में क़दम रखने का अवसर प्राप्त हुआ है।

पंचायतीराज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण देने से उनकी सहभागिता और अधिक बढ़ रही है। आज पुरुष समाज उन्हें सम्मान के साथ उनकी समस्याओं को पंचायतों में विशेष ध्यान दे रहे हैं। पंचायतीराज व्यवस्था के माध्यम से महिलाओं का जीवन बहुत प्रभावित हुआ है। सही मायने में पंचायती राज ने महिलाओं को समाज का एक विशेष सदस्य बना दिया है।[5]

पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के समक्ष चुनौतियाँ

भारतीय समाज में महिलाओं को अभी और आगे आने की ज़रूरत हैं। विभिन्न अधिकार और आरक्षण प्राप्त होने के बावजूद, आज पंचायतों में महिलाओं की जगह उनके पति, पुत्र, पिता या रिश्तेदार उनकी भूमिका निभाते नज़र आते हैं। अधिकतर निर्वाचित महिलाओं को निर्वाचक सदस्य होने के विषय में पूर्ण जानकारी भी नहीं है। ग्राम सभा की बैठकों में वे मूकदर्शक बनी रहती है, और उनके रिश्तेदार ही पंचायत के कामों का संचालन करते हैं। अगर उनसे पंचायतों के बारे में कुछ पूछा जाता है तो वह एक ही वाक्य में अपनी बात समाप्त कर देती हैं।

अब भी कुछ परिवार महिलाओं को पंचायतों में काम करने की स्वीकृति नहीं देते हैं। क्योंकि वे महिला का स्थान घर में समझते हैं, पंचायत में नहीं। भारत के कई राज्यों में अब भी महिला सरपंचों के पति ही उनके काम सँभालते हैं। इस कारण, उन्हें 'सरपंच पति' या 'प्रधान पति' जैसे शब्दों से नवाज़ा जाता है। यहाँ तक कि सभाओं में या अन्य जगहों पर अपने आपको प्रधान पति कहने में अपनी साख समझते हैं। उनका काम तो चुनाव लड़ने की प्रक्रिया से ही शुरू हो जाता है। पुरुष ही चुनावों में वोट माँगते हैं और प्रचार भी करते हैं। चुनाव में एजेंट बनने से मतगणना तक की व्यवस्था अपनी निगरानी में करवाते हैं।

चुनाव से पहले और जीतने के बाद महिला प्रतिनिधि केवल हस्ताक्षर करती नज़र आती हैं। उनकी तरफ़ से सारे वायदे और योजनाएँ उनके पति ही जनता के सामने पेश करते हैं। इसके फलस्वरूप, स्वस्थ जनप्रतिनिधियों का चुनाव नहीं हो पाता है। शिक्षा और जन-जागरुकता के अभाव में महिला प्रतिनिधियों को ग्राम पंचायत पर सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी नहीं हो पाती है। इस प्रकार महिला प्रतिनिधि हस्ताक्षर करने वाली कठपुतली बन कर रह जाती हैं।[6]

पंचायतीराज व्यवस्था में इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं के आने से ज़मीनी स्तर पर काफ़ी बदलाव हुए हैं। पंचायती राज व्यवस्था से ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार तो आया है परंतु अभी भी वह महिलाएँ इतनी सशक्त नहीं हुई हैं कि इस व्यवस्था में अपनी ज़ोरदार भूमिका निभा सकें। इसके लिए आवश्यकता है -- (1) महिलाओं को शिक्षित करना,

(2) उनमें आत्म-विश्वास जाग्रत करना, (3) उनका मनोबल बढ़ाना, (4) परिवार का पूरा सहयोग मिलना, (5) उन्हें निडर बनाना तथा राजनीतिक प्रशिक्षण देना। ताकि वे पंचायती राज व्यवस्था में अपनी पूरी सहभागिता प्रदान कर भारतीय लोकतंत्र को और अधिक मज़बूत बना सके।

❑

संदर्भ

1-2. चौधरी डॉ. कृष्ण चंद्र, कुरुक्षेत्र, पत्रिका जुलाई, 2018, पृ. 37, 37

3. नीरा देसाई, भारतीय समाज में महिलाएँ, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, 2009, पृ. 69

4. कृतिका पत्रिका, जुलाई 2019 से दिसंबर 2020, (संयुक्तांक), लखनऊ, पृ. 236

5. राजकुमार, नारी के बदलते आयाम, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 2018

6. पंवार योगिता महेश, महिला सशक्तिकरण : फिर भी मंज़िल अभी बाक़ी, 8 मार्च, 2016, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली, पृ. 59

महिला विधि भारती के स्वामित्व एवं अन्य जानकारी से संबंधित विवरण

प्रपत्र चतुर्थ (देखिए नियम 8)

1.	प्रकाशन स्थान	दिल्ली
2.	प्रकाशन की अवधि	त्रैमासिक
3.	प्रकाशक का नाम	सन्तोष खन्ना
	राष्ट्रीयता	भारतीय
	पता	बी.एच/48 (पूर्वी) शालीमार बाग, दिल्ली-88
4.	मुद्रक का नाम	सन्तोष खन्ना
	राष्ट्रीयता	भारतीय
	पता	बी.एच/48 (पूर्वी) शालीमार बाग, दिल्ली-88
5.	सम्पादक का नाम	सन्तोष खन्ना
	राष्ट्रीयता	भारतीय
	पता	बी.एच/48 (पूर्वी) शालीमार बाग, दिल्ली-88
6.	उन व्यक्तियों के नाम व पते	विधि भारती परिषद
	जो पत्रिका के स्वामी और	बी.एच/48 (पूर्वी) शालीमार बाग, दिल्ली-88
	भागीदार हैं तथा कुल पूँजी के	
	एक प्रतिशत से अधिक शेयर-धारक है।	

मैं, सन्तोष खन्ना घोषित करती हूँ कि मेरी जानकारी के अनुसार उपरोक्त विवरण सही है।

हस्ता. सन्तोष खन्ना

कहानी

मीनाक्षी स्वामी

स्वांग

'चल री छोरी, मेरे साथ पूरी बेलने चल। दो पैसे हाथ में आएँगे और मन भी बहलेगा। नीं तो यूँ ई सूनी आँखों से दीवारों को ताकती रेवेगी।'

'पर काकी गुनिया को कौन सम्हालेगा?' भुरली का स्वर जैसे किसी गहरे कुएँ से आया।

'इसे भी ले चल। गोदी में लिटा लेना। सोती रेवेगी। रोए तो दूध पिला देना।'

'हाँ पर...काकी...।' भुरली पशोपेश में है।

'अरी चल, लौटते में सौ-सौ के दो क़रारे नोट मिलेंगे तो पर...वर सब भूल जावेगी।' क़रारे नोटों के काल्पनिक स्पर्श से भुरली की पशोपेश जाती रही। मन में उमंग आ गई। दो सौ रुपयों में तो कितने सारे काम हो जाएँगे।

'बाबू आ जाएँ तो उन्हें बताकर चलें।' अलगनी पर टंगी साड़ी उतारते भुरली ने कहा।

'अरी भागवान, चल तो। तेरा बाबू गली के नुक्कड़ पर ठेला ले के बैठा रेता है इत्ती टेम। ज़्यादा ठेला खेंचना अभागे के बस का नीं है। झटपट चल, दूर जाना है। ठेकेदार की गाड़ी वंई खड़ी मिलेगी, नुक्कड़ पे। चूक गई तो बीस रुप्पइये जाने के और इत्ते ई आने के लगेंगे, वो बी सरकारी बस में। बैठने की जगै बी मिले नीं मिलेगी। धक्के खाते खड़े-खड़े जाना पड़ेगा। फिर बचेगा क्या...? एक सौ साठ...। चल जल्दी कर।'

भुरली ने जल्दी से फटी पुरानी साड़ी बदन से उतारी। अलगनी पर टंगी दूसरी साड़ी पहनने लगी। 'ये साड़ी भी जगह-जगह से घिसकर कमज़ोर हो गई है...।' बुदबुदाते हुए भुरली को गुनिया के बाबू की याद आ गई। बुधवार के हाट से दिलाई थी। सफेद साड़ी पर नीले-नीले फूल। घर पर लाए तो माई देखते ही बम भड़ाक हो गई थी।

'काहे अपसगुन करते हो सफ़ेद साड़ी लाकर...!'

और फिर जाने कैसे सुरसती आकर बैठ गई होगी माई की जीभ पर। महीना भर भी नहीं हुआ कि गाड़ी की चपेट में आ गया। गुनिया तो पेट में ही थी।

मरद गया कि ससुराल में सब बेगाने। जेठजी का अपनापन नीयत की ख़राबी से भरा था। रोती कलपती भुरली को बाबू घर ले आए। गुनिया भी यहीं आकर हुई। ससुराल से तो कोई देखने तक न आया।

सोचती-सोचती भुरली काकी के साथ आकर ठेकेदार की गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी क्या मेटाडोर है। कढ़ाई, झारे, पल्टे, कड़छी के साथ दो हलवाई और चार-पाँच पूरी बेलने वाली हैं। काकी

ने जगह बनाकर पहले भुरली को बिठाया फिर ख़ुद बैठी। छह महीने की गुनिया गाड़ी में बैठी टुकुर-टुकुर बाज़ार देखने लगी। भुरली को थोड़ी तसल्ली हुई। कभी गुनिया को देखती, कभी बाज़ार। धीरे-धीरे वह भी अतीत से बाहर निकल बाज़ार की रौनक में खो गई। धूप तेज़ हो गई। भुरली ने गुनिया को अपने पल्लू से ढक लिया। प्यासी होगी गुनिया, सोचकर भुरली ने उसे दूध पिलाना शुरू कर दिया। ज़रा ही देर में सो गई, गुनिया।

दो सौ रुपये मिले तो बाबू को सहारा हो जाएगा। बाबू की कमर में जाने क्या हो गया है। ऐसा भयानक दरद चढ़ता है कि न उठते बनता है न बैठते, लेटते। बहुत परेसान होकर अस्पताल में दिखाया तो डाकदर साब ने ढेर सारी दवाएँ लिख दीं। थोड़ी अस्पताल से मिली। फिर भी एक सौ चालीस की बाज़ार से लानी पड़ी। कमर में बांधने का पट्टा भी लिखा था। हज़ार रुप्पइये का था पर किसी ग्राहक ने रहम करके अपने पिताजी का बेकार पड़ा पट्टा दे दिया। सबका मन तो बहुत दुखा, सुरगबासी आदमी का पट्टा लगाने में। मगर हज़ार रुप्पइये का पट्टा कहाँ से लावें! 'पट्टा लगाने से थोड़ा आराम हुआ है', बाबू कहते तो हैं पर क्या पता हमारा मन बहलाने को कहते हों। चेहरे पर तो दरद ही लिखा रहता है। डाकदर साब ने तो बाबू को ठेला खींचने का भी मना किया है। मगर क्या करें...! ठेला न खींचे तो खाएँ क्या...?

गुनिया कुनमुनाई तो भुरली ने उसे थपकाया।

'अरी अभी ज़्यादा मत सुला। अब जगा ले। वहाँ सोती रहेगी तो तू आराम से काम करना।' काकी ने समझाया।

भुरली ने गुनिया को जगा लिया और बाज़ार दिखाती बातें करने लगी। गुनिया गद्‌गद हंसने लगी तो भुरली का मन हल्का हो गया।

'गारडन आ गया...।' एक स्वर उभरा और झटके से गाड़ी रुकी। सब उतरे। भुरली ने देखा, बहुत बड़े मैदान में सजावट हो रही है। मैदान में एक तीन मंजिला सुंदर मकान भी है। ठेकेदार एक ओर चला। वे सब भी उसके पीछे चले। थोड़ा आगे जाकर वह एक जगह रुक गया। वहाँ पक्की भट्टी बनी हुई है। खाना बनाने के बड़े-बड़े बरतन भी हैं। यही रसोई है। झारे, पलटे आदि वहीं रख दिए गए। काकी ने भुरली को एक ओर छाया में बैठाया और ख़ुद दूसरी औरतों के साथ बर्तन साफ़ करने लगी।

'वो...काए नाए आ रई बरतन धुआबा के...।'

'छोटी बच्ची है। थोड़ी छाँव में सुस्ता लेन दो।' काकी ने सहानुभूति से कहा।

'तुमाई बिटिया है...?'

'हाँ बिटिया ई समझो। गोद में खिलाई है। अभागन दुख की मारी है। बच्ची पेट में ई थी कि बिधवा हो गई।' काकी ने करुणा से भुरली की तरफ़ देखते हुए कहा।

सुनकर वह औरत भी भुरली के प्रति कोमल हो गई। 'ठीक बात है। थोड़ा सुस्ता लेन दो। पीछे तो काम में लगनो ई है, चार-छे घंटा गरमी में...।'

ज़रा ही देर में पूरी तैयारी हो गई। भुरली भी दूसरी औरतों के साथ तेज़ी से हाथ चलाती

सब्ज़ी काटने लगी। दो-तीन औरतें आटा गूँथ रही हैं। हलवाई तेज़ी से मिठाई आदि तैयार कर रहा है।

गर्मी के मारे गुनिया परेशान है। काम में लगी भुरली बीच-बीच में आँचल से उसकी हवा कर रही है।

'कपरा गीला करके सिर पर डार दो।' वही औरत गमछा देती हुई बोली।

'हाँ-हाँ, डाल दो। थोड़ी ठंडक मिलेगी तो सो जाएगी।' काकी ने भी उस औरत के स्वर में स्वर मिलाते हुए समझाया।

भुरली फुर्ती से उठी। नल से गमछा गीला करके गुनिया के माथे पर लपेट दिया। थोड़ी बेफ़िक्र हुई और काम में लग गई। ज़रा देर में देखा तो गुनिया कपड़ा हाथ में लेकर हाथ-पैर चलाकर अपने आप खेल रही है। बीच-बीच में कपड़ा मुँह में लेकर खा भी रही है। भुरली निश्चिंत होकर तेज़ी से पूरी बेलने लगी। साँझ ढलने लगी है।

मैदान में बने मकान में नाच-गाना शुरू हो गया है। गाने की आवाज़ तो साफ़ आ रही है मगर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। भुरली, काकी के साथ हलकी होने को उठी। लौटते में ख़ुली खिड़की से झाँककर देखने की कोशिश की तो ठेकेदार दूर से चिल्लाया 'ऐ बाइयों, कढ़ाई खाली जा रही है।'

उसका कर्कश स्वर सुन दोनों तेज़ी से चलकर अपनी जगह पर आ गई।

'चील जैसी निगाह रक्खे है हम पर। एक पल भी इधर-उधर ना ताक सकें।' काकी ठेकेदार के प्रति क्रोध जताते हुए बुदबुदाई।

देर रात काम ख़तम होने पर ठेकेदार ने सबको रुपए दिए और घर भी छोड़ा।

'कल भी ले आना इसे।' ठेकेदार गाड़ी से उतरती काकी से बोला।

दो सौ रुपए पाकर भुरली के पैर तो ज़मीन पर ही नहीं पड़ रहे हैं। बाबू दिन भर ठेला लेकर, टूटी दुखती कमर के साथ कड़ी धूप, बरसात झेलते घूमते हैं, तब जाकर भी दो सौ रुपए नहीं निकल पाते। चार जनों का खरचा तो पहले से माथे था ई, ऊपर से मैं और गुनिया भी लद गए। बाबू की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। माई घर-घर चौका बरतन करने जाती है। भुरली ने भी यही करना चाहा पर 'बिटिया, अभी तो तू घर सम्हाल ले। गुनिया थोड़ी बड़ी हो जाए तब चलना। गुनिया को काम पर लेकर जाएगी तो मैडम लोग मुँह बनाएँगी।' माई ने समझाया था।

माई भी सुबह से रात तक काम करती। बीच में दो घंटे को घर आती। तब कहीं जाकर किसी तरह घर की गाड़ी खींचने को बल मिलता। भुरली के आने के बाद माई ने कुछ काम और पकड़ लिए थे। और आज पाँच छह घंटे में दो सौ रुपए। गुनिया ने भी परेशान नहीं किया। सोचते हुए भुरली को गुनिया पर प्यार उमड़ आया। उसने गुनिया को पुचकारा।

'काकी, जहाँ-जहाँ ज़रूरत हो मुझे ले चलना।' उत्साह से भरकर काकी से बोली।

'हो हो ज़रूर। पेले तो मना करी री थी। अबे समझी नीं! मैं कोई तेरी दुसमन थोड़ी हूँ। तेरे फ़ायदे की बात ई सोचूँ हूँ।' स्नेह भरी काकी हँस पड़ी।

'काकी, मुझे चिंता थी कि कहीं गुनिया परेसान करेगी तो...।'

'पर देख गुनिया तो मज़े से सो गई। बीच-बीच में अपने आप खेलती रही। बिल्कुल थारे पे गई है। तू भी ऐसीज थी छुटपन में।' काकी ने भुरली के सिर पर हाथ फेरा।

'मुझे ठेकेदार का भी डर था।'

'अरे, जब गुनिया ने किसी को परेसान ई नीं किया तो ठेकेदार क्या बोलता...! अब कल बी चलना है। तेयार रेना।'

अगले दिन भुरली पहले से ही तैयार थी। काकी आई तो गुनिया को लेकर दोनों चली। ठेकेदार की गाड़ी में बैठी तो भुरली ने देखा कि आज, कल से ज़्यादा पूरी बेलने वाली और हलवाई हैं। उसकी आँखों में उठे सवाल पढ़ काकी ने कहा 'आज बहुत बड़ी पालटी है। दो हज़्ज़ार लोगों का खाना बनेगा।

अरे बाप रे! तब तो बहुत खरचा होगा! भुरली ने मन ही मन सोचा। ख़ैर, जो भी हो हमें तो कमाने का मौका मिलेगा।

गार्डन में पहुँचकर भुरली ने पाया कि आज तो यहाँ की रौनक कुछ और ही है। गाड़ी के वहाँ पहुँचते ही फूलों की ख़ुशबू से भर गर्मी में भी ताज़गी से भर गई, भुरली।

'ओ बई, पूरे मैदान में रातों रात ये घास कैसे उग गई...?' भुरली हैरान है।

'अरे नीं या तो घास जैसो कालीन है।' काकी ने उसकी हैरानी दूर करने की कोशिश की। मगर भुरली सोचती रही कि कालीन क्या होता है। मंच तक जाने के लिए लाल रंग का कालीन बिछा देख भुरली ने अनुमान लगाया कि ये दरी जैसी कोई चीज़ है। अंदर आने के बड़े गेट से लेकर भीतर तक फूलों की दीवार बनी है। गार्डन के किनारे भी फूलों की दीवार बन रही है। ख़ुशबू से पूरा गार्डन महक रहा है।

'केसी बढ़िया ख़ुसबू फेली है। मन ख़ुस हुई गयो।' काकी ने गहरी साँस लेकर कहा।

'हाँ बेन, असली वालो मोगरो, ने गुलाब हे।' दूसरी स्त्री ने जवाब दिया।

हँसती ठिठोली करती स्त्रियाँ तेज़ी से काम निपटाने लगी। बाकी तैयारियाँ भी तीव्र गति से चल रही हैं। काम करती स्त्रियाँ मौका पाते ही इधर-उधर नज़र दौड़ाती और भव्य शादी की भव्य तैयारियों की बातें करती।

भुरली के लिए यह सब नया है। वह भौचक्की सी देखती काम करती जा रही है। गुनिया मज़े से सो रही है। 'ऐसो लगे जैसे टेबलहोन ने घाघरो पेऱ्यो हे।' काकी ने भुरली का ध्यान टेबलों की ओर दिलाया। उसने देखा सचमुच खाने की सारी टेबलों के ऊपर सफेद झक्ख कपड़ा बिछा है। नीचे लाल रंग का रेशमी कपड़ा, किनारे पर लगे गोटे से चमकता, घेरदार घाघरे जैसा लग रहा है। ऐसी बहुत सारी टेबल गार्डन के एक किनारे पर लगी हैं। जहाँ वे पूरी, रोटी आदि की तैयारी कर रहे है, वहाँ उनके आगे भी ऐसी ही टेबल सज़ी हैं। गार्डन के बीच में भी बहुत-सी ऐसी ही सज़ी-धजी टेबल और रेशमी लाल कपड़ों से सजी कुर्सियाँ ठसक के साथ खड़ी हैं।

'काकी, वो सिंगासन पर कौन बैठेगा?' भुरली ने मंच की ओर इशारा करते हुए काकी से पूछा।

'वाँ पे लाड़ा-लाड़ी बठेगा।'

'और उधर कौन बैठैगा?'

'उदर गाना गाने वाली पालटी बठेगी, न वईंज बजाने वाला भी बठेगा।'

'अरे तम सारी लुगायाँ बातां में लगी हो। ज़रा जल्दी हाथ चलाओ। असे तो भोत रात हुई जाएगी।' हलवाई ने टोका तो कुछ देर के लिए सब चुप हो गई।

भुरली बीच-बीच में तिरछी निगाह से देख रही है। कुछ लोग स्वांग धरकर तैयार होकर आए हैं। एक जोकर, एक जटाधारी बाबा, एक भोले शंकर और राधा-कृष्ण भी।

'वो उड़ने वाली मसीन से क्या होगा काकी?' भुरली के लिए हर चीज़, हर बात नई है। काकी शादियों में हलवाई की सहायक बनकर अरसे से जा रही हैं। सो, सामान्य से लेकर भव्य तक सारी शादियों की गतिविधियाँ उनके लिए नई बात नहीं है। न ही उत्सुकता का कारण। मगर भुरली के लिए सब कुछ नया होने से वह बहुत ध्यान से देख रही है। बहुत कुछ पूछती है; बहुत कुछ नहीं पूछ पाती है। वह जानती है, उसे सब्ज़ी काटना है, पूरी बेलना है। गरम फुलके बनाना है। इसके उसे पूरे दो सौ रुपए मिलेंगे जिनकी उसे सख़्त ज़रूरत है।

सब काम अपनी गति से चल रहा है कि हड़बड़ाया हुआ ठेकेदार आया।

'काकी, ज़रा इधर तो आना।'

काकी को एक तरफ़ ले गया 'काकी, तुम ये जो लड़की लाई हो ना, पूरी बेलने वाली...!'

'हो...हो...कईं हुयो...?' काकी के मन में पल भर में ढेर सारी शंकाएँ उठ गई।

'इससे पूछो, ये फव्वारे वाली मूर्ति बनने को तैयार हो जाएगी...?' हमेशा गरियाते रहने वाले ठेकेदार के स्वर में कोमलता है। काकी की सारी शंकाएँ पल भर में जैसे उठी थी वैसे ही शांत भी हो गई।

'पर...इको...तो...'

'पर-वर नहीं काकी, किसी तरह इसे मना लो। जो लड़की आने वाली थी, बीमार हो गई। अभी-अभी एन टाईम पर ख़बर आई। इतनी जल्दी इंतज़ाम कैसे होगा!'

'पर...इको...।'

'देखो काकी, कैसे भी उसे मना लो। उसकी उमर भी ठीक है। देखने में भी अच्छी है। सबसे बड़ी बात क़द-काठी तराशी हुई है। बिल्कुल मूर्ति जैसी।' ठेकेदार गिड़गिड़ाने-सा लगा।

'अरे पर...में पूछूँ तो...उके...'

'पूरे दो हज़ार रुपए मिलेंगे।'

'दो हज़ार की बात सुन काकी हतप्रभ है। जानती है भुरली को रुपयों की सख़्त ज़रूरत है।

'में पूछूँ हूँ उके। छोटी छोरी है उका कने।'

'देखो, तुम उसे तैयार कर लो। बच्ची को तुम सम्हाल लेना। तुम्हें इस काम के पाँच सौ अलग से मिलेंगे। चार-पाँच घंटे की तो बात है।'

'पाँ...च....सौ...म्हारे...!' काकी हैरान है।

दोनों भुरली की तरफ़ देखकर बात कर रहे हैं। भुरली का मन आशंकाओं से भर गया। कहीं गुनिया के कारण ठेकेदार को परेशानी तो नहीं....! पता नहीं...कोई और बात हो!'

काकी भुरली के पास आने लगी। काकी के आने तक का मिनिटों का समय भुरली को युगों-सा लगा। 'जाने क्या बात है!'

'बेटा, वो ठेकेदार कई रिया हे कि फव्वारो बनने वाली छोरी नीं अई। तम बणी जाओ तो...!'

'फव्वारा...? मैं...? पर कैसे...?' भुरली को समझ में नहीं आ रहा है कि वो फव्वारा कैसे बन सकती है।

'वा सब तम ठेकेदार पे छोड़ो। अपना काम की बात या हे कि तमारे दो हज्जार रुप्पइया मिलेगा।'

'दो...हज़ार...!' आश्चर्य से भरी भुरली लगभग चीख ही पड़ी।

'धीरे बोल...हाँ दो हज्ज़ार...।'

'करना क्या होगा...?' भुरली को विश्वास ही नहीं हो रहा है। उसने दूर खड़े ठेकेदार पर नज़र डालते हुए काकी से पूछा।

'कुछ बी नीं करनो हे। वे थारे तयार करी देगा बस वाँ वो होदी हे नीं वाँ खड़ी रिजो ...बस।' काकी ने दूर बने हौद की तरफ़ इशारा करते हुए कहा।

'बस वहाँ खड़े रहना है...कब तक?'

'बस चार-पाँच घंटा की बात हे। वे थारे अबी तयार करी देगा। बरात आए उका पेले खड़ी हुई जाजे। जेसे सब खा पी के चला जाए....फिर बस...छुट्टी।' काकी ने समझाया।

'पर काकी, गुनिया को कहाँ छोड़ेंगे? पहले पता होता तो घर पर माई के पास छोड़ देती। आज माई काम से छुट्टी कर लेती।

'में सम्हाली लूँगी गुनिया के। तू फ़िकर मत करे।'

'मगर काकी फिर आपका काम...?'

'म्हारे ठेकेदार ने कई दियो हे, वो म्हारे बी गुनिया के सम्हालने का पाँच सो रुप्पइया देने को कई रियो हे।'

'पर काकी, गुनिया रोएगी, परेशान करेगी आपको। ख़ुद भी परेशान होगी।...पर...दो हज़ार रूपए...? क्या करें काकी...?''

'देख, अभी उके दूध पिलई दे। चार-पाँच घंटा की तो बात है। जेसे ई लौटेगी वापस सम्हाली लीजे।'

भुरली तैयार हो गई। मज़बूरी है, इतनी बड़ी रक़म ने उसे तैयार कर दिया है।

'आख़िर इत्ते सारे रुपए आएँगे तो गुनिया क्या, पूरे घर के ही तो काम आएँगे।'

भुरली को ठेकेदार एक कमरे में छोड़ आया। काकी भी गुनिया को लेकर उसके साथ है। वहाँ और भी लड़के-लड़कियों का भेस भरा जा रहा है। तैयार करने वाले भी हैं। उन्होंने भुरली

को रेग्ज़ीन का गाउन पहनाया। उसका पूरा शरीर ढक गया। केवल चेहरा ख़ुला है। चेहरे पर क्रीम-पाउडर और चमक लगाई। बालों का ऊँचा जूड़ा बना दिया। आँखों के बाहर चारों तरफ़ मोटी लाईन का काज़ल लगाया और होठों पर गहरी लाल रंग की लिपिस्टिक। काँच में देखा तो भुरली ख़ुद पर ही मुग्ध हो गई।

भुरली को तैयार करते समय गुनिया उसके पास जाने को मचलने लगी।

'इसे बाहर ले जाओ।' तैयार करने वाली महिला ने कड़क स्वर में कहा।

'एक बार उसे पुचकार लूँ।' भुरली ने कहा।

'नहीं। फिर और ज़्यादा तंग करेगी।' इस बार उसका स्वर पहले से भी कठोर था।

काकी गुनिया को बाहर ले गई।

भुरली के रेग्ज़ीन के कपड़ों में से बाहर की तरफ़ नलियाँ निकली हुई थी। एक-एक नली दोनों हाथों से, एक-एक पैर के अँगूठे से। एक माथे के जूड़े से। वे लोग भुरली को गार्डन के बीचों-बीच बने पानी के हौद में ले गए। उसके कपड़ों में लगी नलियों को हौद के पाईप से जोड़ा। फिर नल चालू किए। भुरली के हाथों, पैरों और जूड़े से पानी की धार निकलने लगी।

ठेकेदार देखकर ख़ुश हो गया।

'बहुत सुंदर...ये तो पुरानी वाली लड़की से भी अच्छी लग रही है।' मन ही मन बुदबुदाया।

'बस ऐसे ही खड़ी रहना और मुसकाती रहना...हिलना मत। समझो कि तुम लड़की नहीं, मूर्ति हो...पत्थर की मूर्ति।' भुरली को तैयार करने वाली महिला ने भुरली को एक विशेष मुद्रा में खड़ा करके आदेशात्मक स्वर में कहा।

भुरली खड़ी हो गई। मुसकाने भी लगी। मगर उसकी आँखें काकी को ढूँढ रही हैं। काकी की गोद में गुनिया जो है। सिर हिलाए बिना जितनी नज़र घुमा सकती है, घुमाकर देखा, उसे काकी कहीं नहीं दिखी।

'शायद भट्टी की तरफ़ हों।' भुरली ने ख़ुद को समझाया।

एक बार किसी तरह दिख भर जाए, गुनिया। भीतर से परेशान भुरली को याद है कि चेहरे पर मुसकान हो। मगर बेचैनी बढ़ती जा रही है। रेग्ज़ीन के कपड़ों में गर्मी भी लग रही है, थकान भी। उसे याद आया सुबह भी कुछ खा नहीं पाई थी। गाड़ी जल्दी आ गई थी और उसे आना पड़ा था। गर्मी के मारे गला भी सूख रहा है। सबसे ज़्यादा बेचैनी है, गुनिया को लेकर, एक बार दिख भर जाए।

तभी उसके कानों में तैयार करने वाली स्त्री का स्वर गूँजा 'समझो कि तुम लड़की नहीं, मूर्ति हो...पत्थर की मूर्ति।'

'हाँ मैं मूर्ति हूँ, पत्थर की मूर्ति...मूर्ति चिंता नहीं करती, मूर्ति को गर्मी नहीं लगती, मूर्ति का गला नहीं सूखता।' कुछ पल ख़ुद को समझाती रही, भुरली।

मगर गुनिया की चिंता, गर्मी और भूख ने भुरली को फिर बेचैन कर दिया। बहुत देर बाद काकी आती दिखी। मगर काकी के पास गुनिया नहीं है। भुरली का मन हुआ कि सब

फेंक-फाँक कर हौद से बाहर आ जाए। मगर...दो हज़ार रुपयों ने, ठेकेदार के भय ने उसे बाँध रखा है।

काकी ने पास आकर कहा 'गुनिया सुई गई हे। उके उधर छाँव में सुलई के थारे बताने अई हूँ। चिंता मत करजो।' काकी ने भट्टी की तरफ़ इशारा किया।

'वहाँ कौन है उसके पास? उसे अकेला क्यों छोड़ दिया, काकी? जाग गई तो...? कहीं रोती खसकती भट्टी के पास चली गई तो?' कहते हुए भुरली काँप गई। उसकी चिंता कम होने के बदले बढ़ गई। गुनिया के सहारे ही तो वह जी रही है।

मूर्ति बन कर खड़े रहना है पर मूर्ति बोल पड़ी। भुरली को ध्यान आया, उसने कनखियों इधर-उधर देखा, किसी ने नहीं देखा था। ठेकेदार दूर खड़ा किसी से बात कर रहा है।

भुरली ने फिर याद किया 'मैं मूर्ति हूँ, पत्थर की मूर्ति। मूर्ति को चिंता नहीं होती...।'

'वाँ वो लछमी हे नी! म्हारी पुरानी सहेली, वा देखी री है उके। हम उधर ईज हैं। उठेगी तो एक बार थारा पास लई अऊँगी।'

'हमम.....।' बंद मुँह से ही बोलना चाहती है, भुरली। मगर चुप है। उसे याद है कि वह पत्थर की मूर्ति है और मूर्ति बोलती नहीं।

हालाँकि पूरी बात सुनकर वह कुछ निश्चिंत हुई, फिर जाती हुई काकी को देखती रही। कुछ दूर तक काकी दिखती रही फिर भीड़ में गुम हो गई। अब तक तो वे गुनिया के पास पहुँच गई होंगी। भुरली बेफिक्र हुई। 'ओह...!' भुरली को फिर ध्यान आया, 'मूर्ति बेफिक्र भी नहीं होती।'

गाना गाने के लिए अलग मंच बना है। वहाँ गाना शुरू हो गया है। जरा ही देर में गहमागहमी शुरू हो गई। शादी वाले परिवार के लोग मुख्य द्वार की तरफ़ तेज़ी से जाने लगे। दूर से आती बैंड-बाजे की आवाज़ पास आती जा रही है। ख़ूब पटाखे चल रहे हैं। पहले तीर जैसा आसमान में जाकर फूटता फिर रंग-बिरंगे जगमगाते सितारे आसमान में बिखर जाते, धीरे-धीरे नीचे आते हुए गुम हो जाते। भट...भट...भट भटाभट फूटने वाले पटाख़े भी भरपूर शोर कर रहे हैं। पटाख़ों के शोर से गुनिया जाग गई होगी। भुरली फिर परेशान हो गई। फिर यकायक दूसरे ख्याल ने उसे डरा दिया, 'कहीं पटाख़ों की चिंगारी मेरे रेग्ज़ीन के कपड़ों पर गिर गई तो...?' भुरली को तेज़ गरमी लगने लगी। भूख प्यास के मारे घबराहट होने लगी। सिर भी दुखने लगा। उसे लगा कि वह अभी चक्कर खाकर गिर जाएगी।

मगर नहीं। उसने फिर याद किया 'मूर्ति को चक्कर नहीं आते।' उसने ख़ुद को सम्हाला। दो हज़ार रुपयों को याद किया, उसे कुछ ठीक लगा। चेहरे पर मुसकान लाकर फिर शादी की रौनक देखने में व्यस्त हो गई।

औरतें सोने के जेवरों से ऐसी लदी हैं, मानो सोने के कपड़े ही पहन रखे हों। जितने हम लोगों के पास कपड़े नहीं, उससे ज़्यादा वे सोने से ढकी हैं। और तो और आदमियों तक ने जेवर पहन रखे हैं। ये सब परिवार वाले हैं, सबने एक जैसी पगड़ी पहन रखी है। और परिवार की औरतों ने लाल चुनरी।

आग का एक छोटा सा गोला खाने से सज़ी टेबल से ऊपर उठा, दाल में तड़का लगा, वातावरण में ख़ुशबू फैल गई। भुरली ने आँखों की पुतलियाँ घुमाकर देखा, दाल में ताज़ा-ताज़ा छौंक लगाकर परोसा जा रहा है। पानी-पूरी, दही-बड़ा, आलू-टिकिया, कचौरी, भँरवा पूरी, तरह-तरह के पराँठे, सब्ज़ियाँ, चावल, इडली-सांभर, मिठाईयों की तो गिनती ही नहीं। और भी जाने कितनी चीज़ें, भुरली को तो नाम भी नहीं पता...उसने देखी भी पहली बार। लोग खा रहे हैं, खाने से भरी प्लेटें जूठे में भी पटक रहे हैं। भुरली का मन तड़प उठा। भूख फिर सिर उठाने लगी।

लेकिन फिर उसे याद आया, 'मूर्ति को भूख नहीं लगती।'

तभी तीन-चार बच्चे हौद के पास आकर फ़ोटो खींचने लगे। उन्हें देख दूसरे बच्चे भी मचलने लगे 'हम भी फव्वारा मूर्ति के साथ फोटो खिंचवाएँगें। उसके साथ फोटो खिंचवाने का सिलसिला शुरू हो गया। एक बालक ध्यान से भुरली को देखते हुए बोला 'अरे...! ये मूर्ति नहीं है, औरत है, ज़िंदा औरत।' साथ के दूसरे बालक भी इकट्ठे होकर भुरली को ध्यान से देखने लगे।

'हाँ-हाँ...!' सब आश्चर्य में डूबे हैं।

'चलो मम्मी को भी दिखाते हैं।' कहते हुए सब चल दिए।

भुरली सोच रही है, 'जब पुतले जैसे ही खड़े रहना है, हिलना नहीं है तो ये लोग पुतला ही क्यों नहीं ले आते हैं, ख़र्चा भी कम होगा। और हारी-बीमारी....ऐन टाइम पर छुट्टी का लफड़ा भी नहीं। पर...पर यही तो दिखाना है इन अमीरों को कि हम पैसा ख़र्च करके ज़िंदा आदमी को भी पुतला बना सकते है। ख़ैर...ये भी ठीक ही है, आख़िर हमारे रोज़गार का भी तो येई सहारा है।'

तभी भुरली के कानों में गुनिया के ज़ोर-ज़ोर से रोने की आवाज़ पड़ी। उसने निगाहें उस ओर की, रोती हुई गुनिया को चुप कराने की असफल कोशिश करती काकी उसकी ओर ही चली आ रही हैं।

काकी हौद के पास आकर खड़ी हो गई 'देख गुनिया...फव्वारो....आहा...देख पानी... देख मूरति...कित्ती सुंदर...आहा।'

मगर गुनिया चुप नहीं हो रही है।

'सो के उठी हे। थारे से मिलाने लइ री थी। पर रस्ता में ई रोने लग गी। सायद भूकी हे।' काकी फुसफुसाई।

मगर भुरली कुछ नहीं सुनती।

गुनिया ने भुरली को पहचान लिया है। वह और ज़ोर से रोने लगी, हलक में आवाज़ फँस रही है। वह भुरली के पास आने को मचल रही है। रो-रोकर गला सूख गया है। मचल-मचलकर भुरली के पास पहुँच जाना चाहती है। जैसे अभी हौद में ही कूद जाएगी।

गुनिया को वश में करने की नाकाम कोशिश करती काकी, भुरली को देखकर हतप्रभ हैं।

भुरली सचमुच ही पत्थर की मूर्ति बन गई है।

❑

नीलम मीणा

स्त्री दशा व शिक्षा : प्राचीन से वर्तमान तक

मानव चिंतन पुरातन काल से वर्तमान समय तक अनेक गुत्थियों में उलझा हुआ रहा है। स्त्री-पुरुष की सामाजिक आर्थिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक स्थिति को उजागर करने का मनुष्य ने भरसक प्रयत्न किया। मानव सभ्यता का इतिहास साहित्य फलक पर सर्वाधिक चर्चा का विषय बनता जा रहा है। उसमें पितृसत्तात्मक परंपरा के साथ-साथ मातृसत्तात्मक पद चिह्न भी देखने को मिलते हैं। पुरुष-प्रधान सभ्यता के प्रसार तथा व्यक्तिगत पुरुष की संपत्ति में वृद्धि से स्त्री की कठिनाइयाँ भी धीरे-धीरे बढ़ती जाती है। आदिम से आधुनिक युग तक स्त्री एक अनसुलझी पहेली ही बनी रही है। सदियों से स्त्री भावनात्मक रूप से परिवार तथा समाज के समस्त कर्त्तव्यों का पालन करती आ रही है उसी कारण वह अनेक समस्याओं व उलझनों के मध्य पिसती भी रही। व्यक्तिगत जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, स्त्री सदैव पुरुष के पीछे ही चलती रही है।

इतिहास साक्षी है कि भारतीय धर्म ग्रंथों, नीति ग्रंथों में स्त्री को नए-नए रूपों में परिभाषित किया गया है। रामायण युग में सीता, महाभारत काल में द्रौपदी, हेलन तथा क्लियोपेट्रा द्वारा इतिहास को नए मार्ग की तरफ़ अग्रसर किया जाना प्रमुख है। वहीं स्वामिभक्त पन्ना धाय, स्वतंत्राता सेनानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं को आत्म-बलिदान व त्याग की प्रतिमूर्ति माना गया। बीसवीं-इक्कीसवीं सदी में भी कई विख्यात हस्तियाँ थी और हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है यथा इंदिरा गाँधी, गोल्डा मायर, सिरीमाओं भंडार नायके, सोनिया गाँधी, प्रतिभा पाटिल, वसुंधरा राजे, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स इत्यादि। इन सभी स्त्रियों ने भारत की प्राचीन जीवन-पद्धति से प्रेरणा लेकर अपने जीवन लक्ष्यों के साथ ख्याति प्राप्त की है।

शिक्षा को व्यक्तिगत जीवन में साध्य व साधन दोनों ही माना जाता है। समाज को सकारात्मक गतिशीलता शिक्षा द्वारा ही मिलती है। समाज के स्त्री-पुरुषों का समुचित विकास शिक्षा पर ही टिका हुआ है। लेकिन समाज व परिवार की धुरी अथवा नींव माने जाने वाली स्त्रियों का चहुँमुखी विकास यदि शिक्षा द्वारा किया जाता है तो वह परिवार-समाज तथा देश को उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करती है। स्पष्टतः शिक्षा स्त्री जीवन का ऐसा माध्यम माना जा सकता है जिससे स्त्री नई-नई समाज व्यवस्थाओं का सृजन करते हुए स्वयं व समाज को समुचित दिशा प्रदान करने का प्रयास करती रहती है -- ''इसे हमारी सभ्यता और संस्कृति

की सर्वोच्चता ही कहा जाएगा कि हमारे वेदों में भी महिला -- शिक्षा का विशद् वर्णन है। सभी चार वेदों में महिला संबंधी सैकड़ों मंत्र दिए हैं जिससे पता चलता है कि वैदिक काल में महिलाएँ समाज में विशेष स्थान पर प्रतिष्ठित थीं।''[1] प्राचीन भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति समय के साथ अनेक उतार-चढ़ाव से गुज़रती रही है। हमारी प्राचीन व्यवस्था में स्त्रियों को उच्च कोटि की स्थिति प्राप्त थी। उन्हें शांति, सुख-सुविधा संपन्न एवं शक्ति के साथ ही ज्ञान का प्रतीक माना जाता था। वैदिक काल से ही स्त्री को पूजनीय, वंदनीय एवं अतुलनीय माना गया है। प्राचीन भारतीय जीवन में परिवार व समाज में उसको महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। स्त्री के बिना पुरुष चारों पुरुषार्थों को प्राप्त नहीं कर सकता था। विवेच्य युग में स्त्री को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त थे। स्त्रियाँ वेदों का अध्ययन करती थीं। इससे उच्च शिक्षा प्राप्त अनेक स्त्रियाँ कौमार्य व्रत का पालन करते हुए आध्यात्मिक साधना में लीन रहने लगी। उनको 'ब्रह्मचारिणी' नाम से पुकारा जाता था। वेदकालीन कुछ स्त्रियों ने सूक्तों की रचनाएँ की। ऐसी स्त्रियों में रोमशा, घोषा, इंद्राणी, अपाला, लोपामुद्रा एवं विश्ववारा आदि प्रमुख नाम उल्लेखनीय है किंतु इनके द्वारा रचे गए सूक्त वर्तमान में अनुपलब्ध हैं। प्राचीन युग में आमोद-प्रमोद हेतु अनेक नाट्यों, उत्सवों तथा खेलों का आयोजन किया जाता था जिसमें स्त्रियाँ भी भाग लेती थी। इससे उनकी कुशल क्षमता का भान होता था। वेदयुगीन स्त्रियों में शिक्षा प्रसार के कारण सजगता व सामाजिक-सांस्कृतिक स्तर पर जिज्ञासा प्रवृत्ति अधिक व्याप्त थी जिससे वे सभी कार्यो का सफल निष्पादन करती थीं।

उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य कन्याओं व स्त्रियों की स्थिति तो अवश्य सामान्य रूप में थी किंतु 'शूद्र' जाति की कन्याओं व स्त्रियों की स्थिति व दशा अत्यंत दयनीय थी। उनको प्रायः दासी रूप में देखा जाता था। निम्न स्थिति होने के कारण उसका निश्चित हल अथवा समाधान प्राचीन समय से ही नहीं हो पाया था। इस काल में अनेक सम्मेलन, वाद-विवाद प्रतियोगिताओं का समय-समय पर आयोजन होता रहता जिससें स्त्री-पुरुष दोनों ही समान रूप से भाग लेते। ''ध्यान देने योग्य बात है कि गार्गी और मैत्रेयी जैसी स्त्रियों को उच्च स्तर की विदूषी समझा जाता था। राजा जनक ने अपने सम्मेलन में गार्गी तथा अन्य स्त्रियों को भी बुलाया था। उपनिषदों में मैत्रेयी और उसके पति याज्ञवल्क्य के वार्तालाप का वर्णन है।''[2] इससे यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन युग में शिक्षा का अधिकार तो स्त्री को प्राप्त था ही, साथ ही उन्हें विभिन्न आयोजनों, वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेने के सुअवसर भी मिलते थे। धीरे-धीरे स्त्री जीवन मूल्यों का ह्रास होने लगा। जहाँ पूर्व में स्त्रियों को वेद पठन तथा धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता थी उन पर प्रतिबंध लगाया जाने लगा। साथ ही वेद पढ़ने, मंत्रोच्चार पर पाबंदी, पुरुषों के संरक्षण में रहना तथा संपत्ति में अधिकार से स्त्री को वंचित माना है।

मध्य काल के आते-आते स्त्रियों को हेय दृष्टि से देखा जाने लगा। विवेच्य काल में हिंदू स्त्रियों की प्रतिष्ठा निरंतर गिरती जा रही थी। बाल-विवाह के कारण उनकी स्वतंत्रता का हनन होता गया जिससे उनको समुचित शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकी। प्रारंभिक शिक्षा के तौर पर उन्हें

परिवार व गृहस्थी संबंधी शिक्षा ही दी जाती थी। इस युग में उच्च शिक्षा केवल उच्च तथा कुलीन घरानों तक सीमित थी। मध्य या निम्न वर्ग की स्त्रियों को तत्कालीन शिक्षा का समुचित लाभ भी नहीं मिल पाता था। इतना होते हुए भी कुछ हिंदू स्त्रियों ने शिक्षा व साहित्य दोनों क्षेत्रों में ही महारथ हासिल की। हिंदू स्त्रियों में दयाबाई, मीराबाई, बावरी साहिबा, प्रवीण, रूपवती के अलावा पद्मावती प्रमुख हैं। मीराबाई को ब्रजभाषा का अच्छा ज्ञान था वहीं बावरी साहिबा ने हिंदी -- उर्दू भाषा में ज्ञानार्जन किया। इसके विपरीत मुस्लिम स्त्रियों की शिक्षा तथा साहित्य दोनों ही क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण भागेदारी देखने को मिलती है। इसका प्रमुख कारण सल्तनत काल का होना भी है। उदारणार्थ जेबुन्निसा को गणित, नक्षत्र शास्त्र के साथ-साथ कुरान भी जुबानी याद था। सलीमा बेगम, नूरजहाँ, मुमताज महल आदि कई स्त्रियों को अरबी-फारसी का अच्छा ज्ञान था। हिंदू व मध्य स्तर की स्त्रियों को प्रारंभिक शिक्षा कम मिलने के कारण वे साहित्य रचना में भागेदारी नहीं निभा सकीं किंतु अपवाद रूप में मीराबाई ने गीत-गोविंद की टीका, राग गोविंद आदि में पदों की रचना की। दया बाई ने दयाबोध, विनय मलिका जैसी पुस्तकों की रचना की। गंगाबाई ने 'गंगाबाई के पद' नाम से पद्य लिखे, वहीं प्रवीण, रूपमती, पद्मावती आदि ने शृंगारपरक कविताएँ लिखी। इसके विपरीत मुस्लिम स्त्रियों में गुल-बदन बेगम ने 'हुमायूँनामा' की रचना की।

मुगलकाल के अवसान और भारत में अंग्रेज़ी हुकुमत के उद्भव काल में जब समस्त भारतीय समाज पतनोन्मुख हो रहा था तो स्त्री की स्थिति इस पतनोन्मुख समाज की सबसे निचली सतह में दबी हुई थी। भारत में अंग्रेज़ों के आगमन के पश्चात् भारतीय समाज में शिक्षा का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार होने लगा तो रचना-कर्म, ज्ञान एवं शिक्षा के क्षेत्र में स्त्रियों ने पुनः प्रभावी भूमिका निभानी प्रारंभ कर दी। साथ ही अनेक भारतीय व पाश्चात्य समाज व धर्म सुधारकों का जन्म भी हुआ जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज, देश तथा स्त्री सुधार में लगा दिया। भारतीय समाज सुधारकों में राजाराम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती, केशवचंद्र सेन, विवेकानंद, ईश्वरचंद्र विद्यासागर प्रमुख हैं। समाज सुधारकों ने स्त्रियों के लिए विद्यालयों, पाठशालाओं का निर्माण करा उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। शिक्षा द्वारा आधुनिकयुगीन स्त्रियों में न केवल सामाजिक-बौद्धिक चेतना का विकास हुआ अपितु जीवन में व्याप्त विषमताओं, विद्रूपताओं, बंधनों तथा दासता की जंजीरों से भी मुक्ति मिली। रमाबाई रानाडे, फेजुनेसा, चौधरानी पंडिता रमा बाई सरस्वती, सावित्री फुले, सरोजनी नायडू, अबला घोष आदि इन समाज सुधारकों ने अनेक सिद्धांतों व संगठनों की सहायता से स्त्री की संपूर्ण जीवन पद्धति में समुचित बदलाव लाने का भरसक प्रयत्न किया। इसके अलावा कुछ पाश्चात्य विचारकों ने भी स्त्री दशा में स्त्रीवाद की विस्तृत व्याख्या समाज के समक्ष कर उसको शिक्षा से जोड़ा और सही दिशा देने का प्रयास किया -- ''स्त्री शिक्षा ने विद्रोह की उस कुल्हाड़ी की धार तेज़ कर दी है जिससे हिंदू सामाजिक जीवन की जंगली झाड़ियों को साफ़ करना संभव हो गया है।''[3] पणिक्कर का यह कथन आधुनिक युग में स्त्री दशा व शिक्षा के स्तर को पूर्णतः व्याख्यायित

करता है। ''मानव निर्माण की दृष्टि से स्त्री की शिक्षा 'स्त्री रूप माँ' और पुरुष की शिक्षा पुरुष के रूप में होनी चाहिए। स्त्रियों को गृह कार्य की शिक्षा तथा मातृत्व की शिक्षा भी देनी चाहिए। बालिकाओं की शिक्षा संस्थाओं में स्त्री शिक्षिका होनी चाहिए।''[4] स्त्री-संबंधी अनेक पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन किया गया। 'बाल बोधिनी' पत्रिका पूर्णतः स्त्री संबंधी पत्रिका थी। इस पत्रिका का मॉटो भी ''नर नारी सम होहिं'' था।

''जो हरि सोई राधिका, जो शिव सोई शक्ति।
जो स्त्री सोई पुरुष, यामें कछु न विभक्ति।।''[5]

स्त्री जागरण पत्रिका की दिशा में 'स्त्री दर्पण' नामक महत्त्वपूर्ण पत्रिका प्रयाग से प्रकाशित होती थी। सबसे मुख्य बात इस पत्रिका का संपादक पुरुष न हो कर स्त्री थी इससे यह स्पष्ट होता है कि आधुनिक काल में स्त्री शिक्षा से जागृति दिनों-दिन बढ़ती जा रही थी। इस युग में स्त्री शिक्षा का व्यापक स्तर पर प्रसार हो चुका था। 'स्त्री-दर्पण' पत्रिका के माध्यम से संपादिका का प्रमुख लक्ष्य भारतीय स्त्री को मनुष्योचित पद दिलाना था जिससे उनकी स्थिति में कुछ स्तर पर परिवर्तन हो सके।

स्त्री-शिक्षा के स्तर में सुधार होने से वे अपने कर्त्तव्यों व अधिकारों को पहचानने लगी हैं। इसका प्रमुख कारण समय-समय पर स्त्री आंदोलनों का होना, सामाजिक संगठनों का बनना है। बदलते समय के साथ ही बालिकाओं को बालकों के साथ शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार मिला है। किंतु विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या आधुनिक समय में पुरुष के समक्ष स्त्रियों को समानता का अधिकार प्राप्त है? उनके साथ सामान्य व्यवहार किया जाता है? आज क्या वाकई उनकी प्राचीन विषम व निराशाजनक स्थिति में समुचित बदलाव आया है? क्या घर-परिवार तथा समाज में उसे समानता का दर्जा दिया गया है? आज वैज्ञानिक युग में इसका सही-सही अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि वर्तमान में शिक्षा के नाम पर उनके साथ शारीरिक व मानसिक घटनाएँ होना आम बात होती जा रही है। वर्तमान में स्त्री को निःशुल्क शिक्षा का अवसर भी प्राप्त है किंतु फिर भी आए दिन शिक्षा मुद्दों को लेकर विद्यालयों में आर्थिक सहायता जैसे मुद्दों को लेकर विद्यालयों में उन्हें अनेक यातनाएँ भोगनी पड़ती है।

साहित्य समाज से तथा समाज सदैव इतिहास से प्रेरित होता रहा है। स्पष्टतः साहित्य विगत का मूल्याकंन एवं वर्तमान की स्पष्ट अभिव्यक्ति करता है। साहित्य की इसी प्रकृति के युगीन संदर्भों के अंतर्गत अनेक वादों का जन्म हुआ जिनमें पूँजीवाद, मार्क्सवाद, प्रगतिवाद, मानववाद तथा गाँधीवाद प्रमुख रूप से माने जाते हैं। इन वादों से स्त्री भी अछूती नहीं रही। पूँजीवाद ने स्त्री को भोग्या रूप में देखा, वहीं मार्क्सवाद ने स्त्री को संघर्ष का माध्यम बनाया। इसके इत्तर मानववाद व गाँधीवाद ने स्त्री को व्यक्ति रूप में पहचान प्रदान कर समानता के अवसर दिए। इससे स्त्रियों ने अपना विकास कर पुरुष के साथ ताल-से-ताल मिला कर कार्यों का निष्पादन किया। ''महात्मा गांधी की सत्याग्रह योजना के अंतर्गत स्त्रियों ने पुरुषों के साथ

कंधे-से-कंधा मिला कर जो योग दिया, वह इतिहास के स्वर्णाक्षरों से अंकित करने योग्य है।''[7] सही मायनों में अपनी जगह को आधुनिक स्त्री पहचानने लगी है।

सारांशतः स्त्री चाहे ग्रामीण हो या शहरी, शिक्षित हो या अशिक्षित, सक्षम हो या असक्षम, आधुनिक युग के आरंभ व स्वतंत्रता के पश्चात् उनमें जिस नवचेतना का विकास हुआ है उससे उनके जीवन की प्रत्येक गतिविधियों व क्रियाकलापों में अंतर अवश्य आया है। चिकित्सा का क्षेत्र हो या राजनीति का, प्रतिस्पर्धा हो या प्रतियोगिता, नीति हो या राजनीति, कला, संस्कृति हो या धर्म, स्त्री ने सभी क्षेत्रों में अपनी पकड़ मज़बूत बना ली है। स्त्रियों की दशा व दिशा में समुचित बदलाव व नए सामाजिक वातावरण का निर्माण करने में शिक्षा की महत्ती भूमिका है। ''हमारी चेतना के करवट बदलते ही स्त्री ने अपने गौरवपूर्ण पद को समझने की चेष्टा की। स्त्री में स्वावलंबन का होना आवश्यक समझा गया। स्वावलंबन की भावना से प्रेरित हो स्त्री शिक्षा को महत्त्व दिया गया। स्त्री ने शिक्षित होकर अपने अधिकारों को समझा।''[8] आज तकनीकी, व्यावसायिक, सामाजिक तथा वैज्ञानिक स्तर पर शिक्षा का निरंतर विकास हुआ है उसमें स्त्री ने भी लगातार अपनी जगह बनाई है। स्त्री दशा व शिक्षा के स्तर में बदलाव लाने के लिए अनेक संगठनों, ट्रस्टों, आंदोलनों का वर्तमान में भी उदय होता रहा है। 'कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट' स्त्रियों व बच्चों की स्थिति में परिवर्तन लाने वाला एक ग़ैर-सरकारी संगठन है। इस संगठन का प्रमुख ध्येय -- ''महिलाओं व बच्चों हेतु अस्पताल बनवाना, दवाखाना खोलना, कल्याण केंद्र खोलना, स्वच्छता की सुविधाएँ प्रदान करना, बच्चों व महिलाओं के रोगों की रोकथाम करना, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योगों में महिलाओं को प्रशिक्षण देना है।''[10]

अंत में कहना उचित होगा कि स्त्री चाहे किसी भी धर्म, संप्रदाय तथा जाति की हो, उसे अपने जीवन को गति देने के लिए समाज, परिवार तथा देश के साथ-साथ पुरुषवादी मानसिकता से भी टकराना पड़ेगा। आधुनिक या इक्कीसवीं सदी में स्त्री को स्वयं ही मज़बूत स्थिति में जमना होगा। इस संदर्भ में डॉ. शोभा पंवार लिखती है कि ''आज आवश्यकता है कि स्त्री आँसू बहाते न बैठकर अपनी स्वतंत्र सत्ता को पहचाने। कर्म और कर्त्तव्य के प्रति सजग रहकर अपना सम्मान बनाए रखें। 'टूट कर फिर से जुड़ना', 'उखड़कर फिर से पनपना' उसकी प्राकृतिक विशेषता है। भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाए और इस संघर्ष को जारी रखे।''[11] आज भारतीय स्त्री, पश्चिमी स्त्री की भाँति समाज-परिवार तथा देश के समक्ष सभी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए समय व शिक्षा के महत्त्व को समझने लगी है। ''शिक्षा, चिकित्सा, तकनीकी, वैज्ञानिक, कला, कविता, साहित्य, सृजन सभी क्षेत्रों में नारी शक्ति विद्यमान है। पुरुष ने अपने स्वार्थ के लिए नारी को क़ानून के क्षेत्र से दूर रखा था, किंतु आज वकालत के क्षेत्र में भी नारियों का प्रवेश समाज के लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा है।''[12] अतः आज़ादी के बाद और आधुनिक युग के इतिहास में शिक्षित स्त्री की योग्यताओं का प्रमाण चहुँ दिशाओं में देखने को मिलता

है। समय-परिवर्तन के साथ शिक्षा द्वारा स्त्री अपने जीवन को सशक्त बनाते हुए विभिन्न व्यवसायों, सेवाओं तथा संगठनों से जुड़ते हुए कुशलतापूर्वक अनेकानेक पदों पर आसीन होती जा रही है, जिससे उसके जीवन के उद्देश्यों, लक्ष्यों को गति मिलती जा रही है। निःसंदेह स्त्री जीवन की दशा को सही दिशा देने में शिक्षा ने सराहनीय योगदान दिया है। इतना होते हुए भी आधुनिक युग में प्रतिस्पर्धा का दौर चल रहा है जिसमें स्त्री का स्थान कहाँ पर है? क्या वास्तव में प्राचीन से वर्तमान समय तक स्त्री की दशा शिक्षा अभाव में दयनीय थी? उसे हर क्षेत्र में आज समानता का अधिकार प्राप्त हुआ है? वह किस हद तक अपने अधिकारों को पहचान कर अपनी अस्मिता की रक्षा कर पाई है? अनगिनत सवाल स्त्री-दशा व शिक्षा को लेकर आज भी बने हुए हैं जिनका समुचित समाधान नहीं है। आज भी स्त्री प्राचीनकाल की भाँति ही प्रश्नों के घेरे में खड़ी दिखाई देती है।

❑

संदर्भ

1. महिला विकास : एक परिदृश्य, स्वप्निल सारस्वत, पृ. 23
2. प्राचीन भारत का इतिहास, वी.डी. महाजन, पृ. 12
3. भारतीय समाज व संस्कृति, जे.के. अग्रवाल, पृ. 205
4. विवेकानंद : व्यक्ति एवं विचार, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, पृ. 184

5-8. स्त्री-चेतना और मीरा का काव्य, पूनम कुमारी, पृ. 45, 46 एवं 250 और 205

9. स्वामी दयानंद सरस्वती -- (जीवन और विचार), हरदान हर्ष, पृ. 79
10. आधुनिक हिंदी साहित्य में नारी, श्रीमती सरला दुहा, पृ. 310-11
11. भारतीय सामाजिक व्यवस्था, डॉ. मंजू मिश्रा, पृ. 207
12. मानव अधिकार, डॉ. गीता मौर्या, पृ. 115
13. भारत में सामाजिक संदर्भों के विविध आयाम, डॉ. वीरेंद्र सिंह यादव, पृ. 253
14. हिंदी साहित्य में विविधवाद, प्रेमनारायण शुक्ल, पृ. 256

उमाकांत खुबालकर

समय की रेत पर तपते, झुलसते धरातलों की पड़ताल है 'समय का सच'

साहित्य की लगभग सभी विधाओं -- कविता, कहानी, नाटक, शोधपरक लेख, विधि साहित्य तथा सामाजिक सरोकारों पर समान रूप से लेखन करने वाली बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी, श्रीमती सन्तोष खन्ना का यह तीसरा कविता-संग्रह है 'समय का सच'। सौभाग्यवश इस कृति के विमोचन समारोह में मैं भी उपस्थित था जिसमें 6 से भी ज़्यादा सार्थक समीक्षाएँ प्रस्तुत की गई। वक्ताओं द्वारा कविता की मनोभूमि, रचनाधर्मिता एवं समकालीन संदर्भों की विस्तृत चर्चा की गई तथा उनके परिपक्व रचनाकर्म की दिशा में सार्थक संवाद भी चलता रहा।

किसी प्रबुद्ध वक्ता ने सन्तोष जी को महादेवी वर्मा की पांत में बिठा दिया। उनकी यह टिप्पणी सृजनशीलता को ऊँचाई पर देखने का एक वैचारिक बिंदु है। इस काव्य-संग्रह की एक से एक अच्छी कविता उस पर रचनाकार ने कविता का प्रतिमान निर्धारित करते हुए कहा है कि कविता 'हाशिए पर कविता' में मात्र शब्दों से खेलने वाली रचना नहीं होनी चाहिए? अपितु अपनी खोल से बाहर निकल कर आम आदमी की जीवनगत त्रासदी में डूबने, झाँकने की कला आनी चाहिए। आचार्य हज़ारी प्रसादी द्विवेदी का कथन है कि ''मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य होना चाहिए।'' अतः कविता को सचेत बनना होगा, तब वह मानवता के काम आ सकती है। उसकी सम्यक् दृष्टि कुपोषण के शिकार निम्न वर्ग के बच्चों पर केंद्रित होनी चाहिए तथा बम, धमाके में जख़्मी जीवन का मलहम उसे बनना होगा। 'इंडिया' और 'भारत' को एक करना होगा। उच्च और निम्न का वर्ग-भेद मिटाना होगा। ऐसा आह्वान कवयित्री करती है।

''कि आकाश भले ही कितना भी
ऊँचा हो।
भास्कर की किरणें
धरती की गोद में ही
मुस्कराती है।'' (पृ. 21)

कविता :

''हर भग्न -- त्रस्त हृदय की
बन जाए लिखावट।
प्रकाश के वितान की
मैं एक झीली-सी बुनावट। (पृ. 23)

कवयित्री का दृढ़ विश्वास है कि दामिनी अभी ज़िंदा है परंतु व्यवस्था मुर्दा बन गई है। (पृ. 24) उन्हें इस बात का अफसोस है।

पता नहीं? क्यों मंदिर, मस्जिद, मठों में आदमी की आस्था बढ़ती जा रही है। आदमी से आदमी की दूरी दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। (पृ. 25)

रचनाकार की यह चिंता जायज़ है कि सरकारी प्रयासों के बावजूद यमुना गंदे नाले में तब्दील होती जा रही है। वह कृष्ण से दोबारा लौटने का आह्वान करती है। आज द्रौपदी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। (पृ. 26)

एक और पर्यावरण की धज्जियाँ उड़ाती हुई कविता है -- 'यमुना की मरणासन्न नदी है? कवयित्री भगवान कृष्ण को चुनौती देती है।

''हे कृष्ण, अब जब तुम पुनः आओगे।
यमुना को कहीं नहीं पाओगे?
तब कहाँ बाँसुरी बजाओगे।
बिना बाँसुरी के कृष्ण
कैसे कहलाओगे।'' (पृ. 28)

ये कविताएँ अपने आप को ऊँचे आसन पर प्रतिष्ठित करती हैं। 'भारत मेरा महान्' सरकारी योजनाओं, नीतियों की धज्जियाँ उड़ाने वाली कविता है।

हम पहले वहीं थे। यहाँ विकास के नाम पर सिर्फ़ छलावा हो रहा है। कविता में अंतर्निहित हर शब्द विस्फोट करता है। इसमें बिंबात्मकता, लाक्षणिकता अद्‌भुत है। भारत महान् हो सकता है परंतु मनुष्यता का क्षरण हो रहा है। यह गरिमाहीन जीवन जीने के लिए विवश है। अभिशप्त है। (पृ. 32) अहिंसा की सीख देने वाले गांधी को अपनों ने ही मारा। (पृ. 37)

''आम आदमी के नारको टेस्ट में,
उसका बयान है कि मेरे पेट में
बम ब्लास्ट के राज़ नहीं
भूख के मारे चूहे कूद रहे हैं।
एक बम ब्लास्ट में
मैंने अपना जवान बेटा खोया है।'' (पृ. 38)

पूरी कविता वित्त को झकझोरती है। कुछ अराजक तत्त्वों ने उसकी खोली खाली करवा दी। घर, परिवार, पूरा टूट गया। जवान बेटी भी असुरक्षित है। कविता कहती है। चीखती है।

''मैं आतंकी नहीं
आतंकी समय का शिकार हूँ मेरे भाई।''

अंत में कविता गोली दागती है।

''मैं अपराधी नहीं?
सीधा सादा आदमी हूँ...

क्या इस देश के किसी भी कोने में इज्ज़त के साथ रह सकता हूँ? क्या इस देश को अपना कह सकता हूँ।'' (पृ. 42)

'वह टाँकती बटन' वृद्धा द्वारा अपना घर चलाने के लिए जीवन की विसंगतियों से जूझने की लोमहर्षक दास्तान है। उसकी आँखों में काला मोतियाबिंद है ऑपरेशन कराने के पूर्व उसे थोड़ा-बहुत दिखता था। इसीलिए सीने-पिरोने का काम किसी तरह कर लेती थी। विडंबना यही कि ऑपरेशन के पश्चात् उसकी आँखों से दिखना बंद हो गया। सन्तोष जी की लेखनी, कविता के अंदर की आत्मा को भेद कर जिजीविषा को प्रबल बनाती है; चूँकि वह वृद्धा नायिका नारी जीवन से हारना नहीं चाहती है? अपनी विधवा बेटी का जीवन सँवारना चाहती है। यह सच है। घर के बुज़ुर्ग जब तक जीते हैं। बच्चों पर आश्रय की छाया बन कर रहते हैं।

'सड़क' के अंतर्गत किसान की आत्महत्या का ज्वलंत प्रश्न, सरकारी योजनाओं के कर्णधारों से किया गया है। 'अब के साल' में प्रकृति के क्रूर तांडव के साथ-साथ दहशतवादियों के आतंक से पीड़ित मानवता की चिंता झलकती है। 'मेरे बच्चे' भी व्यवस्था के ठेकेदारों पर तीखा व्यंग्य है जिनकी लापरवाही से निरीह बच्चे मौत के गड्ढों में कैद हो जाते हैं। 'वर्षा में नदी' का मानवीकरण किया गया है। वर्षा में वह निकाल देना चाहती है -- जो उसकी नस-नस में भरा गया ज़हर है। अमर्यादित क़हर बरसाती है। जंगल, पहाड़, शहर, गाँव, उसकी शिव तांडवी मुद्रा से नहीं बच पाते हैं? 'पुकार' शीर्षक कविता में कृष्ण से सवाल करती है कि अब पुकारने पर भी तुम नहीं आ सकते हो। पुजारियों ने तुम्हें सुंदर अलंकारों के साथ, महँगे प्रस्तर के भवनों में क़ैद करके रखा है। यहाँ तो कितने ही कंस मुक़ाबले के लिए तैयार हैं। प्रकृति का अपहरण करके उसका चीरहरण किया जा रहा है।

प्रश्न यह है कि कंस के वध से अब कुछ नहीं होगा। अब तो धर्म, सभ्यता, संस्कृति निरीह मानव के प्राण भी विनाश के कगार पर है। 'हनन' कविता में मोटा वेतन पाने वाले सांसदों पर तीव्र प्रहार है। जो निर्धारित समय में संसद चलने नहीं देते हैं। 'ज्योति पर्व' में ग़रीबों के बच्चे कूड़े में अनजला बम पाकर दीवाली की ख़ुशी ढूँढ़ते हैं। 'मज़दूर' की मेहनत का खाने वाले 'श्रमवीर' कहलाते हैं अर्थात् समाज के सर्वहारा वर्ग की चिंता कवयित्री के लेखन में द्रष्टव्य है। कूड़े के ढेर में जीवन का अस्तित्व ढूँढ़ते हुए घातक बीमारी का शिकार हो जाते हैं। ग़रीब लोग उनकी लावारिस लाश को कमेटी वाले उठा कर ले जाते हैं। विडंबना यह है कि धरती एक है। आसमान एक है। सभी मानवों का आकार एक-सा है। भगवान् एक-सा है, तब इनसान क्यों बन जाता है हैवान? कवयित्री देश की बेटियों पर गर्व करती है जो देश, समाज, कार्यक्षेत्र के सभी ओहदों पर कर्म का इतिहास रच रही है। किंतु अब वह फैशन में जन्म से बाज़ार का विज्ञापन भी बन गई है।

नारी की दुर्बल अशक्त छवि उसे क़तई बर्दाश्त नहीं होती है? वे अंदेमान जेल के वीर क्रांतिकारियों, शहीदों को शत्-शतृ नमन करती है तथा गांधीवादी बनाम क्रांतिकारी का चोला बदल कर बंदूक उठाना चाहती हैं चूँकि लोकतंत्र बेबस है, लाचार है। देश की सरहदें कब

तक इनसानियत का लहू पीती रहेंगी? और कब तक हमारे देश में स्लम डॉग बनते रहेंगे? धरती को फाड़ कर जो धुआँ निकल रहा है, जो मानव जीवन को नष्ट कर रहा है। पता नहीं? सभी लोग रतन टाटा, अंबानी की तरह कब ख़ुशहाल होंगे? पर्यावरण का प्रकोप कब थमेगा? 'सोने से पहले' काश युद्ध आतंकवाद थम जाए।

धरा पर विश्व शांति छा जाए। वस्तुतः ''आजकल अख़बार की सभी सुर्ख़ियाँ रक्त से रंगने लगी हैं। सुबह चाय के प्याले से बारूदी गंध आने लगी है। कब बंद होंगे ये रक्तनद? धर्म के नाम पर हिंसा का तांडव कब थमेगा? इनमें मानवीय करुणा कब उपजेगी? कवयित्री इस बात के प्रति भी आश्वस्त है कि हिंदी साहित्य, संस्कृति की भाषा बनने के साथ-साथ रोज़गार और ग़रीब की रोटी भी ज़रूर बनेगी। भारत का शृंगार बन कर अखिल विश्व में गूँजेगी 'परचम' की आस्था कहती है कि सूर्य के निकलने के पहले ही हम जाग जाएँ? लोकतंत्र के रास्ते पर चल कर रोशनी कर परचम लहराए।

'समय का सच' काव्य-संग्रह की तमाम कविताओं के सागर-मंथन के पश्चात् 'हाइकू' की प्रयोगधर्मिता सराहनीय है। तमाम कविताएँ मानवीय चेतना के धरातल को गहराई से छूती हैं। उन्होंने सामाजिक सरोकारों के तमाम बिंदुओं, विषयों पर साध कर लेखनी चलाई है। तमाम रचनाएँ मानस को उद्वेलित करती हैं। अंतस् को झकझोरती हैं। मानवीय उदात्तता एवं गरिमा को बचाने के लिए अपनी रचनाधर्मिता, संवेदनशीलता के साथ खड़ी हैं। कविताएँ मुखर होकर रहती है। समय की तेज़ धार से उसके अस्तित्व पर कोई ख़तरा नहीं है। कविताओं की भाषा-शैली प्राँजल हे। भावाद्रेक तरल है। काव्य की गतिशील धारा के बीच रचनाकार भी स्वयं खड़ा हो जाता है। फिर भी कविताएँ अपने शाश्वत मूल्यों, चेतना से अंतर संघर्ष करते हुए लक्ष्मण रेखाओं को उलाँघ जाती हैं किंतु उनका रचनात्मक सौंदर्य विनष्ट नहीं होता है। रचनाओं का पाठ करते हुए मैं बार-बार उल्लसित हुआ। उनका अनुगमन किया। वे सात्तिवक मर्यादा के बंध में बँधी रहीं। 'सत्यम्, शिवम्, सुंदरम्' के गान को प्रतिध्वनित करती रही। यही काव्यत्व की कसौटी है। सन्तोष जी की अनुपम रचनाओं के लिए अभिनंदन करता हूँ। कविता विश्व के साक्षात्कार से मैं भी अभिभूत हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हिंदी जगत् में इसका भरपूर स्वागत होगा।

'समय का सच' (कविता-संग्रह), लेखिका : सन्तोष खन्ना, विधि भारती परिषद्, दिल्ली-110088, प्रथम संस्करण 2017, मूल्य 250/- रुपए, पृष्ठ संख्या 128

❑

Prem Lata

Medical Negligence Not Llimited to Treatment Only (Medical Negligence theory through landmark judgments by SC)

Supreme Court in its judgment dated. 22.04.2014 in the matter of Ashish Kumar Majumdar v/s Aishi Ram Batra Charitable Hospital Trust & others 11(2014) CPJ 5(SC) explained the theory of *Res Ipsa Loquitur* and held that duty of the hospital is not limited to diagnosis and treatment but extends to looking after the safety and security of the patient, particularly those who are sick and under medication. In the present case, patient was admitted to OP hospital, with fever, had gone out of stroll in the middle of night being unable to sleep. He was found lying on the ground and sustained injuries. He had jumped out of the window of his room despite the presence of nurses. Hospital was held liable for not maintaining the necessary vigil in the hospital premises to ensure safety of the patients.

Supreme Court pronounced a number of landmark judgments on medical negligence Such judgments given by the Apex Court become precedent for the courts below under Article 141 of the Constitution. Law laid down in this process through various judgments on the basis of facts of each case and main issue raised in that particular matter can be viewed hereunder with case law

AchuteHariBhauKhodwa V State of Maharashtra, SC in 1996 lay down

1. Medical Professional needs to follow three steps carefully before treating the patient –
   (i) Take decision carefully whether he should take the case in hands for treatment.
   (ii) Decide what treatment he has to give to the patient if case is taken up for treatment;
   (iiii) Whether he was given the treatment what was chosen by at the time of accepting the patient for treatment
2. During the operation, Mop left in the body, formation of pus resulting into damage or death amounts to negligence.

PoonamVerma V Ashvin Patel SC 1996

Giving medicine without knowledge i.e. homeopathic doctor prescribing allopathic medicine amounts to medical negligence.

Harjot Ahluwalia V Springmeadows, 1998 SC

Law lay down

1. Wrong injection by the untrained nurse, leaving the case to junior doctor without explaining the case amounts to negligence on the part of doctor as well as nursing home.
2. Doctors are not negligent if out of five methods established in the medical science, doctors adopt one method for treatment which does not bring expected results or treatment does not prove to be very effective
3. It is expected from a doctor to have a reasonable skill and knowledge and reasonable degree of care.
4. Doctor is not negligent unless he has done something which he ought not have done OR has not done something which he should have done.

Jacob Mathew V State Of Punjab SC 2005

Law is that act of negligence to be viewed as criminal negligence inviting criminal prosecution would have to be of a gross negligence and must fulfill two tests:

(i) Doctor did not possess the necessary skill required or if possessed the required skill, did not exercise with reasonable competence
(ii) The act committed ought to be such that no medical professional in ordinary sense would have committed.
(iii) Test of Medical negligence in criminal case and under consumer protection act are to be judged on different parameters
(iv) Every professional including advocates, charted accountants, Doctors etc who provides professional service. by receiving payment is a service provider under Consumer Protection Act
(v) In appropriate case, expert opinion may be obtained and the matter is left to the discretion of Consumer Forums and Commissions"

Martin D'souza V Mohdlshfaq 2009 SC delivered on 27th Feb 2009

Law is that "whenever a complaint is received against a doctor or a hospital by consumer forum or by criminal court, then before issuing a notice to the complainee doctor or hospital, it should be referred to a competent doctor at committee of doctors, specialized in the field to which the medical negligence relates, and only thereafter if there is a prima facie case that a notice be issued to the concerned doctor/hospital."

Malay Kumar Ganguli and Dr. Kunal Saha V Dr. Sukumar Mukherjee and others of 7th August, 2009

Law is that "a court is not bound by the evidence of the expert which may be advisory in nature .The court must derive its own conclusion upon considering the opinion of experts which may be adduced by both the sides, cautiously and upon taking into consideration the authorities on the point which he deposes "

V Krishna Rao V Nikhil Super Speciality Hospital & others 8th March, 2010

(i) Law is that "expert opinion is needed to be obtained only in appropriate cases of medical negligence cases and the matter may be left to the discretion of the consumer forums especially when the retired judges of Supreme court and High courts are appointed to head the National Commission and State Commission''

(ii) "The general directions given in Para 106 in D'Souza case to have an expert evidence in all cases of medical is not consistent with the principle laid down by the larger bench accepted as position that only in appropriate case, expert opinion may be made and the matter is left to the discretion of consumer forums and commissions"

(iii) "If the general directions of Martin D'souza case are to be followed then the doctrine of *Res IpsaLiquatur* which is applied in England and in Indian Medical Association V V.P.Shantha& others case would be redundant and shall be contrary to the three judges bench order wherein it was held that there may be cases which do not raise much complicated question and deficiency of service may be due to obvious faults which can be easily established such as removal of wrong limb, performance of operation on wrong patient, giving injection or drug to allergic patient without test, leaving swabs or other surgical item in the body during operation "

(iv) "Before forming an opinion that expert evidence is necessary under the act, must come to a conclusion that the case is complicated enough to require the opinion of an expert or the facts of the case are such that it cannot be resolved by the members of for a without the association of expert opinion If decision is taken to take to obtain expert opinion in all cases and medical negligence is proved on the basis of expert evidence, the efficacy of remedy provided under this act would be illusory"

Smt. Savita Garg vs The Director, National Heart... on 12 October, 2004 Author : A Mathur Bench: B.N.Agrawal, A.K. Mathur CASE NO. : Appeal (civil) 4024 of 2003 DATE OF JUDGMENT : 12/10/2004

Law laid down petition for non-joinder of party.

(i) "The National Commission shall, in the disposal of any complaints or any

proceedings before it, have the power of a civil court and can direct the parties to disclose the name and other particulars of treating doctor if not known to the complainant."

(ii) "So far as the law with regard to the non-joinder of necessary party under Code of Civil Procedure, Order 1 Rule 9 and Order 1 Rule 10 of the CPC is concerned, no suit shall fail because of mis-joinder or non-joinder of parties.Even if the concerned doctor and the nursing staff who were looking after the deceased have not been impleaded as opposite parties, it cannot result in dismissal of the original petition as a whole."

(iii) Since the burden is on the hospital to prove not guilty, they can discharge the same by producing treating doctor of the patient in defense to substantiate their allegation that there was no negligence

(iv) The hospitals are institutions, people expect better and efficient service, if the hospital fails to discharge their duties through their doctors being employed on job basis or employed on contract basis, it is the hospital which has to justify and by not impleading a particular doctor will not absolve the hospital of their responsibilities.

State of Punjab V Shiv Ram and Ors AIR 2005 SC 3280

(i) Law is that "merely because a woman having undergone a sterilization operation becoming pregnant and delivering a child thereafter, the operating surgeon or his employer cannot be held liable on account of the unwarranted pregnancy or unwanted child".

(ii) The causes of failure may be attributable to the natural functioning of the human body and not necessarily attributable to any failure on the part the surgeon.If in a case woman had conceived the child before undergoing sterilization, surgeon cannot be held responsible if such fact was not known to the woman or she had not tested about it before opting for operation .Further, Authoritative text books on gynaecology and empirical researches which have been carried out recognize the failure rate of 0.3% to 7% depending on the technique chosen out of several recognized and accepted ones. Failure due to natural causes, no method of sterilization being foolproof or guaranteeing 100% success, would not provide any ground for a claim of compensation.

State Of Haryana & Ors. Y. Smt. Santra, Jt 2000 (5) Sc 34,

Law is that when doctor is negligent

If a doctor negligently operated only the right fallopian tube and had left the left fallopian tube untouched. The patient was informed that the operation was successful and was assured that she would not conceive a child in future. This negligence when results into birth of an unwanted child to a woman, was considered a case of medical negligence.

❑

Sanju Lata

Conservation of Wild Life in India

All the living and non-living elements and their effects on human life makes environment. Animals, plants, forests, fisheries, bird etc. are included in living things and land, water, rocks, sunlight, air, water etc. are included in non living things or non-biotic elements.

Wild life helps the balancing the nature's process. Wild life refers to living organisms (flora and fauna) in their natural habitats. Wild life conservation is essential to survive the plants and animals species. The practice of protecting plants and animal species and their habitats is Wild life conservation.

"LIFE WOULD BE VERY DULL AND COLOURLESS IF WE DID NOT HAVE THESE MAGNIFICENT PLANTS, ANIMALS AND BIRDS TO LOOK AND PLAY WITH." -- **JAWAHAR LAL NEHRU**

Main reasons that create problems for wild life

The main villain is the man's ambition-man in his quest for scientific discoveries and invention, often resort to ravaging natural things (examples are things like Narmada Dam and Express Highways, killing of fishes/rats animals etc. for scientific inventions). In each of these cases, things of nature or animal would involved are put to destructions.

The next villain is again man's greed – greed for money, greed for wealth, greed for quick buck, greed for material acquisitions. Blinded by the greed he can commit most condemnable offences. It is common knowledge that hunters and traders kill every day thousands of animals for their furs, ivory skin and other body parts.

Apart these reasons, natural disasters like fire in forest (fire in amazon forest) or flood also harm the wildlife.

National and international organizations like the World Wildlife Fund, Conservation International, the Wildlife Conservation Society and the United Nations work to support global animal and habitat conservation efforts on many different fronts. They work with the government to establish and protect public lands, like national parks and wildlife refuges. They help to write legislation, such as the Endangered Species Act (ESA) of 1973 in the United States, to protect various species. They work with law enforcement to prosecute wildlife crimes, like wildlife trafficking and illegal hunting (poaching). They also promote

biodiversity to support the growing human population while preserving existing species and habitats.[1]

Article 51 (G) states the following:

"It shall be the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life, and to have compassion for living creatures."[2]

Wild life Conservation Initiatives by Indian Government

India is one of the 17 mega diversities in the world and is home to 7.6% of all mammal, 12.6% of bird, 6.2% of reptile, and 6.0% of flowering plant species. The country also has some of the most biodiverse regions on the planet and it comprises of four of 35 biodiversity hotspots of the world like the Western Ghats, the Eastern Himalayas, Indo-Burma and Nicobar Islands and in Sundervan. So far, the country's wildlife is preserved in 120+ national parks, 515 wildlife sanctuaries, 26 wetlands, and 18 Bio-Reserves, out of which 10 are part of the World Network of Biosphere Reserves. Evidently, this large biodiverse land needs protection and inarguably conservation is a mandatory measure. [3]

Project Tiger

Project Tiger was launched in 1973 with the aim of ensuring that the population of Bengal tigers is well-maintained in their natural habitats. The government has also set up a tiger protecting force that ensures there is no poaching of any kind or any human-tiger conflict. This invariably will help in preventing tigers from being extinct.Project Tiger has helped a lot in increasing the number of tigers in India. In 2006, surveys suggested that the number of tigers was just 1, 411 which was a cause of concern worldwide. But the Indian Government and many NGOs stepped forward and joined hands to ensure that the tiger population increases. And it did. In over a decade, India has seen a consistent rise in the number of tigers.[4]

Objectives of Project Tiger :

A. To ensure that any factor leading to the reduction of tiger habitats is limited.

B. Any damages done to these habitats should be repaired so that the ecosystem is balanced

C. Maintain a viable tiger population.[5]

Tiger Reserves :

Starting from nine (9) reserves in 1973-2016, the number is grown up to fifty (50). A total area of 71027.10 km^2 is covered by these project tiger areas.[6]

Projects elephants

The government of India in the year 2010 declared Elephant as the national

heritage animal of the country on the recommendations of the standing committee of the national board for wildlife. Project Elephant is a Central Government sponsored scheme launched in February, 1992. Through the Project Elephant scheme, the government helps in the protection and management of elephants to the states having wild elephants in a free-ranging population. It ensures the protection of elephant corridors and elephant habitat for the survival of the elephant population in the wild.This elephant conservation strategy is mainly implemented in 16 states in the country which includes Arunachal Pradesh, Assam, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Kerala, Karnataka, Meghalaya, Maharashtra, Nagaland, Orissa, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Uttaranchal and West Bengal. [7]**777777hant**

Project Elephant Objectives

- To ensure the Welfare of domesticated elephants
- Protection of elephants, their habitats and elephant corridors.
- Mitigation and prevention of human-elephant conflict.[8]

Crocodile conservation

Crocodilians were threatened in India due to indiscriminate killing for commercial purpose and severe habitat loss until the enactment of the Wildlife (Protection) Act, 1972. All the three species of crocodiles, namely, Gharial (Gavialisgangeticus), Mugger crocodile (Crocodyluspalustris) and Saltwater crocodile (Crocodylusporosus), in the river systems of Odisha were on the verge of extinction by the seventies. Also, the survival rate of the crocodile hatchlings was relatively low because of predation. Piecemeal efforts were being made since the sixties to save the crocodile. FAO Expert, Dr. H.R.Bustard engaged by UNDP/FAO and Government of India studied the prospects of crocodile rehabilitation, and based on his report and guidance a Crocodile Conservation Project was launched in 1975 in different States. Since Odisha is recognized for the existence of all the three species of Indian crocodilians, the Gharial and Saltwater crocodile conservation programme was first implemented in Odisha in early 1975 and subsequently, the Mugger conservation programme was initiated. The UNDP/ FAO provided funds and other technical support through the Government of India. [9]

Management Objective[10]

- To protect the remaining population of crocodilians in their natural habitat by creating sanctuaries.
- To rebuild natural population quickly through 'grow and release' or 'rear and release' technique that involves the following phases of operation.

1. Collection of eggs from natural nests as soon as these are laid, 2. Incubation of these eggs under ideal temperature and humidity maintained in artificial hatcheries, 3. Hatching and rearing the young crocodilians in

ideal captive-husbandry conditions, 4. Marking and releasing young crocodiles in protected areas; and 5. Assessing the result of the released crocodiles and protection of the same.

To promote captive breeding

- To take-up research to improve management. Some of the major researches have been in the following directions. 1. Interpretation of the various types of data collected during survey and census. 2. Determination of parameters for maximizing success in egg collection, egg incubation, hatching, rearing and release; including husbandry aspects on feeding, food conversion and growth. 3. Study of habitat features and population structure. 4. Study of behavioural biology including reproduction, thermo-regulation, feeding, water-orientation, locomotion etc
- To build up the skills of the personnel for better continuity of the project through training imparted at the project-sites and the Central Crocodile Breeding and Management Training Institute, Hyderabad.

To involve the local people intimately through the following : 1. Developing a strong level of acceptance of the project by the people, i.e., by locating the projects in rural areas where people could both see and participate in the entire programme. 2. Protect the immediate and long-term interests of fishermen residing within the sanctuaries who depend on fishing for their livelihood, by providing an alternative source of income that is not detrimental to the conservation aims, if necessary. 3. Extend the conservation programme to village-level by introducing commercial crocodile farming so that people can earn an income by conserving crocodiles and their habitats.

UNDP Sea Turtle Project

With an objective to conserve the Olive Ridley Turtles, the UNDP Sea Turtle Project was initiated by Wildlife Institute of India, Dehradun as the Implementing Agency in November 1999. The project is for 10 coastal states in India especially Odisha where it has contributed towards the preparation of a map of breeding sites of Sea Turtles; identification of breeding places and habitats along the coast line, and migratory routes taken by Sea Turtles. The project also helped in the development of guidelines to safeguard the turtle mortality rate and for tourism in sea turtle areas. [11]

Vulture conservation project

Vulture Conservation Breeding Centre (VCBC) is a joint project of the Haryana Forest Department and the Bombay Natural History Society (BNHS). It is a collaborative initiative to save the three species of vultures, the White-backed, Long-billed and Slender-billed from looming. [12]

The Indian Rhino Vision 2020

The Indian Rhino Vision 2020(IRV2020) program is drawing to a close with the transaction of two rhinos earlier in 2020 to Manas National Park in Assam, India. A final translocation of two additional rhinos was to take place during the spring, but has been postponed as India has restricted travel in response to mitigating the global COVID19 pandemic in the country. [13]

Acts that have been passed by Indian Government to protect wild life [14]

1. The Wildlife (Protection) Act, 1972 (Last amended in 2006) : The Wildlife (Protection) Act (WLPA), 1972 is an important statute that provides a powerful legal framework for :

- Prohibition of hunting
- Protection and management of wildlife habitats
- Establishment of protected areas
- Regulation and control of trade in parts and products derived from wildlife
- Management of zoos.

The WLPA provides for several categories of Protected Areas/Reserves :

- National Parks
- Wildlife Sanctuaries
- Tiger Reserves
- Conservation Reserves
- Community Reserves

2. The Indian Forest Act (1927) and Forest Acts of State Governments: The main objective of the Indian Forest Act (1927) was to secure exclusive state control over forests to meet the demand for timber. Most of these untitled lands had traditionally belonged to the forest dwelling communities. The Act defined state ownership, regulated its use and appropriated the power to substitute or extinguish customary rights. The Act facilitates three categories of forests, namely

- Reserved forests
- Village forests
- Protected forests

Reserved forests are the most protected within these categories. No rights can be acquired in reserved forests except by succession or under a grant or contract with the government. Felling trees, grazing cattle, removing forest products, quarrying, fishing, and hunting are punishable with a fine or imprisonment.

3. The Forest Conservation Act (1980) : In order to check rapid deforestation due to fores and being released by state governments for agriculture, industry and other development projects (allowed under the Indian Forest Act) the federal government enacted the Forest Conservation Act in 1980

with an amendment in 1988. The Act made the prior approval of the federal government necessary for de-reservation of reserved forests, logging and for use of fores and for non- forest purposes.

4. The Environment (Protection) Act (1986) : The Environment Protection Act is an important legislation that provides for coordination of activities of the various regulatory agencies, creation of authorities with adequate powers for environmental protection, regulation of the discharge of environmental pollutants, handling of hazardous substances, etc. The Act provided an opportunity to extend legal protection to non-forest habitats ('Ecologically Sensitive Areas') such as grasslands, wetlands and coastal zones.

5. The Biological Diversity Act (2002) : India is a party to the United Nations Convention on Biological Diversity. The provisions of the Biological Diversity Act are in addition to and not in derogation of the provisions in any other law relating to forests or wildlife.

6. National Wildlife Action Plan (2002-2016) : replaces the earlier Plan adopted in 1983 and was introduced in response to the need for a change in priorities given the increased commercial use of natural resources, continued growth of human and livestock populations, and changes in consumption patterns.

7. National Forest Policy (1998) : The National Forest Policy, 1998, (NFP) is primarily concerned with the sustainable use and conservation of forests and further strengthens the Forest Conservation Act (1980). It marked a significant departure from earlier forest policies, which gave primacy to meeting government interests and industrial requirements for forest products at the expense of local subsistence requirements. The NFP prioritizes the maintenance of ecological balance through the conservation of biological diversity, soil and water management, increase of tree cover, efficient use of forest produce, substitution of wood, and ensuring peoples' involvement in achieving these objectives. It also includes meeting the natural resource requirements of rural communities as a major objective. The NFP legitimizes the customary rights and concessions of communities living in and around forests, stating that the domestic requirements of the rural poor should take precedence over industrial and commercial demands for forest products.

Conclusion

All living things depend on each other. No one can live without depending on others. Wild life is also a very important part of environment. But due to natural disaster and human activities, the situation of wild life is going down badly. Wild life is not a non-renewable natural resources. If all the planning / planned programmes are effectively executed, after some times it will start flourishing again. The national wildlife day is observed on **September 4** every year to protect them. The aim of this day is to increase awareness about wildlife

species and ways to protect them. But depending only on Government planning is not sufficient. We should also aware about wild life's importance and should not harm them on kill them.

WILDLIFE IS A PART OF THIS PLANET AND WE MUST SAVE IT.

❑

References

1. Wild life conservation, https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/wildlife-conservation/
2. Refrence Indian Constitution
3. Wildlife Conservation Initiatives by Indian Government 25 May, 2017 https://www.ranthamborenationalpark.com/blog/wildlife-conservation-initiatives-indian-government/
4. Project Tiger : Everything You Need to Know About This Initiative, By Shreya Suresh Kumar Updated : February 27, 2020 https://www.india.com/travel/articles/project-tiger-everything-you-need-to-know-about-this-initiative-3232921/
5. Ibid
6. Tiger reserves Last Updated : 03/12/2020 http://wiienvis.nic.in/Database/trd_8222.aspx
7. Project Elephants – list of elephant reserves in India https://byjus.com/govt-exams/project-elephant-reserves-in-india-list/
8. Ibid
9. Crocodile Conservation Odisha wildlife organisation https://www.wildlife.odisha.gov.in/webportal/CrocodileConservation.aspx
10. Ibid
11. Wildlife Conservation Initiatives by Indian Government https://www.ranthamborenationalpark.com/blog/wildlife-conservation-initiatives-indian-government/
12. VULTURE CONSERVATION AND BREEDING CENTER, PINJORE http://haryanaforest.gov.in/en-us/Wild-Life/Protected-Area/Vulture-Conservation-and-Breeding-Centre-Pinjore#:~:text=The% 20Vulture% 20Conservation%20Breeding%20Centre, %2Dbilled%2C%20from% 20looming%20extinction.
13. India, International Rhino foundation https://rhinos.org/our-work/where-we-work/india/#:~:text=The%20Indian%20Rhino%20Vision%202020, National%20Park%20in%20Assam%2C%20India.&text= The%20goal% 20of%20IRV2020%20was, establishing%20populations%20in%z20new % 20areas.
14. Legal Framework for Wildlife Conservation in India, By Praveen Bhargav, Reworked from Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) Report May 2007*.https://www.conservationindia.org/resources/the-legal-framework-for-wildlife-conservation-in-india-2

Dr. Mukesh Kumar Malviya

Women's Human Rights in International and National Sphere

Human Rights are naturally acquired by the Human beings on earth. A right means freedoms that are guaranteed. It is true to say that Human Rights are nothing but various freedoms guaranteed to human beings. The present situation is such that no one is aware about things to which he is entitled. Society consists of various small groups having different identities. Roscoe Pound, the then social scientist emphasised upon the concept of 'balancing of interests' in his theory known as Social Engineering Theory. Pound had insisted that, "the structure of public, social and individual interests are all, in fact, individual interests looked at from different points of view for the purpose of clarity and therefore, in order to make the system work properly, it is essential that when interests are balanced, all claims must be translated into the same level and carefully labelled."

The various vulnerable groups are in existence in the society especially women, children, elderly persons, disabled, and backward classes. They are vulnerable because of their very status. As they are human beings, they possess various rights irrespective of their race, caste, nationality, language, status and sex. We can, therefore, easily say that Human Rights are basic or natural and fundamental rights of each and every human being. There are certain freedoms which should never be invaded, since they are supremely acquired.

Keywords : *Human Rights, Women's Right, CEDAW, Violence against women.*

Objectives :

- To know the rights of the women in National and International sphere.
- To know the mechanisms to protect the women section from the curse of inhuman activities.
- To know the programmes of the international and national covenants and conventions for the protection and promotion of women's human rights.
- To know the upliftment of women in the field of civil, political, social, economic, cultural and education.

Civilised nations are bound to protect Human Rights of all persons. There are various Legislations, Conventions, Commissions and Committees are there for

the protection of Women's Human Rights at International and National level. Human Rights have got unanimous recognition all over the globe. There is no restriction on the basis of boundary on any Human being to enjoy Human Rights. "The human rights movement should itself give equal priority to economic, social and cultural rights together with civil and political rights".

At the International Level :

1. **United Nations And Human Rights of Women :** United Nations has various agencies which have their distinct area of work. They deal with women related issues in their particular area of operation. The atrocities committed during Second World War are one of the strong reasons behind creation of a protective mechanism for fundamental Human Rights at International level.
2. **Provisions of United Nations Charter 1945 concerning Human Rights of Women :** The Preamble of the United Nations speaks explicitly about Human Rights of Women. It shows the importance of the concept of parity especially with respect to gender. The Preamble says, "We the People of The United Nations determined to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small."

The very purpose of United Nations is, "To achieve international co - operation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion."

It means the charter provides that there is no discrimination on the ground of sex. Everyone should be treated as equal, irrespective of his Race, Language, Religion and Sex. Here, it is crystal clear that United Nations are bound to respect Human Rights of women without discrimination.

3. **Commission on the Status of Women :** The Commission on the 'Status of Women was established in 1946. This Commission is part and parcel of Economic and Social Council. The Commission has done enormous work for the upliftment of the status of women. The functions of the Commission are to promote and protect the rights of women in Civil, Political, Economic, Social, Cultural and Educational fields and also to advocate equal status of rights of women with men.
4. **Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948 :** The Universal Declaration of Human Rights, 1948 is one of the greatest achievements of United Nations. This step has been taken for the promotion and protection of Human Rights at international level. Such UDHR implies "All human beings are born free and equal in dignity and rights."

This international document also advocates the notion of equality. Everyone shall respect and maintain the dignity of all without discrimination on the grounds of caste, creed, religion, coloure, sex, birth of place. To give due respect to other's

dignity is the basic fundamental principle of Human Rights.

All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination."

5. **International Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and exploitation of the Prostitution of others, 1949 :** This is an important convention which prohibits and punishes the persons who do any act which includes Prostitution and Traffic in Persons. The member states shall take measures to educate and encourage through their public and private services to prevent prostitution and to ensure rehabilitation of victims of such offences.
6. **Convention on the Political Rights of Women, 1952 :** This is an important step towards universal attainment of equal rights between Men and Women. "Women shall be entitled to vote in all elections on equal terms with men, without any discrimination." "Women shall be eligible for election to all publicly elected bodies, established by national law, on equal terms with men, without any discrimination." The said convention specifically deals with political rights of the Women. It establishes electoral rights and participation of women in functionaries of Government.
7. **Convention on the Nationality of Married Women, 1957 :** In accordance of the view expressed by Commission on the Status of Women that there should be a convention on the Nationality of married women to assure equality between men and women. The said convention speaks about prevention of becoming stateless of married women after marriage. It was adopted in 1957 by the General Assembly of United Nations.
8. **Declaration on the Elimination of Discrimination against Women, 1967 :** The General Assembly adopted this convention in 1967.The present convention is a result of notion of equality between men and women. The Universal Declaration of Human Rights asserted that all human beings are born free and equal in dignity."Discrimination against women, denying or limiting as it does their equality of rights with men, is fundamentally unjust and constitutes an offence against human dignity."
9. **Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW), 1979 :** The U.N. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against women, advocates the maintaining of parity and to elimination of discrimination against women in all areas of life, including healthcare, education, employment, domestic relations, law, commercial transactions, and political participation, among other things. The convention is a valuable mechanism for fighting women's discriminationworldwide. The Convention specifies that State Parties should undertake to "embody the principle of equality of men and women in their national constitutions or other appropriate legislations to ensure, through law and other appropriate means, the practical realization of this principle."

10. **The Committee on CEDAW :** The committee on the elimination of all forms of discrimination against women was established under the convention on the elimination of all forms of Discrimination against women. The committee has performed significant work but has not succeeded.
11. **Declaration on Elimination of Violence against Women, 1993 :** To combat violence against women at international level, this present declaration was brought in "Violence against women" means any act of gender -based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life." Violence has affected millions of women worldwide. This results into lack of involvement of women in socio, economic and cultural activities. The declaration assists the Government of States to take necessary steps to prevent violence against women.
12. **Vienna Declaration and Human Rights of Women, 1993 :** The Declaration was adopted by the World Conference on Human Rights in 1993. The World Conference on Human Rights urges, "The full and equal enjoyment by women of all human rights and that this be a priority for Governments and for the United Nations."

"The equal status of women and the human rights of women should be integrated into the mainstream of United Nations system-wide activity. These issues should be regularly and systematically addressed throughout the relevant United Nations bodies and mechanisms."

Everything about equality has been taken into consideration and it also recognises the importance of the enjoyment by women of the highest standards of physical and mental health.

13. **World Conference on Women's Human Rights :** The first International Conference on women was held in Mexico in 1975 under the title "Equality, Development and Peace". It was recognised that women are also part and parcel of Development of Nations. Women should contribute for the progress of the country.
14. **Beijing Declaration, 1995 :** In 1995 it was again reiterated that elimination of all obstacles for gender equality and the advancement and empowerment of women is the need of the time. Furthermore, prevention of violence against women and girl child and primary health care for girls and women has been given greater attention in the said declaration.
15. **United Nations Development Fund for Women (UNIFEM) :** United Nations Development Fund for Women's (UNIFEM)work on Gender Justice was established in December, 1976 originally as the Voluntary Fund for the United Nations Decade for Women in the International Women's Year. It provides financial and technical assistance to innovative programmes and strategies that promote women's human rights, political participation and economic security. Since 1976, it has supported women's

empowerment and gender equality through its programme offices and links with women's organizations in the major regions of the world.

16. **United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation's (UNESCO) :** It's statement on women's contribution to the culture of Peace is also has taken special care and attention in the area of Gender equality and multifarious aspects of women. The European Convention on Human Rights and the American Convention on Human Rights, 1969 also speaks on the theme of U N Charter and has adopted the same at the regional level.

National Level Protection

The Supreme Legislation (SupremaLex) i.e. Constitution of India is true guarantor of right of equality of women. It is a fundamental document which deals with women's right to Equality in India. Further, the Constitution of India provides special protection to women with the help of various provisions inserted under Part III. Besides, the constitutional framework Indian Parliament has taken positive steps to protect women's rights. Especially, Dowry Prohibition Act, 1961, Sati Prevention Act, 1987 and Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 are important legislations of the Parliament

1. Human Rights of Women and the Constitution of India

The Constitution of India adopted in 1950 provides certain rights to its citizens known as the Fundamental Rights (Part-3, Article 14-35). Though the words "Human Rights" are not included in the Constitution of India, the rights provided are similar to those rights which are provided in the Universal Declaration of Human Rights and the rights provided in International Covenant on Civil and Political Rights and International Covenant on Social, Economic and Cultural rights. In **Sunil Batra v. Delhi Administration,** the apex court has observed that Human Rights jurisprudence in India has constitutional status. Again in **Maneka Gandhi vs. Union of India,** the Supreme Court has held that provisions of part III of the Constitution of India should be given widest possible interpretation. Article 14 guarantees equality before law and the equal protection of law. Article 15 prohibits discrimination on any basis. It also deals with the special provisions to be made for women which shall not be considered as discriminatory. Article 16 provides equal opportunity in matters of public employment. Article 21 provides Protection of life and personal liberty. No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.Article 23 prescribes about Prohibition of traffic in human beings and forced labour. Traffic in human beings and *beggar* and other similar forms of forced labour are prohibited and any contravention of this provision shall be an offence punishable in accordance with law.Article 24.Prohibition of employment of children in factories, etc.No child below the age of fourteen years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment.

Part IV of the Constitution of India deals with Directive Principles of State

Policy. These are not enforceable in the courts of law like fundamental rights. Even though Directive Principles of State Policy are helpful in guiding the State while making legislations and policies, it has its own importance as binding on the States."Equal Pay for equal work", "Just and Human conditions of work and for maternity relief" and Fundamental duty to respect women and renunciation of practices derogatory to dignity of women are the important provisions of Constitution of India.The 73rdand 74thConstitutional Amendment Acts are new dimensions in the advancement of women in India. In spite of all these provisions, women in India are victims of personal laws which restrict them from representation in the society.

To uphold the Constitutional mandate, the State has enacted various legislative measures intended to ensure equal rights, to counter social discrimination and various forms of violence and atrocities and to provide support services especially to working women.

(1) The Crimes Identified Under the Indian Penal Code (IPC)
   - (i) Rape (Sec. 376 IPC)
   - (ii) Kidnapping & Abduction for different purposes (Sec. 363-373)
   - (iii) Homicide for Dowry, Dowry Deaths or their attempts (Sec. 302/304-B IPC)
   - (iv) Torture, both mental and physical (Sec. 498-A IPC)
   - (v) Molestation (Sec. 354 IPC)
   - (vi) Sexual Harassment (Sec. 509 IPC)
   - (vii) Importation of girls (up to 21 years of age)

(2) The Crimes identified under the Special Laws (SLL)
   - (i) The Employees State Insurance Act, 1948
   - (ii) The Plantation Labour Act, 1951
   - (iii) The Family Courts Act, 1954
   - (iv) The Special Marriage Act, 1954
   - (v) The Hindu Marriage Act, 1955
   - (vi) The Hindu Succession Act, 1956 with amendment in 2005
   - (vii) Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956
   - (viii) The Maternity Benefit Act, 1961 (Amended in 1995)
   - (ix) Dowry Prohibition Act, 1961
   - (x) The Medical Termination of Pregnancy Act, 1971
   - (xi) The Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1976
   - (xii) The Equal Remuneration Act, 1976
   - (xiii) The Prohibition of Child Marriage Act, 2006
   - (xiv) The Criminal Law (Amendment) Act, 1983
   - (xv) The Factories (Amendment) Act, 1986
   - (xvi) Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986
   - (xvii) Commission of Sati (Prevention) Act, 1987
   - (xviii) The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005

2. Judicial Approach towards the Protection and Promotion of women's Human Rights :

The Indian judiciary is playing a significant role in comparison to judiciaries of the world. The public at large have faith in our Judiciary. The Supreme Court is the ultimate interpreter of the Constitution of India. The judiciary is the protector of Human Rights over decades. Some of the unpleasant violations of Human Rights like Sati, Child Marriage, Honour Killings, Slavery, and Child Labour have been abolished by the initiative of Judiciary. Following are some verdicts;

In **"Bodhi Satwa Gautam v. Subra Chakraborty",** A.I.R 1996 S.C., the Apex Court has held that Rape is a crime against basic Human Right.

The Supreme Court in **"Hussainara Khatoon and others v. Home Secretary, State of Bihar",** A.I.R 1979 S.C expressed "travesty of justice" on account of under trial prisoners spending extended time in prison.

In **"PremSurana v. Delhi Administration",** A.I.R. 1980 S.C. the Supreme Court found the practice of using handcuffs and fetters on prisoners violating the guarantee of human dignity.

In **"Smt. Nilabati Behera v. State of Orissa and others",** A.I.R. 1993 S.C., the Supreme Court referred Article 9(5) of the International Covenant on Civil and Political Rights, 1966 which deals with right to compensation in cases of unlawful arrest and detention.

The most versatile role of judiciary is reflected in the decisions of Supreme Court in **"Unnikrshnan P. J. v. State of A. P. and others",** A.I.R 1993 S.C regarding Right to Education. Now basing on this judgement the government of India declared right to education as a fundamental rights.

In **"PUCL v. Union of India"** A.I.R 2004 S.C. the right of access of those below the poverty line to food supplies as essential to preserving human dignity.

Foreign court Judgements :
Ill-treatment in detention;

In "Juhnke v. Turkey", 22 July, 2003

The applicant was arrested on suspicion of membership of an illegal armed organisation, the PKK (Workers' Party of Kurdistan) and later convicted as charged and sentenced to 15 years' imprisonment. She complained in particular that, during her detention, she had been subjected to ill-treatment and a gynaecological examination against her will.

The European Court of Human Rights, finding that there was no evidence to substantiate the applicant's allegation that she had been subjected to ill-treatment, declared that part of her complaint inadmissible (manifestly ill-founded). The Court further found the applicant's allegation that she had been forced to have a gynaecological examination to be unsubstantiated and therefore held that there had been no violation of Article 3 (prohibition of inhuman or degrading treatment) of the European Convention on Human Rights. However,

the Court did find that the applicant had resisted a gynaecological examination until persuaded to agree to it and that, given the vulnerability of a detainee in such circumstances, the applicant could not have been expected to indefinitely resist having such an examination. It decided to examine that issue from the point of view of Article 8 (right to respect for private life) of the Convention. Observing that the gynaecological examination which had been imposed on the applicant without her free and informed consent had not been shown to have been "in accordance with the law" or "necessary in a democratic society", the Court held that there had been a violation of Article 8 of the Convention.

Rape and sexual abuse : In "Y.F. v. Turkey" (application no. 24209/94), 22 July, 2003

In October 1993 the applicant and his wife were taken into police custody on suspicion of aiding and abetting the PKK (Workers' Party of Kurdistan), an illegal organisation. The applicant's wife was held in police custody for four days. She alleged that she had been kept blindfolded and that police officers had hit her with truncheons, verbally insulted her and threatened to rape her. She was examined by a doctor and taken to a gynaecologist for a further examination. The police officers remained on the premises while she was examined behind a curtain. In March 1994, the applicant and his wife were acquitted. In 19 December, 1995 three police officers were charged with violating the applicant's wife's private life by forcing her to undergo a gynaecological examination. They were acquitted in May 1996. The applicant alleged that the forced gynaecological examination of his wife had breached Article 8 (right to respect for private life) of the Convention.

The Court held that there had been a violation of Article 8 (right to respect for private life) of the Convention. It considered that, given her vulnerability in the hands of the authorities who had exercised full control over her during her detention, the applicant's wife could not be expected to have put up resistance to the gynaecological examination. There had accordingly been an interference with her right to respect for her private life. The Turkish Government had failed to demonstrate the existence of a medical necessity or other circumstances defined by law. While the Court accepted their argument that the medical examination of detainees by a forensic medical doctor could be an important safeguard against false accusations of sexual harassment or ill-treatment, it considered that any interference with a person's physical integrity had to be prescribed by law and required that person's consent. As this had not been the case here, the interference had not been in accordance with the law.

3. Supreme Court on International law concerning the human rights of women :

The Supreme Court of India has interpreted various provisions of international instruments correlated with Constitutional law of India. India is a signatory to various International Conventions and Treaties. The Universal Declaration of Human Rights

adopted on 10th Dec. 1948, has greatly. In Madhu Kishwar v. State, Supreme Court has considered the provisions of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 1979 and held that it is a mirror image of Part III and Part IV of the Constitution of India.

4. The Protection of Human Rights Act, 1993 :

The Supreme Court of India had admitted that provisions of international instruments are not in conflict with National Laws. The Human Rights Act, 1993 has been formed after consideration of said provisions. The said Act defines Human Rights as the rights relating to Life, Liberty and Equality and Dignity of the individual. The Act provides for setting up of National Human Rights Commission and Human Rights Courts to deal with the issues relating to Human Rights.

❑

Referrence

- Acharya B.C., "A Handbook of Women's Human Rights", (2011), Wisdom Press, NewDelhi.2.
- Iyer Krushna V. R., "The Dialectics and Dynamics of Human Rights in India (Yesterday, Today and Tomorrow)", (1999), Eastern law House Private Ltd, Calcutta. 3.
- Kapoor Dr. S.K., "International Law and Human Rights (A NUTSHELL)", (2003) Central Law Agency, Allahabad, p. 574.
- Singh, Dr. Devinder, "Human Rights Women and Law", (2005), Allahabad Law Agency,Faridabad.
- Basu, Dr. Durga Das, J., "Human Rights in Constitutional law", (2003), Wadhwa, Nagpur, 3nd Ed.
- Chandra, Dr. U., "Human Rights", (2007), Allahabad Law Agency Publishing, Allahabad, 7Th Ed.
- Dharmadhikari, J., "Human Values and Human Rights", (2010), Universal Law Publishing Co., Delhi, Ed.
- Ghormade, Dr. Vijay N (Ed.), "Justice Mane's, Lectures on Human Rights", (2007), Hind Law House, Pune.
- Palik Basu, J., "Law Relating to Protection of Human Rights", (2009), Modern Law Publications, Delhi, Allahabad, 2nd Ed.
- Robertson A.H. and J.C. Merrills, "Human Rights in the World", (2005), Universal Law Publishing Co. Pvt. Ltd., New Delhi.
- Singh, Dr. Gurbax, "Law Relating to Protection of Human Rights and Human Values", (2008), Vinod Publishing, Ed. 1st
- Singh, Dr. P.K., "Supreme Court on Human Rights and Social Justice", (2001), Allahabad Law Agency, Faridabad, Ed. 1st.

Niti Nipuna Saxena

Freedom of Internet and Social Media

India is a democratic country. We need to give importance to the concept of internet freedom and social media. There should be a clear balance between freedom of speech and expression guaranteed by our constitution as a fundamental right and freedom of expresion views on Facebook and Twitter.

The object of this paper is an attempt to understand internet freedom and how the people should utilise this type of freedom in a positive way. The availability, affordability and accessibility of the internet is unique.

Keywords : internet, freedom, social media, democracy.

Introduction

India is the second largest populated country in India. A large section of the society is still not familiar with the internet and social media and its multi purpose uses. The internet has become a integral part of life in every individual Government and semi government at local or regional or national or international level.

In society, there are the different perceptions about the uses of internet and social media and their implications on society in a democracy.Government authorities and the common man both do not have enough awareness and skill to democratic and actual line between the internet freedom and view of people on social media sites like Facebook and Twitter. In a democracy there should be a clear demarcation between internet freedom and social media.

After the introduction of smartphones due to the technological revolution, internet has become a phenomenon. The website was blocked, website was used to display taxes and objectionable pictures related to Indian flag and emblem, In year 2011, that was the Aseem Trivedi website cartoon against corruption.com,

He was arrested on charges of sedition and later on he was released. Nevertheless, this incident raised several questions about the prospects of internet freedom in India.

Social media plays a very significant role in a democratic society.

In India, Anna Hazare's movement in 2011 against the corruption saw is much success as it did because the media especially social media played a vital role in mobilizing people.

In democratic countries, social media apps are of horizontal and vertical ways. Horizontal method are movements among citizens. Vertical ways are between citizen and state.

Internet and social media play an important role in public sphere in present scenario. This is called cyber transformation. It means time change oral culture has been replaced by print and then been replaced by electronic communication in quick succession.

But it is very true that awareness of internet and social media is increasing day by day in our country. Especially, youth of the society have become more aware about their rights, duties and are more informed about the functioning of elected Government and issues of governance. It's the time of internet and social media. It's time of the voice to express views of the citizen who feel powerless and helpless through the internet and social media about the functioning of the Government. Government machinery takes steps to improve governance due to this change.

Technology has transformed not only society but lives of individuals. But it is also true that technology does not change basic human nature.

Internet and social media play a significant role in democracy. We can see the effects as a a transparency on the working of Government development and practice in clarity has also started in the policy making process. But a lot of the people who are not netizens are not mobilized by the social media.

Effect of internet and social media on Indian society

There are huge impact on Indian society of internet and social media. Banks convert in e-banks, schools converse in e-school education e-hospitals have considerably improved with the introduction of internet in the functioning of the government.

There are some challenges between the technological aspacts over development and social underdevelopment. In Indian democracy, the following are the challenges : --

A. Region : 25% of Indian population that is 266 million live in cities and approximately 20% are active internet users that is 52 millions. And the Rest of the population that is 75% live in rural areas and 4.18 million are non active user. Fact is that out of non-users 78 percent are not even aware of the existence of internet. (Data collected through the Internet and Mobile association of India)

B. Language : There is 125 million which is 12.16 % of the total population who are able to speak English in India. English is the official language of the cyber space. That means in India the language is also a barrier in the spread of internet facilities.

C. Education : According to the census 2011, India's literacy rate is 74.04 % gap between urban areas that is 84.9 8% and rural areas that is 68.9 percent.

D. Gender : The literacy gap between the male and female population is also very big. The national average is 70.44 % but literacy rate among the male population is 82.1 4% as compared to the female population where it is at 65.4 6%.

E. Disability : In Indian society there also exist disabilities such as economic, cultural and psychological disabilities which curtail the benefits of the internet where availability, accessibility and affordability are concerned.

The world and all democratic countries face an important challenge. due to the introduction of basic internet facilities. In Twitter and Facebook, people are expressing their views freely. But things really become difficult when it is not just freely of speech and expression that is at stake but lives as well.the issues of Liberty of national interest come in direct conflict and pose a new kind of challenge for the state to intervene and yet try and create a balance.

Scope and law in India for internet freedom

India is the largest democratic country in the world. Indian constitution provide freedom of speech and expression to all the people of India under article 19 (1).

India adopted a different method to control misuse of the freedom of internet that is direct method and indirect method.

The direct method the legislation makes a law for the users and legislation for the intermediaries and internet service providers that is ISPs.

There is a concept of consultation of the intermediaries or internet companies where they are asked to act guided by the government on blacking or removing of some content from the domain that is the second method or the indirect method.

India made law when the country was transitioning to the electronic age Information and Technology Act, 2000 has been passed in this field and Information Technology Amendment Act, 2008 and information technology intermediaries guidelines rules of 2011 also passed.

Right to freedom of speech and expression is a fundamental right of citizens but law posed a serious threat on freedom of speech and expression. The example of Professor from Jadavpur University in West Bengal was arrested on the charge of circulating offensive cartoon of Chief Minister Mamata Banerjee on wave in April 2012.

❑

Our New Life Members

235. **Dr. Poonam Khanna**
99, Model town,
Rama Krishna Lane
Near Shiva Tower,
Gaziabad-201001

236. **Ms. Tai Courasiya**
At Post Prabhat Pattan
Distt. Betul (M.P.) -460665

237. **Sh. Veerender Kumar Chadar**
113, Police Line
Tikamgarh, Distt. Tikamgar M.P.
Pin – 472001

238. **Shri. Rajendra**
C/o I.P. Verma, 24, Kailash Nagar
Near Jakhas Baba Chauraha
Jajmow, Kanpur-208010

239. **Sh. Ram Singh Patel**
C/o Amit Shrivastava
Daya Bhavan, Krisna Nagar,
Makroniya, Sagar, M.P.- 470002

240. **Sh. Ram Ashis Srivastava**
Daya Bavan
Near Asha Ram Bapu Asram
Krishna Nagar, Makroniya,
Sagar M.P.

241. **Ms. Bhavana Arora**
R - 14/194 – B
New Raj Nagar, Ghaziabad

242. **Dr. Zaki Hussain**
R/o Plot No. 52
House No. 116/630,
Bagicha Basheer, Krisnapuri
Rawatpur, Kanpur-218019

243. **Shri Anuragendra Nigam**

244. **Dr. Shobha Bhardwaj**
Assitant Professor
Department of Law
Jagran University, Bhopal

245. **Dr. Bhumika Sharma**
Assistant Professor,
Department of Laws
Solan, Himachal Pradesh

246. **Dr. Sonia Sharma**
Assistant Professor
Mata Sundari College,
DU, New Delhi

247. **Dr. Shilpi Seth**
Assistant Professor
School of Law
Mohan Lal Sukhadia University
Udaipur, Rajasthan

248. **Dr. Nilima Singh**
Assistant Professor
13 New MIG Preetam Nagar,
Allahabad-211011

249. **Ms. Vijayshree Boaddha**
Barkatullah University
Bhopal (M.P.)

250. **Dr. Nisha Kewalia**
Principal, Moti Lal Nehru Law College,
Khandwa (M.P.)

251. **Shri Guru Ditta Malhotra**
Teacher, Government School,
Talwamdi Bhai, Ferozepure

252. **Ms. Rinku Gangwani**
Lecture, School of Law,
Mohan Lal Sukhadia University
Udaipur, Rajesthan

253. **Smt. Samta Dube Tiwari**
Assistant Superindent (Jail)
Central Jail, Bhopal,
Madhya Pradesh

254. **Ms. Suman**
Research Scholar
Deptt. of Political Science
Delhi University, Delhi-110007

255. **Dr. Shikha Kaushik**
Lecturer, D.A.V. College, Budhana,
Muzaffarnagar, Uttar Pradesh

256. **Dr. Jagdish Chandra Batra**
Senior Advocate
Supreme Court of India,
New Delhi-110001

257. **Dr. Samiksha Godhra**
Assistant Professor, Law Deptt.
Central University of Haryana
Mahindra Garh, Haryana

258. **Shri Vipin Kumar Singh**
Research Scholar, Law Deptt.
Allahabad University, Allahabad

259. **Dr. Pratibha Chaudhry**
House No. 181,CH Scheme 74C
Vijay Nagar, Indore-452010

260. **Ms. Chetali Solanki**
House No. 9, New Bhopal Pura
Near Padm Lighting, M.P.- 313001

261. **Dr. Hemlata Saiwal**
Associate Professor,
Department of Law,
Sage University, Indore

362. **Dr. Priyanka**
Assistant Professor,
New Govt. Law College, Indore